मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 52 अप्रैल, 2012 अंक : 10

प्रकाशन तिथि : 2 अप्रैल, 2012

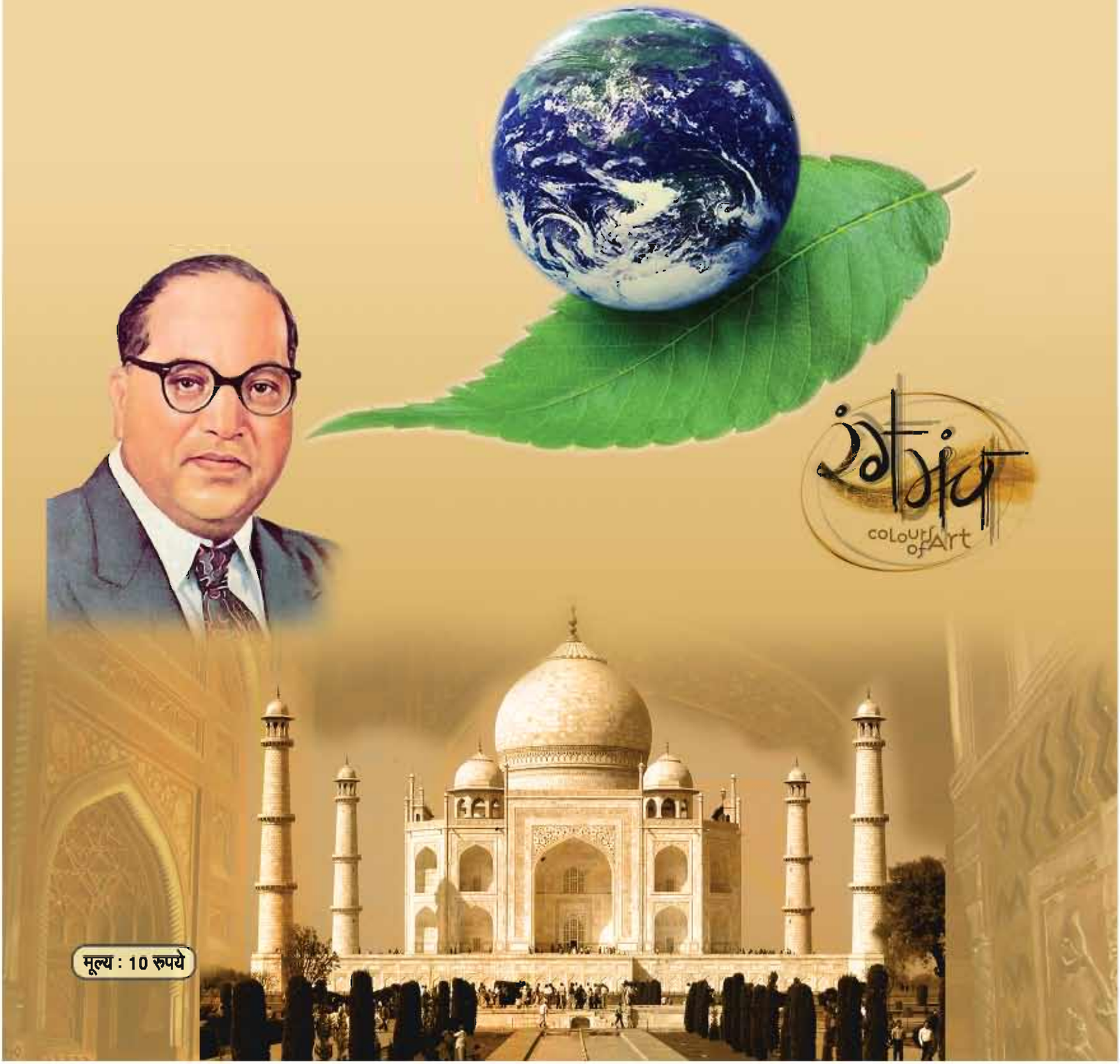

मूल्य : 10 रुपये

44वें राज्यस्तरीय विज्ञान एवं जनसंख्या व विकास शिक्षा मेले का आयोजन राजकीय उ.मा. विद्यालय, गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर) में किया गया। उद्घाटन अवसर पर (बाएं) दीप प्रज्वलित करते मुख्य अतिथि केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री नमोनारायण मीणा तथा (दाएं) वाद-विवाद प्रतियोगिता में विचार प्रस्तुत करती एक छात्रा।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की परीक्षाओं से पूर्व श्रीगंगानगर जिले के केन्द्राधीक्षकों की कार्यशाला राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पुरानी आबादी, सूरतगढ़ में आयोजित हुई।

राजकीय उ.मा. विद्यालय, जगपुरा तहसील आसीन्द (भीलवाड़ा) के नया बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनने पर 110 टेबल-स्टूल का सेट जनसहयोग से प्राप्त हुआ।

गार्गी पुरस्कार 2011 से समादृत कोटा जिले की बालिकाएँ। यह समारोह राजकीय बालिका उ.मा. विद्यालय, तलवण्डी कोटा में आयोजित किया गया।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड द्वारा अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान शिविर विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश) में आयोजित हुआ। चित्र में शिविर में भाग लेने गए बीकानेर दल के स्काउट गाइड।

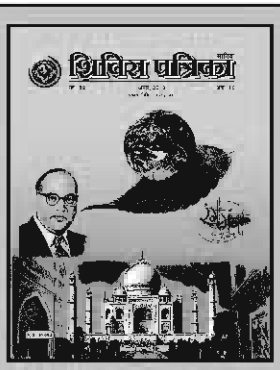

शिविरा पत्रिका

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा का समाचार-विचार मासिक

वर्ष : 52 अंक : 10

अप्रैल, 2012

प्रकाशन तिथि : 2 अप्रैल, 2012

प्रधान सम्पादक
हर सहाय मीणा

●

वरिष्ठ सम्पादक
ओमप्रकाश सारस्वत

●

सहायक
लक्ष्मी नारायण शर्मा
मुकेश व्यास

- एक प्रति 10 रु.
- वार्षिक चंदा
  - शिक्षकों/लिपिकों के लिए 50 रु.
  - संस्थाओं/अन्य व्यक्तियों के लिए 100 रु.
- मनी ऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय है।
- पोस्टल ऑर्डर/चैक स्वीकार्य नहीं हैं।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –व.सं.

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते
श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

इस अंक में

सुन्दर समाज एवं सुदृढ़ राष्ट्र का आधार है - शिक्षा	5	दिशाकल्प
परीक्षा का जुनून	6	कविता राव
सा विद्या या विमुक्तये	8	किशोर सोनी
शिक्षा में संतुलन की प्रणाली : जीवन विज्ञान	9	राजेन्द्र प्रसाद जोशी
वैश्विक परिदृश्य में शिक्षक शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी	10	डॉ. विकास मोदी
आत्मविश्वास की नींव पर सफलता की मंजिल	11	उषा टेलर
व्यक्तित्व उत्कर्ष नैतिक शिक्षा द्वारा ही संभव	12	रेखा शर्मा
संवेदना ने बदली दशा और दिशा	13	आभा मेहता
सरस्वती के प्रतीक	14	साँवलाराम नामा
शिक्षा मानव की तीसरी आँख - ज्योति राव फुले	15	भारत दोसी
सांस्कृतिक धरोहर : हमारा इतिहास	16	सरदार सिंह चारण
फैब्रिक पेन्टिंग युवाओं के लिए स्वरोजगार का माध्यम	18	मुरलीमनोहर के. माथुर
विसर्जन से अर्जन	19	आशा मांडावत
जीव-जन्तुओं को भी जीने का हक	20	पूनम
अहिंसा के संवाहक - महावीर स्वामी	21	सुभाष चन्द्र कस्वाँ
पैगम्बर मोहम्मद साहब	22	अज़ीज़ा बेग़म
बापू की सीख - 11 सर्वधर्म-समभाव	31	मो.क. गाँधी
झोला पुस्तकालय - 9		
'शिक्षा-विमर्श' अध्यापक विशेषांक	32	शिवरतन थानवी
बाल सभाओं की उपयोगिता	35	द्वारकेश भारद्वाज
विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की भूमिका	36	महेन्द्र गोदारा
खेलों में आगे बढ़ने का रास्ता	37	आत्माराम भाटी
हिन्दी भाषा शिक्षण	38	डॉ. मदन केवलिया
दोहा का अर्थ, परिभाषा एवं महत्ता	39	रेणु सिंगोदिया
गणित तो रोचक विषय है	40	विक्रम कुण्डू 'प्रबोध'
बच्चे कहना क्यों नहीं मानते?	41	कैलाश जैन
बालश्रम निषेध	42	सत्यनारायण पंवार
कर्तव्यों की होली पर अधिकारों की दीवाली	43	चैनराम शर्मा

विशेष

सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी - 28 / मधुमती : गीतों का गुलदस्ता - 34
ओमप्रकाश सारस्वत

स्थाई स्तम्भ

पाठक पीठ - 4/आदेश परिपत्र 23-27/शैक्षिक समाचार 44-45/
पुस्तक परिचय 46-47/चतुर्दिक 48-49/भामाशाह - 50

मुखावरण : नभांशु श्रीमाली ***आवरण संयोजन*** : मुकेश व्यास

पाठक पीठ

विगत कुछ माहों में पत्रिका का कलेवर व पठन सामग्री सामयिक और विचारणीय रही है। 'झोला पुस्तकालय' शीर्षक आदरणीय थानवी साहब का नियमित प्रकाशन बड़ा ही रोचक प्रेरणास्पद है। माननीय थानवी साहब का अस्सी वर्ष की अधिक आयु में इतना विस्तृत गहन अध्ययन सुधी पाठकों के लिए प्रेरणास्पद है। सर्वश्री सागर, श्री सिंहल एवं छाया शर्मा के विचार भी अच्छे लगे, सभी को साधुवाद !

–शिवचरण मंत्री, अजमेर

शिविरा का माह मार्च, 2012 का अंक प्राप्त हुआ। जल ही जीवन है, यह विचार भविष्य के लिए नहीं वरन् आज की आवश्यकता है। सृष्टि की रचना का आधार भी जल ही है। जब सब कुछ जल ही है तो उसका संरक्षण और उसे शुद्ध रखना आवश्यक है।

–महेन्द्र कुमार शर्मा, भवानीखेड़ा

मार्च के अंक में 'कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का ?' आलेख में श्रीराम शर्मा आचार्य के विचार पढ़े। संकलनकर्ता को कोटि-कोटि साधुवाद ! विज्ञान और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं उनका अर्थ गलत न लिया जाए तो संसार स्वर्ग बन जाए। पुनः साधुवाद ! ऐसे लेख सतत प्रकाशित हों।

–पवन कुमार ओझा, गंगाशहर

शिविरा पत्रिका माह मार्च, 2012 के अंक में आलेख 'शैक्षिक संवेदना' बार-बार पढ़ने एवं मनन के लिए मजबूर हुआ। मैडम ने गागर में सागर भर दिया। आलेख में शिक्षण एवं शिक्षा के मर्म को गहराई से स्पर्श किया है।

–शान्तिलाल सेठ, बांसवाड़ा

शिविरा पत्रिका का मार्च, 2012 का अंक पढ़ने को मिला। सभी लेख-आलेख ज्ञानवर्द्धक एवं संग्रहणीय हैं। दिशाकल्प में आयुक्त महोदय का संदेश प्रेरणास्पद है। श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित लेख समाज के बुद्धिजीवियों, प्रतिष्ठित शिक्षकों एवं व्यक्तियों को झंझोड़ने पर बाध्य करेगा। ऐसे लेखों को शिविरा पत्रिका में विशिष्ट स्थान दें।

–नारायणलाल टाक, बीकानेर

शिविरा पत्रिका का मार्च 2012 का अंक आद्योपांत पढ़ा। श्री शिवरतन थानवी एवं महेश कुमार चतुर्वेदी का आलेख वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नई सोच को उजागर करने वाले हैं। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि काफी अर्से बाद मई-जून, 2012 का अंक स्वाध्याय विशेषांक के रूप में प्रकाशित होगा। विशेषांक की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ।

–महेश कुमार पायक, छोटी सादड़ी

बहुत ही खूबसूरत कलेवर में मार्च, 2012 का अंक प्राप्त हुआ। बापू की सीख के अलावा श्रीराम शर्मा आचार्य का लेख तारीफ योग्य था। 'महिला सशक्तीकरण के वैश्विक प्रयास' में संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराया।

–दुर्गा विश्वास, बीकानेर

मार्च, 2012 का शिविरा का अंक पढ़ा। पत्रिका में श्रीराम शर्मा आचार्य का लेख 'कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का ?' अत्यन्त रुचिकर लगा। लेखक ने परिवार एवं समाज की वर्तमान एवं भावी समस्याओं एवं उनसे निपटने के तरीकों की सटीक व्याख्या द्वारा अध्यात्म एवं विज्ञान के समन्वय की शानदार व्याख्या की है। अन्य लेखों ने भी प्रभावित किया।

–दिलीप रावल, डूँगरपुर

शिविरा पत्रिका के काय कलेवर से लेकर सामग्री चयन में जो निरन्तर परिवर्तन हो रहा है उसके लिए सम्पादक मण्डल को कोटिशः धन्यवाद। मार्च अंक में छपा श्रीराम शर्मा आचार्य का आलेख 'कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का?' अत्यन्त प्रेरक, सारगर्भित एवं मननीय है। विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय विश्व के लिए परमावश्यक है। आशा है ऐसे प्रेरक आलेख भविष्य में भी प्रकाशित करते रहेंगे।

–विनोद कुमार शर्मा, मौलासर (नागौर)

आलेख 'समाज एवं राष्ट्र निर्माण में नारी की महत्ता' तथा जल संरक्षण का महत्त्व' उपयोगी थे। 'कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का?' बहुत अच्छा लगा। प्रत्येक वर्ग के लिए लाभकारी लेख है। हर वाक्य में सीख है। 'झोला पुस्तकालय' तथा 'शिविरा विचार मंच' पसन्द आया।

–कान्ता चौहान, बीकानेर

नारी सशक्तीकरण पर लेख जानकारी से भरपूर था। लेख 'लड़का-लड़की एक समान' बहुत पसन्द आया। 'कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का ?' श्रीराम शर्मा आचार्य का लेख युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। जटिल विषय को सरलता से प्रकट किया गया है।

–बबीता, बीकानेर

शिविरा पत्रिका में प्रकाशित लेख शिक्षकों के लिए प्रेरक, ज्ञानार्जन और मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। श्री पुनाराम के लेख 'महिला सशक्तीकरण के वैश्विक प्रयास' में संग्रहणीय जानकारियाँ हैं। 'झोला पुस्तकालय', 'बापू की सीख' सदैव हमें जीवनोपयोगी शिक्षा देते हैं। श्रीराम शर्मा आचार्य के व्याख्यान के आध्यात्मिक सूत्र ने शिक्षक तथा मानव को जीवन निर्माण हेतु सदुपदेश दिया, जो अनुकरणीय है।

–बजरंग प्रसाद मजेजी, सांपला, अजमेर

चिन्तन

वृतं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमायाति याति च।
अक्षीणो वित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हतः ॥

–वेद व्यास (महाभारत)

हमें हमारे इतिहास एवं गौरवमयी धरोहरों की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता है। धन से हीन होने पर कोई नष्ट नहीं होता किन्तु इतिहास तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत व प्राचीन गौरव के नष्ट हो जाने पर विनाश निश्चित है।

सत्यमेव जयते

हर सहाय मीणा
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

परिचय

श्री हर सहाय मीणा ने दिनांक 16 मार्च, 2012 को निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा पदेन राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्यभार ग्रहण किया। आपका जन्म सवाई माधोपुर जिले के ग्राम मीना बड़ौदा में 7 अक्टूबर 1971 को हुआ। आप इतिहास में एम.ए. तथा एम.फिल. हैं। वर्ष 1997 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश से पूर्व आप दो वर्ष महाविद्यालय शिक्षा में प्राध्यापक रहे। योग, टेनिस, ट्रेकिंग तथा कला व संस्कृति में रुचिशील श्री मीणा कार्य प्रणाली में रचनात्मक सुधार एवं सूचना व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। आप अतिरिक्त आयुक्त (वेट एवं आई.टी.), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर तथा महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र जयपुर जैसे महत्त्वपूर्ण पदों पर सेवाएँ प्रदान कर चुके हैं।

दिशाकल्प

सुन्दर समाज एवं सुदृढ़ राष्ट्र का आधार है - शिक्षा

राजस्थान के कोने-कोने में शिक्षा की जोत जला रहे लाखों शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं के विशाल परिवार से जुड़कर मुझे अतिशय प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। सुन्दर समाज एवं सुदृढ़ राष्ट्र की संरचना का दारोमदार शिक्षकों पर ही टिका है। आज वे जैसी शिक्षा देंगे, वैसे ही कल के नागरिक होंगे, राष्ट्र होगा, क्योंकि आज के विद्यार्थी ही कल के नागरिक हैं। मैं समस्त शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की कुशलता, सफलता एवं उनके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ।

शिक्षा सदैव मेरी प्राथमिकताओं में रही है। निःसंदेह व्यैक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शिक्षा में ही निहित है। शिक्षा जीवनदायनी एवं कष्ट विमोचनी है। व्यक्तित्व का विकास करते हुए सफल जीवन का आधार तैयार करती है शिक्षा। विद्यालय ज्ञान के मन्दिर तथा शिक्षक इन ज्ञान मन्दिरों के पुजारी हैं। अभिभावक एवं छात्र-छात्राएँ उनके उपासक हैं।

मेरा विद्यालयों की भूमिका एवं शिक्षकों की योग्यता में पूर्ण विश्वास है। शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यग्रहण करते ही मुझे उस विद्यालय की याद आई जहाँ मैंने वर्ष 1986 में सैकण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की थी और मेरे कदम सहसा विद्यालय की ओर बढ़ गये। मैं उन शिक्षकों के प्रति ऋणी हूँ, जिनसे शिक्षा प्राप्त कर मैं जो आज हूँ, बन सका। मैं विनम्र भाव से प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं एवं शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने से पूर्व दो वर्ष मैं महाविद्यालय शिक्षा में प्राध्यापक रहा हूँ। इस प्रकार मेरे में एक शिक्षक मौजूद है। दरअसल मैं प्रशासक बाद में हूँ, शिक्षक पहले। मुझे विश्वास है कि राज्य के शिक्षक मेरे इस भाव की रक्षा करेंगे।

गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन मेरा इष्ट है। समय की पाबन्दी, अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, प्रामाणिकता, प्रतिबद्धता, व्यावसायिक उन्नयन, स्वाध्याय, स्वच्छता, सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली, यथोचित सम्मान व स्नेह जैसे उदात्त गुणों में मेरा विश्वास है। बड़ा विभाग होने के कारण हमारी समस्याएँ अधिक हो सकती हैं। हम प्राथमिकता से उनका समाधान करेंगे। इस हेतु उचित कार्य प्रणाली विकसित की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पेंशन परिलाभ समय पर प्राप्त हों।

बोर्ड परीक्षाओं के बाद इस माह वार्षिक गृह परीक्षाएँ हो रही हैं। परीक्षा बच्चे के वर्ष भर के अधिगम का दर्पण होती है। मुझे विश्वास है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी परीक्षा को परीक्षा की तरह लेंगे ताकि उन्हें वास्तविकता का भान हो सके। बच्चे की सफलता का श्रेय शिक्षक लेते हैं तो उसकी असफलता अथवा अधूरी सफलता का उत्तरदायित्व भी उन्हीं का है। मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर शिक्षक स्वयं अपना मूल्यांकन भी करें।

खेलकूद एवं पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों का भी जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकीय ज्ञान से ऊपर नैतिक मूल्यों की सीख तो क्रीड़ांगन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ही मिल सकती है। हमारे तीज-त्यौहार इसी के उदाहरण हैं। कला और संस्कृति का उन्नयन करने के लिए विद्यालय स्तर पर इन कार्यक्रमों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

(हर सहाय मीणा)
hsmeena2001@yahoo.com

परीक्षा का जुनून

❑ कविता राव

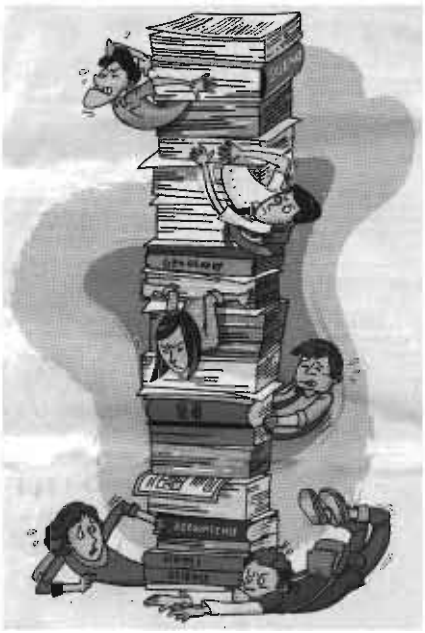

हर कोई कामयाब होना चाहता है। कामयाबी की इस अंधी दौड़ ने हमारे नौजवानों को परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाने वाली मशीन बना दिया है। वे सारा चैन-आराम भूलकर दिन-रात तैयारी में जुटे रहते हैं। आखिर हरेक तो टॉप पर नहीं पहुँच सकता। इसीलिए दूसरे देशों में शिक्षा शास्त्री सोचने लगे हैं कि विफलता भी सामान्य बात है और इसे स्वीकार करना चाहिए।

मार्च-अप्रैल में लाखों बल्कि शायद करोड़ों भारतीय परिवारों के सिर पर परीक्षाओं का भूत सवार रहता है। खुद मेरा परिवार भी ऐसे परिवारों में शरीक है। इम्तहान में अच्छे से अच्छे नंबर लाने की भारी-भरकम उम्मीदें बच्चों के गले में गिलोटिन की तरह बँधी हैं। उनकी कामयाबी के लिए पूरे के पूरे परिवार उनके पीछे बदहवाली की हालात में हाथ बाँधकर खड़े हैं। मेमोरी पिल्स आलमारियों से निकल आई हैं। कोचिंग क्लासेस में पहले ही भीड़ उमड़ पड़ी है। बच्चों के साथ रट्टा लगाते हुए माता-पिता भी रात-रात भर जाग रहे हैं। यह हमारे देश के उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक घर-घर की कहानी है।

कामयाबी की इस अंधी और उन्मत्त दौड़ के बीच मेरे मन में एक ऐसा खयाल आया है जिसे मौजूदा हालात में कुफ्र तक माना जा सकता है : हम अपने बच्चों को कामयाबी के लिए तो तैयार करें ही, जैसा कि हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हमें कभी-कभी उन्हें विफलता की संभावना के लिए भी तैयार नहीं करना चाहिए? क्या हमें उनका मानस इस तरह नहीं बनाना चाहिए कि अगर वे अच्छे नम्बर लाएँ और सफल हो जाएँ तो बहुत अच्छा, लेकिन किसी वजह से अगर वे अव्वल बच्चों की जमात में नहीं आ पाते हैं, तब भी दुनिया उनके लिए खत्म नहीं हो जाएगी? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वैसे भी यह जो दमतोड़ प्रतिस्पर्धा है, इसकी बनावट ही ऐसी है कि इसमें सभी बच्चे शिखर पर नहीं पहुँच सकते, उनमें से कई बच्चों का विफल होना तय है। आखिर वे सभी न तो अपनी कक्षा में टॉप पर आ सकते हैं और न ही सभी ए-लिस्ट कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं।

लंदन के स्कूल में फेल्योर वीक यानी विफलता का सप्ताह– हमारे देश में विफल होना वर्जित है। इसे बुरा माना जाता है। लेकिन दूसरे कई देशों में शिक्षकों और शिक्षाशास्त्रियों ने विफलता को सामान्य बात मानना शुरू कर दिया है। कई तो इसे स्वस्थ मानने लगे हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने मैनहट्टन के एक संभ्रांत और उच्चवर्गीय स्कूल के बारे में एक स्टोरी प्रकाशित की, जिसमें बताया गया था कि जो छात्र स्कूल में पढ़ाई-लिखाई के दौरान हमेशा अव्वल आते रहे थे, कॉलेज में उनका प्रदर्शन हमेशा उतना ही शानदार नहीं रहा। कॉलेज की पढ़ाई में कामयाबी उन छात्रों ने हासिल की जिनमें चरित्र, दृढ़ता, साहस और जिद ज्यादा थी। ये गुण उनमें स्कूल की पढ़ाई के दौरान बार-बार मिलने वाली विफलताओं से लड़ने और उबरने की प्रक्रिया में विकसित हुए थे। जाहिर है स्कूल की नाकामयाबियों ने उन्हें इन गुणों से समृद्ध किया जिनकी बदौलत कॉलेज में वे कामयाब हो सके।

आप ताज्जुब करेंगे कि विंबलडन हाई नामक लंदन के एक टॉप स्कूल ने तो अपनी छात्राओं के बीच 'फेल्योर वीक' यानी विफलता का सप्ताह मनाने की पहल की है। इस सप्ताह के दौरान विफलता का रहस्य समझने में लड़कियों की मदद की जाती है। ऐसा सप्ताह मनाने की शुरुआत के पीछे जो विचार है, उसे स्पष्ट करते हुए स्कूल की प्रधानाध्यापिका हीथर हैनबरी कहती हैं, 'मैं लड़कियों को यह समझाना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि आप हमेशा सफल ही हों, कभी-कभी विफल होना भी सामान्य बात है और आपके आसपास के लोग इसे स्वीकार करेंगे।'

कोई माता-पिता अपने बच्चों को विफल होते नहीं देखना चाहता– हो सकता है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी माता-पिता के लिए यह सब पश्चिमी देशों की आदर्शवादी बकवास हो। मैनहट्ट या मैनचेस्टर जैसे किसी अमेरिकी शहर में नाकाम होना हमारे जयपुर, मदुरै, सिलीगुड़ी, रांची, भोपाल या पटना जैसे शहर में नाकाम होने से बहुत अलग है। वहाँ नाकाम होना एक बात है और हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा में नाकाम हो जाना बिल्कुल दूसरी। हमारे देश में जहाँ सामाजिक सुरक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं का मुकम्मल इंतजाम नहीं है, ज्यादातर मध्यवर्गीय युवाओं के लिए किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाने का मतलब है अभाव और बदहाली की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त होना। हकीकत यह है कि जो लोग विफल होने का महत्त्व समझते और उसके

बारे में बात करते हैं, वे आम तौर पर बेहद कामयाब लोग हैं। ज्यादातर फिल्म स्टार, संगीत सितारों और लोकप्रिय लेखकों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। विडंबना यह है कि हम थ्री ईडियट्स देखते हैं, तालियाँ बजाते हैं, उसके तीनों दुस्साहसी मुख्य किरदारों की सराहना करते हैं, लेकिन हममें से ज्यादातर मन ही मन चुपचाप उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे कहीं पैसे-पैसे के लिए मोहताज फोटोग्राफर या संगीतकार न बन जाएं।

अपने बच्चों को विफल या नाकाम होते देखना माता-पिता के लिए संभवतः सबसे तकलीफ की बात होती है, क्योंकि हममें से कोई भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि हो सकता है कि हमारे बच्चे असाधारण रूप से मेधावी न होकर महज औसत प्रतिभा के धनी हों।

नौजवान बस परीक्षाएँ पास करने वाली मशीनें बनकर रह गए हैं– लेकिन कामयाबी की इस अंधी सनक का नतीजा यह है कि हम एक ऐसे राष्ट्र हो गए हैं जिसके किशोर और नौजवान परीक्षाएँ पास करने की धुन से ग्रस्त मशीनें बनकर रह गए हैं। इस हद तक कि जब वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते तो कई बार आत्महत्या जैसा दुस्साहसी कदम उठा बैठते हैं। यही कम बड़ी कीमत नहीं है। इसका एक और नतीजा यह भी हुआ है कि उनमें रचनात्मकता और नए प्रयोग करने की जीवंतता और क्षमता कम रह गई है।

'आप जानते हैं कि नई शुरुआत करने वाले युवा अमेरिका में कामयाब क्यों होते हैं और भारत में इतनी बुरी तरह नाकाम क्यों हो जाते हैं?' एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी ने हाल ही में यह सवाल पूछा। जवाब भी उन्होंने ही दिया, 'इसकी वजह यह है कि अमेरिका में वे नाकाम होने से नहीं डरते, जबकि भारत में हम नाकाम होने के अलावा किसी और चीज से शायद ही डरते हों।'

हमारे देश में 'परीक्षा प्रणाली तो है लेकिन शिक्षा प्रणाली नहीं है।' यह बात प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के प्रमुख सी.एन. राव ने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कही थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि 'आखिर वह वक्त कब आएगा जब हमारे नौजवान परीक्षाएँ देना बंद करके कुछ सार्थक काम करेंगे?' यही वह पत्र था जिसमें उन्होंने तमाम किस्म की अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं को बंद करके एक कॉमन एंट्रेंस एक्जाम करवाने का आग्रह किया था।

एक के बाद एक परीक्षा के सिलसिले की तरफ ध्यान दिलाते हुए प्रोफेसर राव ने प्रधानमंत्री को लिखा था, 'हमें अपनी समूची परीक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार करना चाहिए जिसमें फाइनल एक्जाम, फिर एंट्रेंस एक्जाम, फिर क्वालिफाइंग एक्जाम, फिर सेलेक्शन एक्जाम और इस तरह परीक्षा-दर-परीक्षा यह सिलसिला चलता रहता है।' यह अलग बात है कि इन्हीं प्रोफेसर राव को पिछले दिनों माफी माँगनी पड़ी, क्योंकि अपने कुछ साथी प्रोफेसरों के साथ मिलकर लिखे गए उनके एक शोधपत्र में उनके एक छात्र ने 'कुछ पंक्तियाँ' किसी दूसरे विद्वान लेखक के शोधपत्र से नकल करके लिख दी थीं।

भारतीय छात्र अव्वल क्यों और अमेरिकी छात्र फिसड्डी क्यों– हमारे खासकर मध्यवर्गीय परिवारों में नाकामी का यह डर हमेशा खराब ही हो, ऐसा भी नहीं। इसका दूसरा पहलू भी है जिसे अमेरिका के उदाहरण से समझा जा सकता है। एक अमेरिकी शिक्षिका ट्रेसी ग्रूम कहती हैं कि विफल होने से डरना बहुत बुरी बात भी नहीं है। ट्रेसी कुछ समय पहले नई दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाने के लिए आई थीं। दोनों देशों के अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने पढ़ाई के मामले में भारत और अमेरिका में जो फर्क है वह बताया है।

वह लिखती हैं, 'जब एक अमेरिकी छात्र अपनी कक्षा या इम्तहान में फेल हो जाता है, तो उसके शिक्षक को दोष दिया जाता है कि वह अपने छात्र को अच्छी तरह पढ़ाने में विफल रहा। दूसरी ओर जब एक भारतीय छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो खुद उस छात्र को ही इस बात के लिए फटकारा जाता है कि उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई नहीं की।'

ट्रेसी आगे लिखती हैं, 'भारतीय छात्र इसलिए अव्वल आता है क्योंकि वह जानता है कि उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं, जबकि अमेरिकी छात्र अक्सर इसलिए उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि वह जिम्मेदारी को दरकिनार कर सकता है। इस तरह वह यह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण सबक सीखता है कि कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत अनिवार्य नहीं है।'

ट्रेसी ग्रूम बताती है कि 'हमारी खूबी यह है कि हम अमेरिकी लोग हर बच्चे की सीखने की विशिष्ट शैली के प्रति संवेदनशील हैं, हम अपने बच्चे के लिए वही चाहते हैं जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यह तरीका बढ़ते हुए बच्चे में बुनियादी मनोवैज्ञानिक खूबियाँ विकसित नहीं करता और काम से ज्यादा खेल को तरजीह देने की उसकी प्रवृत्ति पर लगाम नहीं लगाता।'

इस तरह हम पाते हैं कि विफलता के भय ने हमारे बच्चों को रचनात्मकता और नये प्रयोग करने की क्षमता से वंचित किया है, वहीं उनमें हर कीमत पर परीक्षा में सफल होने की जबरदस्त भावना भी पैदा की है, जो अमेरिकी बच्चों में नहीं है और जिसकी शिकायत ट्रेसी ग्रूम जैसी शिक्षिका कर रही हैं।

सफल भी हों और परीक्षा का भूत भी सवार न हो सिर पर– असल सवाल यह है कि दोनों प्रणालियों में संतुलन का क्या कोई तरीका है।

क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे बच्चे परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़प्रतिज्ञ, समर्पित और प्रेरित भी रहें और इस प्रक्रिया में परीक्षाएँ उनके सिर पर भूत की तरह सवार भी न हों? हाल के दिनों में किए गए कुछ बदलावों से उत्साहजनक संकेत मिलते हैं। मिसाल के लिए, सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) ने दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा की शुरुआत की है। इसीलिए इस वर्ष कई बच्चों ने स्वेच्छा से बोर्ड परीक्षा का विकल्प चुना है और कई बच्चे बोर्ड परीक्षा के बगैर दसवीं कक्षा पास करेंगे। नम्बरों की जगह ग्रेड देने की प्रणाली भी शुरू की गई है। ये दोनों अच्छी पहल है। दसवीं कक्षा के जो

छात्र डॉक्टर या इंजीनियर न तो बन सकते हैं और न ही बनना चाहते हैं, उनके लिए सीबीएसई ने हाल ही में आईटी, हॉस्पिटेलिटी, फायनेंस और अन्य क्षेत्रों में पेशेवर प्रशिक्षण की योजना शुरू करने का भी एलान किया है।

आईआईटी मुंबई ने भी अभी थोड़े ही दिनों पहले एक योजना शुरू की है। इसमें नए ग्रेजुएट छात्रों को कुछ वर्ष के अंतराल से प्लेसमेंट की सुविधा दी गई है, ताकि बीच के समय में अगर वे चाहें तो कोई नया काम शुरू कर सकें। अभी होता यह है कि अधिकांश ग्रेजुएट चाहकर भी नया काम शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि वे डरते हैं कि नए काम में सफल नहीं हुए तो क्या होगा और इसलिए पहली हाथ आई नौकरी को स्वीकार कर लेने का जोखिम से मुक्त रास्ता चुनते हैं।

98 फीसदी नंबर नहीं ला पाना जिंदगी हारना नहीं है– पिछले सप्ताह मैंने महज आजमाने के मकसद से एक नई 24 घंटों की हेल्पलाइन (1860-266-2345) पर फोन किया। यह हेल्पलाइन परीक्षा के तनाव और दबाव से गुजर रहे छात्रों और माता-पिता की मदद करने के लिए वांड्रेवाला फाउंडेशन चलाता है। नींद और खानपान के बारे में आम किस्म की सलाह देने के साथ फोन के दूसरे छोर पर स्थित काउंसलर ने मुझसे आग्रह किया कि मैं अपने बच्चे को इम्तहान के बाद कॅरियर काउंसलर के पास ले जाऊँ।

उस महिला आवाज ने मुझसे कहा कि 'छात्रों और उनके माता-पिता को जरूरत यह जानने की है कि ऐसे बहुतेरे अच्छे कॉलेज हैं जहाँ आप 80 फीसदी नंबरों के बल पर दाखिला ले सकते हैं। हमारे यहाँ आईआईटीज और आईआईएम्स को बेकार ही इतना बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर दिया गया है। इसके अलावा भी करने को बहुत कुछ है जो कम सार्थक और सफल नहीं।'

अलबत्ता यह सब असली बदलाव लाने के लिए काफी नहीं। सच तो यह है कि असली बदलाव अब भी कोसों दूर है। जरूरत इस बात की है कि हम समूची शिक्षा प्रणाली को आमूलचूल बदलें, कई सारे नए कॉलेज खोलें और मनमाने ढंग से कट-ऑफ नंबर तय करने पर लगाम लगाएँ। लेकिन यह सब आनन-फानन में नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने बच्चों को यह समझने के लिए तैयार करना होगा कि अगर वे एक परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं तो इसका यह अर्थ कतई नहीं कि वे जिंदगी में फेल हो गए हैं।

हेल्पलाइन पर उस महिला काउंसलर ने मुझसे कहा था कि 'सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि बच्चों को यह पता होना चाहिए कि आप यानी माता-पिता उनके साथ और उनकी तरफ खड़े हों। उन्हें आश्वस्त कीजिए। उन्हें भरोसा दिलाइए। परीक्षा में वे 96 या 98 फीसदी नंबर हासिल नहीं कर सके तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी हार गए हैं।'

(लेखिका अंग्रेजी के देशी-विदेशी प्रकाशनों के लिए फ्रीलांसिंग करती हैं और बेंगलुरू में रहती हैं।)

(साभार– दैनिक भास्कर)

सा विद्या या विमुक्तये

❑ **किशोर सोनी**

उपनिषदों में विद्या की महिमा को बताते हुए उक्त सूक्ति का उल्लेख किया गया है। अर्थात् विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति से तात्पर्य है– जन्म-मरण के बन्धनों से मुक्ति।

भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे 'षड्रिपु' अर्थात् छः शत्रु माने गये हैं, जो इस प्रकार हैं– (1) काम, (2) क्रोध, (3) लोभ, (4) मोह, (5) माया एवं (6) अहंकार। इन शत्रुओं पर विजय पाने वाला बिरला मनुष्य 'जितेन्द्रिय' कहलाता है। अपने-आपको परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देने वाला व्यक्ति जन्म-मरण के बंधनों से सदा-सदा के लिए मुक्त हो जाता है।

हमारे आधुनिक तथाकथित शिक्षालयों में दी जाने वाली 'शिक्षा' भौतिक पक्ष पर ही जोर देती हैं जबकि दूसरा पक्ष यानि 'आध्यात्मिक पक्ष' अछूता रह जाता है। जिसका दुष्प्रभाव हमारे आधुनिक समाज में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। फलस्वरूप आतंकवाद, उग्रवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, नक्सलवाद, पूँजीवाद, भाई-भतीजावाद, गरीबी, हिंसा, भाषावाद, अपराधों का ग्राफ, नशाखोरी, माँसाहार, उत्पीड़न, बलात्कार, आत्महत्याएँ, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी, कर चोरी, घोटालों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही हैं। संचार क्रान्ति के फलस्वरूप टी.वी. एवं मोबाइलों के दुरुपयोगों ने रही-सही कसर को पूरा कर दिया है। यदि हम समय रहते नहीं चेते तो आने वाले समय में हमारी बची-खुची 'गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा' भी खाक में मिल जाएगी।

अब हमें हमारी 'शिक्षा-व्यवस्था' को आध्यात्मिक पक्ष की ओर मोड़ने का समय आ चुका है। आज के समाज में प्रेम, शान्ति, सद्भाव, बंधुत्व, सह-अस्तित्व, सदाचार, शाकाहार, परोपकार, त्याग, सेवा, अहिंसा जैसे जीवनमूल्यों की सख्त आवश्यकता है। हम शिविरा पत्रिका के माध्यम से भारत संघीय शासन व्यवस्था, शिक्षाविदों, राष्ट्रप्रेमियों, धर्मप्रेमियों, राज्य सरकारों, शासनों से यह पुरजोर गुजारिश करते हैं कि वह ऐसी 'शिक्षा व्यवस्था' राष्ट्रस्तरीय निर्मित कर लागू करें ताकि हम अपने खोये हुए अमूल्य निधि तुल्य जीवन मूल्यों की राष्ट्र में पुनर्स्थापना कर गौरवान्वित हो सकें एवं विश्वस्तर पर अपनी साख को कायम रख सकें। शिक्षा नीति का पुनर्गठन करते समय 'श्रम', 'स्वावलम्बन' एवं 'आत्मकल्याण' को यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए।

–अध्यापक
रा.मा.वि. नं. 1 सोजतसिटी,
बासना, पाली (राज.)

शिक्षा में संतुलन की प्रणाली : जीवन विज्ञान

❑ राजेन्द्र प्रसाद जोशी

जीवन विज्ञान संतुलित एवं परिपूर्ण शिक्षा पद्धति है। शिक्षा के चार आयाम है– 1. शारीरिक विकास, 2. बौद्धिक विकास, 3. मानसिक विकास, 4. भावनात्मक विकास।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शारीरिक और बौद्धिक विकास पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है किन्तु मानसिक और भावनात्मक विकास उपेक्षित है। जीवन विज्ञान संतुलित शिक्षा प्रणाली है क्योंकि इसमें शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ-साथ मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है।

आचार्य महाप्रज्ञ जी की दृष्टि में शिक्षा प्रणाली में संतुलन स्थापित करने वाले चार तत्त्व हैं– 1. प्राणधारा का संतुलन, 2. जैविक संतुलन, 3. क्षमता की आस्था का जागरण, 4. परिष्कार-दृष्टिकोण, भावना एवं व्यवहार का परिष्कार।

1. प्राणधारा का संतुलन– मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए प्राणधारा का विकास और संतुलन आवश्यक है। प्राण के दो प्रवाह हैं– ईड़ा और पिंगला। ये प्राचीन योगशास्त्रीय नाम है। आज की शरीरशास्त्रीय भाषा में एक का नाम है– अनुकम्पी नाड़ीतंत्र और दूसरी का नाम है– परानुकम्पी नाड़ीतंत्र।

प्राण के इन दोनों प्रवाहों में जब तक संतुलन नहीं होता, तब तक हम जिस प्रकार के विद्यार्थी की परिकल्पना करते हैं, वह परिकल्पना सार्थक नहीं होती। जब प्राण का एक प्रवाह अधिक सक्रिय हो जाता है तो उद्दण्डता और उच्छृंखलता पनपती है, हिंसक और तोड़-फोड़ की वृत्ति बढ़ती है। यह सारा कार्य दाईं प्राणधारा की सक्रियता का परिणाम है। यदि प्राणधारा का बायां प्रवाह सक्रिय होता है तो व्यक्ति में हीन भावना का विकास होता है, भय की वृत्ति बढ़ती है, दुर्बलता आती है। दोनों का संतुलन सधने पर संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसके लिए समवृत्ति श्वास-प्रेक्षा का अभ्यास बहुत महत्त्वपूर्ण है।

2. जैविक संतुलन– व्यक्तित्व का मौलिक रूप जैविक निर्धारकों (Biological factors) पर निर्भर करता है। इस मौलिक स्वरूप का विकास विभिन्न तरह से परिस्थिति के अनुसार होता है व्यक्ति में जिन अंगों के द्वारा व्यक्तित्व सम्बन्धी मौलिक तत्त्व अभिव्यक्ति पाते हैं, उनमें प्रमुख हैं– 1. शरीर-रचना (Physique), 2. अन्तःस्रावी ग्रंथियाँ (Endocrine Glands), 3. तन्त्रिका तन्त्र (Enrvous System), 4. बुद्धि (Intelligence)।

इन सभी जैविक तत्त्वों का संतुलन स्वस्थ व्यक्तित्व निर्माण के लिए एक आवश्यक शर्त है। प्रेक्षाध्यान के प्रयोगों से इनमें संतुलन स्थापित किया जाता है।

हमारे मस्तिष्क के दो पटल (Hemisphere) हैं– दायां पटल तथा बायां पटल। बायां भाग तर्क, गणित, भाषा से सम्बन्धित है तथा दायां भाग अध्यात्म, अन्तश्चेतना, आन्तरिक गुणों से सम्बन्धित है। आधुनिक शिक्षा में बायें पटल को सक्रिय करने वाले अनेक तत्त्व हैं किन्तु दायां पटल निष्क्रिय अवस्था में रहता है, उसको सक्रिय करने वाले तत्त्व आज की शिक्षा में नहीं है। जीवन विज्ञान इन दोनों में संतुलन स्थापित करता है।

3. क्षमता की आस्था का जागरण– व्यक्ति के भीतर अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्द है लेकिन व्यक्ति अपनी क्षमताओं से अनभिज्ञ होने के कारण उसका सही उपयोग नहीं कर पाता। आस्था का निर्माण करना बहुत बड़ी निष्पत्ति है। जब आस्था लड़खड़ा जाती है, तब व्यक्ति के घुटने टिक जाते हैं। जीवन-विज्ञान के द्वारा व्यक्ति में इस आस्था का जागरण किया जाता है कि उसमें अनन्त क्षमताएँ हैं। उन्हें जागृत किया जा सकता है तथा उचित प्रयत्न, दृढ़ अध्यवसाय और उचित साधन सामग्री के प्रयोग से प्रत्येक कार्य को संभव बनाया जा सकता है।

4. मनोवृत्तियों का परिष्कार– मनोविज्ञान में चौदह मौलिक मनोवृत्तियों का उल्लेख मिलता है, जो प्राणी मात्र में होती है। बुरी वृत्तियों के परिष्कार और अच्छी वृत्तियों के निर्माण हेतु जीवन विज्ञान में अनुप्रेक्षा, लेश्याध्यान आदि के प्रयोग करवाये जाते हैं। क्योंकि परिष्कार के बिना शिक्षा-प्रणाली को संतुलित नहीं कहा जा सकता। शिक्षा के साथ परिष्कार के सूत्र अवश्य जुड़े होने चाहिए, ताकि विद्यार्थी के अपरिष्कृत दृष्टिकोण, व्यवहार और भाव परिष्कृत बनते जाएँ। मिथ्या दृष्टिकोण, मिथ्या व्यवहार और मिथ्या भावना– ये तीनों मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं तथा सम्यग् दृष्टिकोण, सम्यग् व्यवहार और सम्यग् धाव उत्थान की ओर ले जाते हैं।

जीवन विज्ञान में इस बात पर विचार किया गया है कि हमारे दृष्टिकोण, व्यवहार और भाव पर हाइपोथेलेमस और अन्तःस्रावी ग्रन्थियों का नियंत्रण है। पीनियत और पिच्यूटरी– ये ग्रंथियाँ इनको संचालित करती हैं अतः इन ग्रंथियों के स्राव को परिष्कृत कर हम दृष्टिकोण, व्यवहार और भाव को परिष्कृत कर सकते हैं। चैतन्य केन्द्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान एवं भावना के प्रयोग स्राव परिष्कार के महत्त्वपूर्ण प्रयोग हैं।

जीवन विज्ञान की कल्पना आध्यात्मिक-वैज्ञानिक व्यक्तित्व के निर्माण की कल्पना है। इस पाठ्यक्रम में विज्ञान और अध्यात्म का समुचित प्रबन्धन है। आचार्य महाप्रज्ञजी के शब्दों में– अध्यात्म और विज्ञान एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों का सापेक्ष विकास जरूरी है। उनकी दृष्टि में आध्यात्मिक व्यक्तित्व की कसौटियाँ हैं– 1. आत्मौपम्य की भावना का विकास। 2. इन्द्रिय और मन पर संयम। 3. दमित वासनाओं का परिष्कार। 4. अनासक्ति का विकास।

वैज्ञानिक व्यक्तित्व की कसौटी है– सत्य की खोज, चेतना की खोज, मानव की खोज।

अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही सत्य की खोज के मार्ग हैं। वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक दृष्टि अपेक्षित है और शांतिपूर्ण जीवन के लिए आध्यात्मिकता भी अनिवार्य है। आध्यात्मिकता + वैज्ञानिकता = आध्यात्मिक-वैज्ञानिक व्यक्तित्व। आज की अपेक्षा है विद्यार्थी न कोरा आध्यात्मिक बनें और न कोरा वैज्ञानिक बनें अपितु आध्यात्मिक-वैज्ञानिक बनें। इन दोनों का योग ही शिक्षा की समस्या का समाधान है और यही जीवन विज्ञान का प्रस्थान है।

–प्राध्यापक हिन्दी
रा.उ.मा.वि. सुवाणा (भीलवाड़ा)

वैश्विक परिदृश्य में शिक्षक शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी

❑ डॉ. विकास मोदी

आज का युग वैज्ञानिक युग है। आज प्रत्येक जगह विज्ञान के ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। आज हम इक्कीसवीं 'शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं और यह शताब्दी सूचना तकनीक की शताब्दी है', जो चीजें पहले किस्से कहानियाँ की बातें हुआ करती थीं, वे कल्पनाएँ आज साकार हो गई हैं। पहले के समय में कबूतर उड़ाकर संदेश भेजने के पौराणिक तरीकों से शुरू हुआ सूचना संप्रेषण का काम आज अपने विकास के चरम पर पहुँच चुका है। सूचना संप्रेषण की तमाम पुरानी तकनीकें आज अतीत की बातें बन चुकी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लम्बे सफर के बाद आज सम्पूर्ण विश्व एक वैश्विक ग्राम में परिवर्तित हो गया है। यहाँ सूचना की परिभाषा भी जान लेना आवश्यक है। विभिन्न विद्वानों ने इसे इस प्रकार से परिभाषित किया है–

शेरा के अनुसार– जब जानने वाले और जानकार के बीच अन्तःक्रिया होती है तो सूचना की उत्पत्ति होती है।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार– सूचना का अर्थ सूचित करना, बताई गई बात, ज्ञान की वस्तुएँ, समाचार आदि से।

आज शिक्षा केवल गाँव के छोटे से कक्षा-कक्ष तक या पाठ्यपुस्तक के गिने-चुने पृष्ठों तक सीमित नहीं रह सकती। आज इंदिरागाँधी खुला विश्वविद्यालय शिक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। रेडियो कॉन्फ्रेन्सिंग कक्षा कार्यक्रम में अनेक स्थानों के छात्र भाग ले सकते हैं। वे आपस में संवाद भी कर सकते हैं। दिल्ली में बैठा अध्यापक पूरे कार्यक्रम का संचालन करता है और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करता है। आज अमेरिका और कनाड़ा में प्रत्येक विद्यार्थी का ई-मेल एकाउण्ट है या फिर उसे विद्यालयी या विश्वविद्यालयी कम्प्यूटर व्यवस्था सुगमता से उपलब्ध है। जिससे अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य संवाद की समस्या का निराकरण हो गया है। भारत ने भी सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 1999 के अन्तर्गत अपने आप को सूचना संपदा से सुसज्जित परम राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प ले लिया है। राजस्थान सरकार ने भी कक्षा 9 से 12 तक में दो वर्ष अनिवार्य रूप से कम्प्यूटर शिक्षण कर दिया है।

भारतवर्ष में दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि कॉलेज व विश्वविद्यालयी शिक्षकों को यू.जी.सी. नेट के द्वारा आपस में इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाये। शिक्षकों और प्रशासकों को कम्प्यूटर व इंटरनेट साक्षरता प्रदान की जाये। विभिन्न मंत्रालय यू.जी.सी., मुक्त शिक्षा संस्थान, एन.सी.टी.ई., एन.सी.ई.आर.टी., स्कूल बोर्ड तथा अन्य संगठन भी शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संचार तकनीकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारत सरकार का विचार है कि सभी स्कूलों में कम्प्यूटर और इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाए। लेकिन इन सुविधाओं का लाभ तभी मिल सकता है, जबकि विद्यालयी या विश्वविद्यालयी शिक्षक कम्प्यूटर व इंटरनेट के प्रयोग के लिए सक्षम होंगे।

अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह सकता। सेवारत एवं सेवापूर्व अध्यापकों को भी ई-लर्निंग वातावरण में समायोजित होने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी ये अध्यापक ई-शिक्षक का दायित्व भली-भाँति निभा सकेंगे। छात्रों की आवश्यकताएँ आज के युग में बढ़ गई हैं, इसलिए नई शिक्षण-अधिगम विधियों और तकनीकों की आवश्यकता है। अध्यापक ही मुख्य बिन्दु है जो छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभा सकता है। इसलिए शिक्षक शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए बदलाव की आवश्यकता है। इस दृष्टि से शिक्षा व्यवस्थाओं की कार्य साधकता के जरिए स्थाई एवं प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने हेतु अध्यापकों को सूचना प्रौद्योगिकी के सूचित अनुप्रयोग में प्रवीणता विकसित करनी होगी। आज सूचना विस्फोट इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है कि शिक्षित व्यक्ति भी यह महसूस करता है कि वह भी अशिक्षित है, क्योंकि यह सूचना विस्फोट से सन्तुलन स्थापित नहीं कर पाता है। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि हम विस्फोट से संतुलन कैसे स्थापित करें? शिक्षक-शिक्षा में गुणवत्ता स्तर के परिशोध व विकास में सूचना-तकनीकी ने एक क्रान्ति ला दी है। वर्तमान में छात्र अपने स्थान पर ही रहकर इन्टरनेट की सहायता से अपने ज्ञान को अद्यतन बनाने में सक्षम है। सूचना प्रौद्योगिकी कक्षागत परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की विधियों को समन्वित रूप में प्रयोग करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके प्रयोग से आज अध्यापक-शिक्षा में अद्यतन सूचनाओं को छात्रों तक पहुँचाने में विशेष मदद मिली है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ई-वर्कशॉप, ऑन लाइन पाठ्यक्रम तथा ई-सेमीनार द्वारा अध्यापक अपने आप को नवीन जानकारियों से युक्त रख सकता है। शिक्षक-प्रशिक्षकों को अपने शिक्षण के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में अग्रणी बनना होगा। शिक्षकों को ऐसे क्षेत्र खोजने होंगे जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जा सके। छात्रों की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बदलाव लाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता शिक्षकों को अधिक से अधिक सीखने के अवसर प्रदान करने की है। क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के कारण अधिगमकर्त्ता के पास सीखने के समय, जगह और पढ़ने की स्वतंत्रता है। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शिक्षकों को नई तकनीक के उपयोग, विभिन्न कौशलों से युक्त तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग करने के योग्य बनाना आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाया जाये कि शिक्षक ई-लर्नर, ई-वातावरण की

विशेषताओं को जान सके तथा उसी के अनुरूप सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षण की व्यवस्था कर सके। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मात्र कम्प्यूटर साक्षरता को सम्मिलित न करते हुए शिक्षण-अधिगम को प्रभावी बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग किया जाये इसका प्रशिक्षण देना अत्यन्त आवश्यक है। इस बदलते संदर्भ में नवीन दक्षताओं में प्रवीण ऐसे शिक्षकों की तैयारी सुनिश्चित करनी होगी जो सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोगी अनुप्रयोग को अपनी शिक्षण-अधिगम व्यवस्थाओं में केवल जोड़े ही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से शिक्षा एवं शिक्षण की प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं में सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन की युक्तियों एवं रणनीतियों को प्रभावी स्वरूप दे सके।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने सूचना संचार तकनीकी से सम्बन्धित विषयों को बी.एड. पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। साथ ही शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में यह अध्यादेश लागू किया गया है कि वे अपने पाठ्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी को केन्द्रीय विषय के रूप में ग्रहण करें।

उपयुक्त प्रयासों के बाद भी वर्तमान परिदृश्य यह है कि शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उपयुक्त स्तर की सूचना-संचार तकनीकी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर प्रयोगशालाएँ हैं भी तो केवल प्रदर्शनी के लिए हैं, प्रयोग के लिए नहीं, कारण स्पष्ट है, विद्यालयी शिक्षा का शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के साथ तालमेल नहीं है। अतएव आवश्यकता है शिक्षण-प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के साथ सूचना प्रौद्योगिकी को समाकलित किया जाये। अध्यापक शिक्षा प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग होती है अतएव इस संदर्भ में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों को एक नवीन परिप्रेक्ष्य में रखते हुए उन्हें सार्थक भूमिका का निर्वहन करना होगा। अंत में यह कहा जा सकता है कि यदि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है और भावी शिक्षकों को वैश्विक दृष्टि से तैयार करना है तो हमें सूचना प्रौद्योगिकी को इसका महत्वपूर्ण अंग बनाना होगा।

–5/बी/119, कुड़ी भगतासनी हा. बोर्ड, बासनी
जोधपुर-342005

आत्मविश्वास की नींव पर सफलता की मंजिल

❑ उषा टेलर

युवाओं से पूछे गए कई प्रश्नों जैसे– आप कोई कार्य प्रारम्भ कैसे करते हैं? किसी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व आप क्या सोचते हैं? परीक्षाओं की तैयारी से पूर्व आपके मन में क्या द्वन्द्व चलता रहता है? आदि-आदि। प्रत्युत्तर में प्राप्त होता है– 'तब मन में संशय रहता है कि पता नहीं क्या होगा, काम कैसे हो पाएगा, परीक्षा में अच्छे नम्बर मिलेंगे या नहीं...।' बस यही गड़बड़ है। जैसे ही आप के मन में किसी काम के आरम्भ में ही संशय आ गया, तो फिर समझ लो उस कार्य में सफलता मिलने की सम्भावना आधी है। इस संशय का कारण है स्वयं पर विश्वास की कमी। हमें स्वयं पर विश्वास नहीं होता, लिहाजा हमें कोई भी कार्य ठीक प्रकार से होने का संशय बना रहता है। मन में शंका उभरने लगती है। ये शंकायें तेज गति से अपना प्रभाव फैलाती जाती है और हमारा मन निराशा की ओर बढ़ने लगता है। हमारे मन की सकारात्मक शक्ति क्षीण होने लगती है और सामने असफलता दिखाई देने लगती है।

इतिहास उठाकर देखें तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने मन में दृढ़ता के सहारे ही बड़ी सफलताएँ अर्जित की हैं। क्रिस्टोफरकोलम्बस द्वारा समुद्री रास्ते से अमेरिका की खोज तेनजिंग हिलेरी द्वारा एवरेस्ट पर विजय, कल्पना चावला द्वारा अन्तरिक्ष मिशन पर पहुँचना, अभिनव बिन्द्रा द्वारा ओलम्पिक मेड़ल हासिल करना ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण हैं जिनकी सफलता का रहस्य है– **मन में दृढ़ विश्वास।** इसके लिए उपाय एक सरल प्रयोग करके देखें। प्रातः उठें तब मन में 10-15 बार दोहरायें 'आज मैं क्रोध नहीं करूँगा' और देखिए फिर चमत्कार। दिन भर में भी जब आपको लगे कि आप इससे कहीं भटक रहे हैं, तब यही वाक्य मन में फिर से 10-15 बार दोहरा लें। रात्रि को सोते समय जब पूरे दिन की गतिविधियों पर चिन्तन करेंगे, तो आपको यह जानकर हर्ष एवं आश्चर्य होगा कि अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपने सभी कार्य बड़ी सहजता से सरलता से सम्पन्न किये हैं, यही है मन के विश्वास की शक्ति। यही विश्वास किसी कार्य को प्रारम्भ करने से पहिले कई बार दोहरायें– 'यह कार्य मैं अवश्य कर लूँगा।' परीक्षा की तैयारी करते समय मन में यही विचार कि 'मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूँगा। बिना संशय लाये मन में स्वयं पर विश्वास दृढ़ कीजिए कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ। मुझमें इतनी क्षमता है 'आप पायेंगे कि कठिन लगने वाले कार्य भी सहज हो गये हैं।'

बुजुर्गों ने भी कहा है कि– 'मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत' तो फिर अभी से स्वयं पर विश्वास को दृढ़ करने की प्रक्रिया शुरू कर दें।

एक बार आपके मन यह विश्वास जम गया कि आप यह कर सकते हैं तो फिर उस काम में आपकी सफलता सुनिश्चित है। मन में विश्वास की यही शक्ति हमें मिलती है ईश्वर के प्रति श्रद्धा के माध्यम से। हमारे मन में ईश्वर के प्रति जितनी श्रद्धा होगी, हमारे स्वयं पर विश्वास उतना ही दृढ़ होगा।

फिर देखिए आपको हर कदम पर सफलता मिलती चली जाएगी।

–प्रधानाध्यापिका
रा.बा.मा.वि., कुरज, राजसमन्द

शांति गतिविधियों के लिए सुझाव

- स्कूल में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के उत्सवों का आयोजन किया जाए।
- ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो।

(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 - पृष्ठ 70)

व्यक्तित्व उत्कर्ष नैतिक शिक्षा द्वारा ही संभव

❑ रेखा शर्मा

"Morality can not be taught but caught"

'स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षकों पृथिव्यां मानवः' अर्थात् हम अपने-अपने चरित्र से पृथ्वी के समस्त मानवों को शिक्षा दें। श्रेष्ठ आचरणों को जीवन में उतारें। नैतिक शिक्षा के लिए केवल अच्छी बातों का ज्ञान समुचित नहीं है, उन बातों को चरित्र में उतारना आवश्यक है। तभी भावी पीढ़ी आत्मचिन्तन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण व आत्मविश्वास के पथ पर अग्रसर हो सकती है।

किसी को उत्तराधिकार में कितनी सम्पत्ति मिली है इसे कौन जानता है किन्तु संस्कार कैसे दिए हैं इसे परिवार ही नहीं, समाज, देश व राष्ट्र भी जानता है। बालक के जीवन में कोई विसंगति पनपती है तो प्रथमतः यह दोष जाता है उसकी माँ ने उसे कैसे संस्कार दिए हैं। विद्यालय के सम्पर्क में आने पर असंस्कारित निकले तो दोष जाता है शिक्षक को। महाभारत की कथा के अनुसार अभिमन्यु द्वारा माता के उदर में ही चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। ऋषि वामदेव ने गर्भ में शयन करते हुए ज्ञान प्राप्त कर लिया था।' तकदीर तो पत्थर की भी बदल सकती है यदि उसे सलीके से तराशा जाय। कौन नहीं जानता शिवाजी को शिवाजी बनाने में उनकी माँ जीजाबाई का कितना योगदान था। गुरु चाणक्य की साधना व निष्ठा के परिणामस्वरूप मिला देश को चन्द्रगुप्त जैसा महान सम्राट।

'शोचाचारांश्च शिक्षयेत' अर्थात् शुद्ध आचार शिक्षा लेना ही शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है। वास्तव में शिक्षा संस्कार प्रक्रिया है। इसके माध्यम से शरीर मन, बुद्धि व आत्मा को संस्कारित कर व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। विडम्बना यह है स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे विद्यालय विदेशी संस्कृति के क्रीड़ा स्थल बनते जा रहे हैं। आज होड़ इस बात की है कि कौन अधिक से अधिक अभारतीय है। भारतीय जीवन-मूल्यों से दूर होना सभ्य होने का प्रतीक माना जा रहा है। मानव-मूल्य तिरोहित होते जा रहे हैं चहुँओर अनैतिकता का बोलबाला है। लूटखसोट, बलात्कार, छीना-झपटी जैसी अमानवीय घटनाएँ सामान्य होती जा रही है। 'जिसके घर में कामयाबी का शज़र लगता है उसके हर ऐब हुनर लगते हैं।' वाली बात चरितार्थ हो रही है। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गाँधीजी व इनके उपदेशों को दकियानूसी मानते हैं। सीता, द्रोपदी व सावित्री की जीवनी पढ़ना उनकी दृष्टि में नारी स्वातंत्र्य और गरिमा के प्रतिकूल है। फैशनपरस्ती में रमी नारी अपनी ही नजर में खरी नहीं उतर रही है। शीशे के सामने खड़ी होकर जब वह अपना मूल्यांकन करती है तो उसे अपना अक्स धुँधला प्रतीत होता है। ईश्वर की सबसे प्यारी कृति माँ संस्कार विहीन होकर अपकीर्ति की ओर अग्रसर हो रही है। माँ की ममता, स्नेह, स्पर्श व गुदगुदाने व गुनगुनाने में संस्कारों का अद्भुत खजाना भरा पड़ा है। नारी माँ के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करने से बच नहीं सकती।

भावी पीढ़ी को संस्कारित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। एक डॉक्टर की गलतियों को शमशान में दफनाया जा सकता है, एक इंजीनियर की गलतियों को मिट्टी में दबाया जा सकता है, एक प्रशासक की गलती को फाइलों में छिपाया जा सकता है, किन्तु एक शिक्षक की गलती राष्ट्र के चरित्र में झलकती है। कितना अटूट विश्वास है, श्रद्धा है। क्या शिक्षक बदलते परिवेश में खरा उतरेगा? शिक्षक व बालक दोनों समाज के अभिन्न अंग हैं। सामाजिक विषमता व सामाजिक वैचारिक प्रदूषण से सभी भलीभाँति परिचित हैं। दूधिया दूध में पानी मिला सकता है, हलवाई खोवे में विषाक्त खाद मिला दे, चाहे समाज के अन्य व्यक्ति संस्कारहीन हो, यह सहन किया जा सकता है किन्तु शिक्षक-केवल संस्कारी आदर्श शिक्षक भावी पीढ़ी का संरक्षक, अभिभावक किसी भी मूल्य पर इससे कम नहीं स्वीकारा जा सकता। एक समय था जब गुरु अपने ऊपर अनुभव करके जीवन जीते थे। वे समाज के श्रेष्ठ प्रमाण-पुरुष होते थे। वर्तमान व भावी पीढ़ी के रहनुमा होते थे। आज न तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, चाणक्य जैसे गुरु हैं न ही एकलव्य, अर्जुन, राम व कृष्ण जैसे शिष्य। सच तो यह है माँ व गुरु दोनों अपनी पहचान खो चुके हैं। इसके लिए समाज भी कम उत्तरदायी नहीं है। प्रतिकूलता अनुकूलता होती जा रही है। संस्कार विहीनता ने सब कुछ गुड़-गोबर कर दिया है। 'सादा जीवन उच्च विचार' जीवन का आदर्श होता था। विवेकानन्द जी के व्यक्तित्व की जीवन की घटना याद आती है– विवेकानन्द जी द्वारा पहने वस्त्रों पर एक अमेरिकन महिला के कटाक्ष करने पर उन्होंने उत्तर दिया 'Madam, In my country It is charactor that makes a great and gentle man, but in your country It is tailor who makes a great and gentle man.'

भारत में आदर्श मानव के उत्कृष्टता की पहचान उसका चरित्र होता है वेशभूषा नहीं, न दौलत, न शोहरत, न नाम, न ज्ञान केवल चरित्र ही सर्वत्र पूजनीय होता है। विवेकानन्द जी ने कहा है– Charactor is like a tree and Reputation is like a Shadow.

केवल शिक्षा, विद्यालय से ही नहीं मिलती। हाट, बाट, साथ व आत्मसात प्रकृति, संस्कार के स्रोत हैं। समाज को भौतिकवादी संकीर्ण दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। डॉक्टर व इंजीनियर जीविकोपार्जन के साधन तो बन सकते हैं जीवन निर्माण के नहीं। चीन में कहावत है– 'If you plan for ten years plan tree, and If you plan for hundred years plan for man.'

वास्तविक शिक्षा मानवीय मूल्य प्रक्रिया ही है। मानव जिन मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं व बन्धनों को अंगीकार व आचरित कर आदर्श

जीवन की स्थापना करता है वही जीवन मूल्य है, नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा का सीधा सम्बन्ध आचरण से है। श्रेष्ठजन आदर्श आचरण में भावी पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करते थे। नैतिक मूल्य समाज की अमूल्य धरोहर है। क्योंकि यदि नैतिक मूल्य नष्ट हो जाय तो उस समाज, देश व राष्ट्र का पतन अवश्यम्भावी है।

विद्यालय ऐसी महत्त्वपूर्ण इकाई है जहाँ से बालक-बालिकाओं को स्वस्थ वातावरण मिलता है। आज अमानवीय मूल्य व अमानवीय व्यवहार दोनों का बोलबाला है। इतिहास साक्षी है कि निराशाजनक व विषय परिस्थितियों में केवल शिक्षक ने ही अपनी सार्थकता सिद्ध ही नहीं की अपितु भावी पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त किया है। यदि केन्द्र दृढ़ होता है तो वृत ठीक बनता है। शिक्षक राष्ट्र की धुरी है, समाज की रीढ़ है, संस्कारों का इंसानियत का हिदायती है व समाज का आदर्श है। आदर्श शिक्षक द्वारा आचरित व्यवहार का बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गाँधी, महावीर, बुद्ध, राम व कृष्ण का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है।

भारतीय संस्कृति जिसके मूल में त्याग, बलिदान एवं चारित्रिक उत्थान की भावना सर्वोपरि है। सामाजिक सांस्कृतिक की चरित्र निर्माण व नैतिक गुणों को विकसित करने में अहम् भूमिका होती है।

नैतिक मूल्यों के संवर्धन हेतु विद्यालय का समग्र वातावरण प्रेरणाप्रद स्थल बनाये जाने का प्रयास अपेक्षित है। शैक्षिक व सामाजिक मूल्यों के संवर्धन हेतु प्रार्थना स्थल नींव का पत्थर साबित हो सकता है। सद्व्यवहार, सादगी, आज्ञाकारिता, अनुशासन, स्वच्छता, ईमानदारी आदि गुण, कहानी कथन, महापुरुषों के प्रवचन, अतिथियों के सार्थक उद्बोधन द्वारा सहज ही आत्मसात कराये जा सकते हैं।

राष्ट्रीय व सामाजिक समारोह आयोजन के द्वारा उत्तरदायित्व बोध, सहयोग, सहनशीलता, सद्भावना, प्रेम, देश-प्रेम, देशभक्ति और समय की पाबन्दी सहज ही सिखाये जा सकते हैं। अपाहिज और वृद्ध व्यक्तियों की सहायता व सेवा का अवसर प्रदान कर मानवीय संवेदनाओं का अहसास कराया जा सकता है। बड़ों का अभिवादन व सम्मान करने से आयु, विद्या, मान-प्रतिष्ठा तथा सद्गुणों की वृद्धि होती है– केवल आवश्यकता है, मार्ग-प्रशस्त व आदर्श प्रस्तुत कर अनुकरण बोध कराने की।

बालकों का चरित्र निर्माण करना शिक्षक का कर्म है तो धर्म भी है। शिक्षक के नाते हम संकल्प लें। नैतिक मूल्यों की मशाल जलाकर हम बढ़ें, 'गगन की ऊँचाइयाँ छूने, जहाँ मानव मूल्यों का अविरल स्रोत आपके अन्तर्मन को आनन्द विभोर करने को तत्पर है।' कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत/उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत।

–अध्यापिका, रा.उ.प्रा.वि. नोंह, भरतपुर

संवेदना ने बदली दशा और दिशा

❑ आभा मेहता

अन्धता प्रकृति और जगत नियामक का असहनीय दण्ड है। इस दण्ड की अनुभूति ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है त्यों-त्यों अधिक होती जाती है। हमारे डाइट में ऐसे ही अन्धता के अभिशाप से ग्रसित विकास मीणा ने बी.एस.टी.सी. में प्रवेश लिया। एक तो अन्धता और ऊपर से गरीबी। विकास मीणा के लिए बड़ी समस्याएँ थी। इन कमियों के कारण कई बार उसका व्यवहार भी असामान्य हो जाता था। मैंने और डाइट की उप प्रधानाचार्य ने मय स्टाफ इस दर्द को समझा। हमने गहन विचार-विमर्श के बाद यह तय किया कि मीणा का आत्म विश्वास बढ़ाया जाय और हीनता बोध मिटाया जाये। उसकी हर अच्छाई पर उसे प्रभावी उत्प्रेरण दिया जाये। प्रशंसा की जाये। हम प्रार्थना सभा, सार्वजनिक कार्यक्रम एवं अन्य स्थलों में उसकी प्रशंसा करते। इससे थोड़ा-थोड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा।

इसके पश्चात् उप प्रधानाचार्य ने अपने सम्पर्कों के आधार पर महावीर इन्टरनेशनल, डूंगरपुर से इसको छात्रवृत्ति दिलाई तथा मैंने महावीर इन्टरनेशनल, डूंगरपुर के रजत जयन्ती वर्ष तथा संभाग स्तरीय सम्मेलन में उसे प्रशस्ति-पत्र, अभिनन्दन-पत्र तथा मय प्रतीक चिह्न शाल ओढाने के लिए उप प्रधानाचार्य के साथ सहयोग किया। मैंने महावीर इन्टरनेशनल के अभिनन्दन-पत्र लेखक श्री प्रेमांशुराम मेहता से भी विशेष आग्रह किया कि अभिनन्दन-पत्र में ऐसे वाक्यों एवं शब्दों का प्रयोग किया जाय तथा समारोह में पढ़कर सुनाया जाये कि उसका आत्म-विश्वास बढ़े, हीनता बोध न रहे तथा उत्साह का, नव ऊर्जा का अहसास हो चूँकि श्री प्रेमांशुराम मेहता स्वयं सरकारी विद्यालय के संवेदनशील प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने मेरी भावना को तत्काल समझ लिया। विकास मीणा का भव्य समारोह में, विशाल जन-समूह में सम्मान हुआ। शॉल एवं प्रतीक चिह्न दिये गये। अभिनन्दन-पत्र का एक-एक शब्द, एक-एक वाक्य विकास के लिए संजीवनी साबित हुआ। उसने आगे बढ़कर माइक पर खड़े होकर सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।

हमारे इस एक कदम ने विकास मीणा का कायाकल्प कर दिया है। उसका असामान्य नकारात्मक आचरण परिवर्तित हो गया है। वह सकारात्मक सोच वाला बनता जा रहा है। न केवल स्वयं अच्छा अध्ययन कर रहा है अपितु अन्य अन्ध विद्यार्थियों एवं विकलांगों के लिए प्रेरक बन रहा है। फलौज ग्राम पंचायत के अन्ध विद्यालय के विद्यार्थी भी उससे प्रेरणा लेकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कई विकलांग एवं अन्धे छात्र-छात्राएं जिन्होंने लम्बे समय से पढ़ाई छोड़ रखी थी, उनको भी पढ़ाई से जोड़ने का वह प्रयत्न कर रहा है। कई विद्यार्थियों को स्टेट ओपन परीक्षा से भी जोड़ा है। वास्तव में मानवीय संवेदना से युक्त हमारे एक कदम ने उसका कायाकल्प कर दिया है। इससे विकास मीणा की दशा और दिशा बदल गई है।

–प्रधानाचार्य, डाईट, डूँगरपुर

सरस्वती के प्रतीक

❑ साँवलाराम नामा

या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता।
या वीणा वरदण्ड मण्डित करा या श्वेतपद्मासना॥
या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता।
सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा॥

(अर्थात्– जो देवी कुन्द पुष्प जैसी, चन्द्र जैसी और बर्फ की बूँदों जैसी सफेद माला वाली, सफेद वस्त्र वाली, जो सफेद कमल के आसन पर बैठी है। जिस देवी का ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इत्यादि देवता सदा वंदन करते हैं और जो बुद्धि की जड़ता को मूल से नाश करती है, ऐसी हे भगवती सरस्वती देवी ! मेरी रक्षा करो।)

सरस्वती निराकार ईश्वर की एक शक्ति है, ईश्वर के निराकार अनुपम स्वरूप को ज्ञान योगी, ऋषि, मुनि अपनी कुशाग्र बुद्धि से कर सकते हैं, पर जनसाधारण को एक अदृश्य शक्ति का ज्ञान कराना बड़ा ही कठिन है। इसलिए प्राचीन ऋषि-मुनियों ने प्रतीकवाद का नवीन वैज्ञानिक रूप निकाला था। ऋषि-मुनियों द्वारा अनुभूत निराकार ईश्वर की अनेक शक्तियाँ ही हमारे तैंतीस करोड़ देवी-देवता हैं। प्रत्येक देवी-देवता एक मुख्य शक्ति (बल, ताकत) का प्रतीक हैं। जो अपने आप में अद्भुत हैं।

मनोविज्ञान का यह अटल सिद्धान्त है कि हम जिस शक्ति का अधिक देर तक चिन्तन, मनन, ध्यान करते हैं। उसी को अपनी आत्मा में अन्दर ग्रहण करते हैं। जो गुण, प्रभाव ईश्वर में हैं, वे ही हमारे आत्मा में ओतप्रोत हैं। इस प्रकार ईश्वर की जिस शक्ति की हम भक्ति, आराधना करते हैं वही हमारे चरित्र निर्माण में विकसित हो जाती है। देवपूजा, अर्चना ईश्वर की शक्ति ग्रहण करने की मनोवैज्ञानिक निर्मल रीति-विधि है।

दिव्य, भव्य, दूरदृष्टि रखने वाले योगियों ने ईश्वर की शक्तियों की जो-जो आकृतियाँ तैयार की हैं, वे देवी-देवता कहलाती हैं। जैसे भाषा का अक्षर-विज्ञान सूक्ष्म आकृतियों पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार ईश्वरीय लिपि हमारे ये देवी-देवता हैं।

देवी सरस्वती कुन्द के फूल, चन्द्रमा और बर्फ के हार के समान श्वेतवर्णा है। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं। श्वेत पवित्रता का प्रतीक

है, वही शांति का सूचक भी। उनका आसन भी श्वेत है, उनके चार हाथ हैं। उनके एक हाथ में वीणा, एक हाथ में ज्ञानरूपी पुस्तक, एक हाथ में चिंतन के लिए माला है। एक हाथ अभय, आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। हंस उनका वाहन है।

सरस्वती जी के इस रूप और वाहन के आन्तरिक अर्थ और गुप्त संकेत को समझकर ही हमें उनकी आराधना, वंदना, प्रार्थना करनी चाहिए और उन आध्यात्मिक दैवी गुणों को जीवन में उतारने को सदैव प्रयत्न करना चाहिए। श्वेत रंग ज्ञान का प्रतीक है, देवी सरस्वती विद्या, बुद्धि और ज्ञान की त्रिवेणी देवी है। उनके चार हाथ हैं अर्थात् उनमें दो व्यक्तियों का शारीरिक बल है। उनके एक हाथ में वीणा संगीत कला की अद्भुत शक्ति, श्रद्धा प्रकट करती है। दूसरे हाथ में पुस्तक समस्त प्रकार के ज्ञान-विज्ञान, नीति, धर्मशास्त्रों के ज्ञान का प्रतीक है। एक हाथ में माला ज्ञान का धर्म के साथ समन्वय करती है। यह मनुष्य को इस बात का सुसन्देश देती है कि अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सर्वकल्याण की कामना, कर्तव्य होना चाहिए।

माता शारदा, वीणापाणि, सरस्वती जी का वाहन हंस है। हंस का गुण नीर-क्षीर विवेक है। वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। जो विद्या पढ़ लेता है, वह ज्ञानी, मनीषी बन जाता है, विदुषी बन जाती है। वह अच्छे-बुरे को समझने लगता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है।

मां सरस्वती का अवतरण वसंत पंचमी ऋतुराज वसंत के दिन ही हुआ था। इस दिन सम्पूर्ण सृष्टि नये रूप धारण कर चुकी होती है– *तरवर झरहि वन साखा। भई ओनत फूल फरि साखा॥ करहिं वनस्पति हिये हुलासू। मो कह भा जग दून उदासू॥*

कभी पुराने समय में विद्यार्थी वेद-अध्ययन का सत्र श्रावणी पूर्णिमा से आरम्भ करते थे। इसका समापन वसंत पंचमी के दिन होता था। इस दिन सरस्वती माँ पूजन आयोजन किया जाता था। नवीन संदर्भ में वसंत पंचमी के उत्सव से ही अपने अध्ययन को आशा, उमंग, उत्साह से प्रारम्भ करने का संदेश है।

कविवर निराला जी के काव्य में सरस्वती और वसंत का जगह-जगह पर अति सुन्दर चित्रण हुआ है। वीणापाणि सरस्वती और वसंत को एक साथ करते हुए कहा है– *'विश्वरूपिणी तुम हो तुम्हें मूर्ति में रचकर। पूजा की वसंत के दिन दीनता विरुच कर॥'*

सरस्वती विशुद्ध शुद्ध ज्ञानमय, आनन्दमय है। अतः उनके आराधनों के हृदय में सदा ज्ञानमय शांति रहती है। विपत्ति में वे समभाव से आनन्द में ही स्थित रहने में समर्थ हो जाते हैं सरस्वती पुत्र, जो अन्य साधना में असंभव है। दिव्य तेज और अपरिमेय व्यक्तित्व का उच्च पक्ष है। विद्वान उन्हें शब्द ब्रह्म नाम से जानते हैं। सरस्वती के विविध ध्यान आगमों में वर्णित हैं। कहीं पर इनको हंस के ऊपर, कहीं पर कमल पर स्थित बताया गया है। पूर्ण ज्ञान स्वरूपिणी होने से वे सदा आनन्दित रहती हैं। मुखमण्डल पर सदा मन्दस्मित प्रसन्नता, मधुरभाव बना रहता है। उनका ध्यान हम इस प्रकार से करते हैं– *हंसारूढ़ा हरहसितहारेन्दु कुन्दावदाता, वाणी मन्दस्मिततरमुखी।* मौलिक है जो विद्या प्रदान करती है।

आइए, सभी विद्यार्थीगण और शिक्षकगण हम मां सरस्वती की करबद्ध याचना सदा करें– *सरस्वति महाभागे ब्राह्मी कमल लोचने। विश्वरूपे विशालादक्षि विद्यां देहि नमोस्तुते॥*

–सदर बाजार रोड, भीनमाल-343029 (जालौर)

शिक्षा मानव की तीसरी आँख - ज्योति राव फुले

❑ भारत दोसी

जब हमारा देश अंग्रेजों की दासता में दबा हुआ था। वंचित, दलित, अति दलित, महिलाएँ व ग्रामीणों का जीवन सामाजिक व धार्मिक गुलामी के कारण नरक के समान था। चारों तरफ निरक्षरता, निर्धनता, अंधविश्वास, पाखण्ड, वर्ण, जाति, उपजाति का राज था अस्पृश्यता ही जीवन व्यवहार था ऐसे माहौल में महाराष्ट्र के पूना में 11 अप्रैल 1827 में गोविन्द राव फूले के घर में चिमना बाई ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम ज्योति रखा गया जो आगे जाकर शिक्षा की ज्योति जलाकर समाज बदलाव, दिशा, मार्गदर्शन का उजाला, रोशनी, प्रकाश बना।

दुर्भाग्य की जन्म के महज 9 माह बाद ही उनकी माता का निधन हो गया इससे परिवार पर कहर टूट पड़ा। जब ज्योति कुछ बड़ा हुआ तो पिताजी ने मराठी स्कूल में पढ़ने के लिए रख दिया। लेकिन पढ़ाई ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी वे खेती में पिताजी का सहयोग करने लगे। कहते हैं पूत के पांव पालड़े में ही दिख जाते हैं। प्रतिभा, गरीबी में भी दिखाई दी। पड़ौसियों ने ज्योति की इच्छा, लगन, योग्यता को देखा और उनके पिताजी पर दबाव डालकर ज्योति को पढ़ने के लिए स्कॉटिश मिशन स्कूल में रख दिया। ज्योति के लिए यह सुनहरा अवसर रहा उनका स्कूल में ठहराव बना रहा वे लगातार पढ़ते रहे, क्रमोन्नत होते गए। इसी बीच मात्र 12 वर्ष की आयु में झगड़े पाटिल की 9 वर्ष की लड़की सावित्री से उनका विवाह हो गया।

ज्योति के जीवन में बड़ा मोड़ 21 वर्ष की आयु में आया, वे अपने एक मित्र की शादी में गए। वहाँ जब मित्र के रिश्तेदारों को ज्योति की जाति का पता चला तो वे उनका अपमान करने लगे। ज्योति ने देखा कि उनसे कम पढ़े-लिखे, अस्वच्छ, नशेड़ी अपने आपको श्रेष्ठ मान रहे हैं। सिर्फ जाति के कारण उनका अपमान

किया गया है। तब उन्होंने सामाजिक गैर बराबरी को मिटाने का संकल्प लिया। उन्होंने समाज की दशा, दिशा का बारीकी से अध्ययन किया और वे इस निर्णय पर पहुँचे की शिक्षा से ही समता आधारित समाज की स्थापना की जा सकती है। इस बीच उन्होंने थॉमस पैन की पुस्तक 'राइट्स ऑफ मैन' का अध्ययन किया जिससे उनका निर्णय दृढ़ हो गया। उन्होंने शिक्षा की शुरुआत स्वयं के घर से की। अपनी निरक्षर पत्नी सावित्री को न सिर्फ पढ़ना-लिखना वरन पढ़ाना-लिखाना भी सिखाया। सन् 1848 में बालिका विद्यालय की स्थापना की। यह सम्भवतः लड़कियों का पहला स्कूल था। सावित्री इस स्कूल में पढ़ाती थी पर यह इतना आसान नहीं था। लोगों ने कड़ा विरोध किया, पत्थर फेंके। उन्हें घर से निकाल दिया गया परन्तु पति के कदम पर रखते हुए वे आगे बढ़ती गई। इसके बाद ज्योति राव ने लड़कियों के लिए दो, कामगारों के लिए सांध्यकालीन एक, अस्पृश्यों के लिए एक सहित कुल 18 स्कूल खोले। साथ ही 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम, पूना में लाइब्रेरी आदि की स्थापना की।

सन् 1855 में उन्होंने 'तृतीय रत्न' नामक नाटक लिखा जिसका संदेश था कि शिक्षा मानव की तीसरी आंख है। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 14 सितम्बर 1873 में सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की। यह संगठन शूद्रों, अति शूद्रों को शिक्षा देने, पाखण्ड व अंधविश्वास से दूर रहने व धार्मिक बातों को तर्क की कसौटी पर कसने की सलाह देने के साथ ही जनजागरण का काम करने लगा। इस अभियान को गतिशील बनाए रखने के लिए दीनबंधु नामक मुखपत्र भी शुरू किया। यह सब उस समय इतना सरल नहीं था लोगों ने अनेक बाधाएँ उपस्थित की, कष्ट दिए लेकिन ज्योति राव बढ़ते ही चले गए। जब वे बस्ती में जाते तो अपने भावों को काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करते 'विधा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन बिना शूद्र टूटे। अर्थात् मात्र विद्या के अभाव में इतने नुकसान हुए सब कुछ नष्ट हो गया गुलाम, शोषित, अछूत हो गए। यदि वापस उठ खड़े होना है तो शिक्षित बनों।

इसका असर भी दिखने लगा लोग पढ़ने लगे अपनी संतानों को शिक्षा देने लगे व ज्योति राव से स्नेह करने लगे। उनका आदर बढ़ गया। उन्हें 'बा' कहने लगे। ज्योति राव ने मराठी भाषा में इशारा, पोवाड़ा-छत्रपति शिवाजी भौसले, याचा, ब्रहाणंचे कसाब सहित अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तक 'गुलामगिरी' आज भी समाज को दिशा देती है। पाखण्ड व भेदभाव को दूर करने में सहायक है। उनका निधन मात्र 63 वर्ष की उम्र में 28 नवम्बर 1890 में पूना में हो गया। आज 120 वर्षों के बाद भी वे समाज को शिक्षा की ज्योति से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं।

–58/5, मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा (राज.)

सांस्कृतिक धरोहर : हमारा इतिहास

❑ सरदार सिंह चारण

तेरह अप्रैल को हम विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान सभ्यता भौतिकता की चकाचौंध व वैज्ञानिक युग में अपनी मूल सांस्कृतिक धरोहर व सांस्कृतिक मूल्यों से बहुत दूर होती जा रही है। विशेषतौर से तीसरी दुनिया के अर्द्धविकसित व अविकसित राष्ट्रों में इन धरोहरों की स्थिति उत्साहजनक नहीं है। इन राष्ट्रों के नागरिकों में अभी इनके संरक्षण की वो सोच विकसित नहीं हुई है जो सोच विकसित राष्ट्रों के नागरिकों व सरकारों में है। हमारी बहुत सी अमूल्य और बहुमूल्य धरोहर शनैः-शनैः संरक्षण के अभाव में नष्ट हो रही हैं। धार्मिक कट्टरता व इनके महत्व से बेखर समुदायों द्वारा भी ऐसी धरोहरों को नष्ट किया जा रहा है। जिसका उदाहरण– अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा बामीयान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति को नष्ट कर देना।

ये सांस्कृतिक धरोहर हमारा इतिहास व हमारा गौरव है इनके संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को प्रयासरत है। 1972 में सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर को पहचाननें संरक्षित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि– 'कंवेंशन कासनिग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज' की गई जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार थे– (1) देशों के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण को निश्चितता प्रदान करना, (2) किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तत्काल सहायता प्रदान करना, (3) विश्व विरासत के संरक्षण के लिए लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देना, (4) सम्पूर्ण विश्व को सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग देना। प्रतिवर्ष यूनेस्को 1 जुलाई को विश्व धरोहर सूची को अपडेट कर जारी करता है अब तक इस सूची में 138 देशों के 851 स्मारकों को शामिल किया गया है।

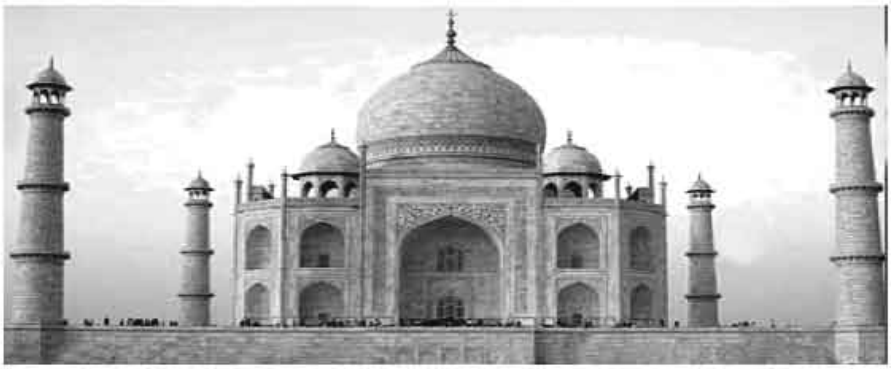

जिसमें भारत के केवल कुल 31 स्थलों को ही इस सूची में स्थान मिला है जो इस प्रकार हैं–

स्थान	राज्य	चयन वर्ष
1. आगरे का लाल किला	उत्तर प्रदेश	1983 से
2. अजन्ता गुफाएँ (औरंगाबाद)	महाराष्ट्र	1983
3. ऐलोरा गुफाएँ	महाराष्ट्र	1983
4. ताजमहल (आगरा)	उत्तर प्रदेश	1983
5. महाबलीपुरम के स्मारक	तमिलनाडु	1984
6. कोणार्क का सूर्य मन्दिर	ओड़िशा	1984
7. गोवा के चर्च (रोमन कैथेलिक सेन्ट फ्रांसिस जेवियर का चर्च)	गोवा	1986
8. फतेहपुर सीकरी	उत्तर प्रदेश	1986
9. हम्पी के अवशेष	कर्नाटक	1986
10. खजुराहो के मन्दिर	मध्यप्रदेश	1986
11. ऐलीफैंटा गुफाएँ (मुम्बई)	महाराष्ट्र	1987
12. वृहदेश्वर मन्दिर	तमिलनाडु	1987
13. महाबलिपुरम	तमिलनाडु	2004
14. पट्टादक्कल के स्मारक	कर्नाटक	1987
15. साँची का स्तूप	मध्यप्रदेश	1989
16. हुमायूँ का मकबरा	दिल्ली	1993
17. कुतुबमीनार (मेहरोली)	दिल्ली	1993
18. माउन्टेन रेलवे (1) दार्जिलिंग	प.बंगाल	1999
19. माउन्टेन रेलवे नीलगिरी एक्सप्रेस (ऊटी)	तमिलनाडु	2005
20. बोधगया का महाबोधि मन्दिर	बिहार	2002
21. भीम बेटका की गुफाएँ	मध्यप्रदेश	2003
22. चंपानेर पावगढ़ पार्क	गुजरात	2004
23. छत्रपति शिवाजी टर्मिनल	महाराष्ट्र	2004
24. दिल्ली का लाल किला	दिल्ली	2007
25. कुडी अट्टम्म (केरल की संस्कृत में नाट्य शैली)	केरल	2007
26. ऋग्वेद की 30 पाण्डुलिपियाँ जो 1800-1500 ई. पू. की हैं को 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में दर्ज किया है।		

भारत में विश्व धरोहर की प्राकृतिक साइड– 1. काजीरंगा सेन्चुरी (आसाम), 2. मनस सेन्चुरी (आसाम), 3. सुन्दर वन (पश्चिमी बंगाल), 4. नन्दा देवी नेशनल पार्क (उत्तराखण्ड), 5. केवलादेव वर्ल्ड सेन्चुरी (राजस्थान)।

यूनेस्को द्वारा जारी सूची में इन स्थलों का चयन के पश्चात ये सभी स्थल विश्व धरोहर हो जाते हैं। इनकी आपात स्थिति में रखरखाव संरक्षण तथा मरम्मत के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद यूनेस्को द्वारा प्रदान की जाती है तथा वित्तीय सहायता के रूप में 40 लाख डालर (करीब 16 करोड़ रुपये) की मदद दी जाती है। इनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थल को संरक्षण प्रदान किया जाता है जिसका संचालन विश्व विरासत कमेटी करती है।

यूनेस्को द्वारा इन स्थलों के चयन के 10 मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं उनके आधार पर इनका चयन किया जाता है। ये मापदण्ड निम्न प्रकार हैं– 1. जो स्थल चयन किए जाने हैं वह मानव सृजन की अद्वितीय कृति हों। 2. यह स्थल मानवीय भावना को प्रदर्शित करने वाले हों तथा समय आबद्ध या स्थान आबद्ध होने के साथ, वास्तुशास्त्र, तकनीकी आधारित, ऐतिहासिक स्मारक या नगर नियोजन से सम्बन्धित कृतियाँ हों। 3. ऐसे स्थल जो सभ्यता या सांस्कृतिक परम्परा का अपवाद रूप या अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हों, लुप्त होने वाले हों या पूर्ण रूप में उपस्थित हों। 4. संस्कृति विशेष से सम्बन्धित मानव आवास, भूमि उपयोग या समुद्र उपयोग से आने वाले उदाहरण या प्रकृति से अंतरसम्बन्ध दर्शाने वाले या ऐसे परिवर्तन जो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते अर्थात् क्षय को रोकने से सम्बन्धित हों। 5. इतिहास के क्रम या अवस्थाओं को प्रदर्शित करने वाले उदाहरण के रूप में स्थल। 6. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी घटना या जीवित परम्परा, विचारों, विश्वासों के साथ कलात्मक रूप से सम्बन्धित हो जो विश्व में उत्कृष्टता की दृष्टि से स्थान रखते हों। 7. कुछ विशेष उत्कृष्ट प्राकृतिक घटनाएँ या मानवीय सुन्दरता के लिए महत्त्वपूर्ण स्थल। 8. कुछ उत्कृष्ट उदाहरण जो पृथ्वी के इतिहास की अवस्थाओं को बताते हों जिसमें जीवन के साक्ष्यों, पुरातात्विक साक्ष्यों का सम्बन्ध भूमि रूपों से हो। 9. निरन्तर जैविक या उद्विकासीय प्रक्रियाओं से गुजरने वाले स्थल हों या किसी के भौगोलिक क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित हो अथवा तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र एवं विभिन्न पौधों एवं जीवों के समुदाय से सम्बन्धित हों। 10. प्राकृतिक आवासों की जैव विविधता को बनाए रखना जो विशेष रूप से विज्ञान या संरक्षण की दृष्टि से उत्कृष्ट हों।

हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक हम केवल चन्द स्थलों को ही इस सूची में दर्ज करवा सके हैं। जबकि भारत वर्ष के कोने-कोने में सैकड़ों महत्त्वपूर्ण स्थल हैं। केवल राजस्थान में ही ऐसे दसों ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध स्थल हैं जिनको इस सूची में दर्ज होने की योग्यता रखते हैं, लेकिन हम लोगों की जागरूकता की कमी के कारण हम उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में असमर्थ रहे। जिसका ही परिणाम है कि राजस्थान से किसी भी ऐतिहासिक स्थल को इस सूची में स्थान नहीं मिला।

इन स्थलों के महत्व को पहचानते हुए तथा इनके संरक्षण की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने सीसीआरटी (सांस्कृतिक स्रोत प्रशिक्षण केन्द्र) के नाम से नई दिल्ली के द्वारका में एक स्वायत्त संस्था का गठन किया जो अपने तीन क्षेत्रीय केन्द्र उदयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी के द्वारा देश के शिक्षकों को सांस्कृतिक धरोहर के बारे में ज्ञान कराने व इनके प्रति जागरूकता पैदा कराने का कार्य कर रहा है। जिसमें प्रतिवर्ष हजारों शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यह प्रयास समुद्र में एक बून्द के समान है। समय रहते हम सभी शिक्षकों को जागना होगा तथा भावी पीढ़ी को मानसिक रूप से इस हेतु तैयार कर इस अमूल्य निधि को बचाना होगा।

–व्याख्याता, डाइट, जालोर

शिविरा हेतु उत्कृष्ट फोटो भिजवाएं

विद्यालयों में शैक्षिक कार्य के साथ-साथ अन्य सृजनात्मक रचनात्मक गतिविधियाँ सतत चलती रहती हैं।

विद्यार्थी इन गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। उनके व्यक्तित्व के बहुविध विकास में शाला एवं समाज की सकारात्मक भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

महापुरुषों की जयन्तियाँ, उत्सव आदि भी उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं।

ऐसे रचनात्मक आयोजनों के जीवन्त क्षणों गतिविधियों के छायाचित्रों (फोटोग्राफ्स) को शिविरा प्रमुखता से प्रकाशित करता है।

शिविरा की अपेक्षा है कि प्रमुख आयोजनों गतिविधियों के रंगीन अथवा श्वेत-श्याम छायाचित्र (फोटो) प्रकाशनार्थ शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित किए जाएँ। हो सकता है, शिविरा में प्रकाशित अच्छे रंगीन छायाचित्र अन्य को भी कुछ नया करने के लिए प्रेरित करें।

आइये, आप और हम शैक्षिक, खेलकूद एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों के रंगीन आकर्षक फोटो शिविरा में प्रकाशित करवाने में अपना उपयोगी योगदान देकर इसे आकर्षक बनाएँ।

विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम

माह : अप्रैल, 2012 **प्रसारण समय : दोपहर 2.10 से 2.30 तक**

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठ क्रमांक	पाठ का नाम
2.04.2012	सोमवार	जोधपुर	11	राजस्थान अध्ययन	3	राजस्थान की लोक कलाएँ
3.04.2012	मंगलवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम		विद्यालय प्रसारण पुनरावलोकन

• ह. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, अजमेर

फेब्रिक पेन्टिंग युवाओं के लिए स्वरोजगार का माध्यम

❑ मुरलीमनोहर के. माथुर

फेब्रिक पेन्टिंग वस्त्रों को रंगों से निखारने की बेजोड़ कला है। कपड़ों पर पेन्टिंग की यह कला सदियों से हमारे लोकजीवन में रचि बसी है। पाबूजी की फड़ के चित्र इसके जीवन्त उदाहरण हैं। आज कल पहनने के कपड़ों से लेकर ओढ़ने एवं बिछाने के कपड़ों से कहीं आगे यह कला विस्तार पा चुकी है। फेब्रिक पेन्टिंग में रोजगार की विपुल संभावनाएँ हैं। गैर परम्परागत रोजगार के क्षेत्र में यह कला आज भी अछूती है। इसे पाठ्यक्रम में प्रोत्साहित कर लाखों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है।

भव्य शोरूमों में रंग-बिरंगे छपे-छपाये वस्त्रों की भरमार है जिसमें रंगों के प्रति रुझान दृष्टिगोचर होता है अगर स्थानीय रंगों और डिजाइनों को इन वस्त्रों पर चित्रित कर शोरूमों में प्रदर्शित कर दिया जाए तो हर व्यक्ति का आकर्षण बढ़ेगा तथा यह कला लाखों युवाओं के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बन सकती है।

फेब्रिक पेन्टिंग को सुनियोजित रूप से विपणन और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों में कलम कूँची के रंगों से सजे वस्त्रों कुर्ता, ब्लाउज, साड़ी, चुन्नी, शर्ट, फ्रॉक, टी-शर्ट, घाघरा-ओढ़नी, रुमाल को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार मेजपोस, टी.वी. कवर, कुशन कवर, बेडशीट, डाइनिंग टेबल कवर, वॉल हैंगिंग, परदों पर रंग-बिरंगी चित्रकला को भरपूर प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

फेब्रिक पेन्टिंग से अन्य वस्तुएँ भी पेन्ट की जा सकती हैं जैसे चप्पल, चूड़ियाँ मिट्टी के बर्तन, थर्माकोल पर भी यह चित्रकला बड़ी निखरती है।

स्कूल-कॉलेजों को ऐसी पेन्टिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण युवाओं को देकर इन्हें नई दिशा प्रदान की जा सकती है। फेब्रिक पेन्टिंग में कला की मौलिकता को बढ़ावा मिलता है तथा इससे सृजन संसार का विस्तार हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसके समुचित प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। यह कला सीमित साधनों में रोजगार का बेहतरीन माध्यम बन सकती है।

आपको सबसे पहले तो यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपको कपड़ों पर पेन्टिंग करनी हो तो किन-किन चीजों की आवश्यकता होगी?

इसके लिए आपके पास होने चाहिए सभी प्रकार के रंग जो कपड़ों पर पेन्टिंग हेतु मिलते हैं, सभी प्रकार के ब्रुश, गोल फ्लेट, रंगों के मिश्रण हेतु रंग प्लेट या छोटी कटोरियाँ, एक रफ कपड़ा जिससे ब्रुशों को साफ कर सकें, ब्रुशों को साफ करने के लिए एक पानी का मग या जार, एक ड्राइंग बोर्ड अथवा कशीदे वाली रिंग (फ्रेम) इन सभी के अतिरिक्त वह कपड़ा जिस पर आप पेन्टिंग करना चाहते हैं।

आपके पास यह सब तैयारी है परन्तु कपड़े पर डिजाइन कैसे छापें इसके लिए दो तरीके खास हैं– प्रथम तरीका है कि कार्बन से छापने का इसके लिए पहले कपड़े पर कार्बन रखें फिर कार्बन पर वो डिजाइन रखें जो आप छापना चाहते हैं। इसके बाद डिजाइन पर पेन्सिल को डिजाइन पर चलाइए। इस प्रकार आप देखेंगे कि वो डिजाइन उस कपड़े पर छप गया है।

दूसरा तरीका है बटर पेपर से डिजाइन छापने का इसके लिए बाजार से बटर पेपर खरीदें यह चिकना व पारदर्शक होता है, इसमें वो डिजाइन जो ट्रेस करना है बटर पेपर के नीचे रखें फिर बटर पेपर पर जो डिजाइन दिख रही है उस पर बालपेन से रेखाएँ खींचें जब वो डिजाइन पूरी तरह बन जावे तो उस बटर पेपर को उठा लें फिर उस बटर पेपर को एक नर्म वस्तु यानी कुशन या तकिये पर रखलें, अब जो डिजाइन बटर पेपर पर बनी है उस पर बारीक सुई या आलपिन से छेद करते जाइये, इस प्रकार जब पूरी डिजाइन पिन से छिद जावे तो उसे हटा लें फिर जिस कपड़े पर प्रिन्ट करना है उस पर यह बटर पेपर रख दें और एक प्याले में नील का घोल मिट्टी के तेल से तैयार करके रुई से उस पर धीरे-धीरे फेरें तो आप देखेंगे कि आपका डिजाइन उस कपड़े पर छप गया है, अगर कपड़े का रंग गहरा है तो नील के स्थान पर सफेदा (चूना) काम में ले सकते हैं।

अब डिजाइन तो छाप लिया कपड़े पर परन्तु रंग कैसे भरें? इसके लिए आप रंग प्लेट में मीडियम डालें यह एक तरल पदार्थ है जो दूध के रंग जैसा होता है, इसमें ब्रुश से रंग मिलायें यह रंग इसमें आसानी से घुल जावेंगे व इसके द्वारा लगाये रंग कपड़े पर चिपक जावेंगे। मीडियम से तैयार रंगों में चमक भी होती है, जो रंग आप काम में लेना चाहते हैं वो एक साथ तैयार कर लें जितना आवश्यक है, मूल रंग में एक ब्रुश सफेद रंग को मिला लें तो उस रंग में चमक ज्यादा रहेगी। (काले रंग में सफेद रंग न मिलावें चमक हेतु)।

रंग आपके कपड़ों पर प्राकृतिक लगे उसके लिए हर रंग की तीन शेड़ तैयार करें, हल्की, उससे गहरी व मूल रंग की, कपड़े पर पहले हल्के रंग को लगावें उसके पश्चात् दूसरा

कोट दूसरे रंग से व फाइनल कोट मूल रंग से लगावें, सभी रंग अपना अपना प्रभाव दिखावें, सफेद व काला रंग डिजाइन में उभार व गहराई लाता है। आप जिस कपड़े को पेन्ट करना चाह रहे हैं। उसकी सतह के अनुसार रंगों का चयन करें। ऐसा करने पर पेन्टिंग किया हुआ कपड़ा अधिक आकर्षक लगेगा। गहरे कपड़ों पर चटकीले रंग अधिक आकर्षक लगते हैं। आपका कपड़ा काला, गहरा नीला, गहरा हरा है तो उस पर लाल, पीला, हरा हल्का, सफेद रंग अधिक फबेंगे। इन कपड़ों पर चमकीले रंग-पर्ल रंग काम में लेवें। गहरे रंगों के कपड़ों पर थ्री डी रंग जो ट्यूब में मिलते हैं। इन रंगों द्वारा बनाया डिजाइन का आभास धागे से बनी डिजाइन का लगता है।

आजकल पेन्टिंग का शौक महिलाओं के वस्त्रों तक ही सीमित नहीं रहा अब पुरुषों के वस्त्रों पर भी पेन्टिंग देखी जा सकती है। पुरुषों के कुर्तों पर जहाँ कशीदाकारी दिखाई देती थी अब पेन्टिंग के कुर्ते बाजार में दिखाई पड़ने लगे हैं।

युवा अपने द्वारा पेन्टिंग से तैयार सामान को किसी दुकान पर रखकर बेच सकते हैं। हस्तकला के कार्य में आप पेन्टिंग से बने वस्त्र, कुशन, कुर्ते, रुमाल, दरवाजों पर मांगलिक अवसरों पर लगाने वाली बान्दरवाल और पेन्टिंग से ही तैयार बच्चों के वस्त्र, चूड़ियाँ, चप्पल भी तैयार कर सकते हैं। यह पेन्टिंग स्वरोजगार का सशक्त माध्यम है।

आप अपनी पेन्टिंग को ज्यादा दिन तक वैसी की वैसी बनाए रखें वो रंग कपड़े पर पक्का रहे, चमकदार रहे। उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखें– • पेन्टिंग हेतु सूती कपड़ों को पहले धोकर मॉड (कलफ़) निकाल लें, धुले हुए कपड़े को अच्छी तरह उस्तरी कर लें फिर पेन्टिंग करें। • पेन्टिंग किये कपड़े को चार घन्टे पश्चात् पहन सकते हो परन्तु चार दिन तक धोये नहीं। • पेन्टिंग किये कपड़े को धोते समय अच्छे साबुन-सर्फ से धोएँ, पेन्टिंग वाले हिस्से को रगड़ें नहीं। • पेन्टिंग किये कपड़े को उल्टी तरफ से आयरन करें व उस पर भी एक हल्का कपड़ा रखकर हल्की आयरन करें इससे कपड़े पर लगे रंग पक्के होंगे व पेन्टिंग में चमक आवेगी। • इस पेन्टिंग हेतु जो ब्रुश काम में लेवें वो ब्रुश नरम बालों के ही लें यानि जो ब्रुश वाटर कलर में काम में लेते हैं।

आजकल सरकार हस्तकला को बढ़ावा देने हेतु छोटे-छोटे लोन भी देती है, बैंक व कई संस्थाएँ भी लोन देती हैं। इस लोन में कोई भी अपने पेन्टिंग हेतु कपड़े, रंग आदि खरीद कर अपनी वस्तुएँ तैयार करके बाजार में बेच सकते हैं। उससे प्राप्त आय से लोन भी चुका सकते हैं। खर्च से अधिक प्राप्त आय को आप अपने घर खर्च में लगा सकते हैं।

आज के भौतिक सुख-सुविधा हेतु आय का साधन सभी घर के सदस्य बनें तो जीवन में खुशियाँ, उमंग पैदा होती हैं, बच्चों के परिवेश में भी, घर की महिला मदद करे इस कार्यक्रम में तो बात महत्त्व वाली हो जाती है।

स्कूल-कॉलेजों में प्रारम्भ से ही पढ़ाई के साथ-साथ स्वरोजगार हेतु भी कुछ विषय सिखाये जावें तो आय का साधन बन जाता है।

–33, अग्रवाल क्वार्टर्स, बीकानेर

विसर्जन से सर्जन

❑ आशा मांडावत

मेरे चेहरे पर प्रसन्नता की लकीर खिंच गई। प्रथम छन्द को स्वयं पढ़कर आत्मविभोर होने का जो आनन्द किसी कवि को मिलता है वही स्वयं द्वारा पूछे गए प्रश्न का नन्हीं बालिका द्वारा प्राप्त सटीक उत्तर को सुनकर आज मुझे मिला।

नई शिक्षिका के रूप में शिक्षा सेवा का पहला दिन और पहली कक्षा। बच्चियों के चेहरे की शैतान मुस्कुराहट आप कहाँ की रहने वाली हैं। कौनसा विषय पढ़ाएंगी, घर में कौन-कौन हैं और कई अनगढ़ प्रश्न जो किसी भी नये योद्धा के लिए झेलने न झेलने योग्य तीरों से कम नहीं होते हैं। एक बार तो मेरे विश्वास का तराजू भी हिल उठा था लेकिन मेरे हाथ चॉकस्टिक्स के रास्ते श्यामपट्ट पर जा चुके थे। विषय पर अधिकार पूर्वक प्रस्तुति श्यामपट्ट पर सुन्दर लेख और बालिकाओं की जिज्ञासा भरी आँखों से झाँकती खुले आकाश में पंख लगाकर उड़ जाने की ललक के साथ समन्वय।

अचानक एक नन्हीं बालिका की मीठी आवाज ने मुझे चौंका दिया। अत्यधिक विनम्र स्वर में बालिका द्वारा की गई जिज्ञासा ने शिक्षिका मन को आन्दोलित करके रख दिया– मैडम ! मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है। क्यों के जवाब में बालिका ने बहुत ही दर्दभरे स्वर में कहा– मैडम पिछले साल मेरे पढ़ाई छोड़ने के हालात बन गये थे, लेकिन... लेकिन क्या के जवाब में बालिका ने जो कुछ भी कहा उसने शिक्षण के लिए तैयार हुई मैडम की प्रसन्नता, आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास को बुलन्दियों पर पहुँचा दिया।

'मैडम ! आज आप हमारी कक्षा में पहली बार आईं। मुझे आपको देखकर लगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। मैं भी आप जैसी बनना चाहती हूँ।'

क्यों बेटे ! मेरी जैसी ही क्यों बनना चाहती हो?

बालिका मौन थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। लगता था कोई ऐसी बात जिससे वह अभिभूत थी लेकिन जिसे वह कह नहीं पा रही थी।

इस निःशब्दता में छिपे अर्थ को तब से लेकर अब तक मैं भी खोज रही हूँ। खोजना चाहती हूँ। अभिभूत तो मैं भी हूँ उस बालिका से लेकिन क्यों? वह शब्द में बयान नहीं कर पा रही थी लेकिन बालिका के साथ कोई बात थी जो मुझसे उसे जोड़ गई।

लगता है, शिक्षक को संवेदनशीलता, उसका बौद्धिक ज्ञान और बालकों की जिज्ञासाओं के समाधान के प्रति तीखी व संकल्प से भरी दृष्टि के कारण बनते हैं जो उसे विद्यार्थी से जोड़ते हैं, *अपने अहम् का विसर्जन कर बालकों के लिए सर्जन का मार्ग प्रशस्त करना* ही शायद वह वजह रही होगी जिसने कुछ क्षणों में ही बालिका को मुझसे मानसिक धरातल पर जोड़ दिया।

मुझे लगा कक्षा का पहला पाठ मैंने बालिकाओं को नहीं पढ़ाया बल्कि बालिकाओं ने मुझे पढ़ाया। मैं भाव के धरातल पर उनकी बनूँ। इसके लिए उनकी मित्र बनने का अभ्यास मुझे करते रहना होगा, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं लेकिन ज्ञान का संप्रेषण नम्रतापूर्वक अपने विद्यार्थियों तक करते हुए कक्षा में स्वयं को हर पल जीवन्त रखना होगा।

मुझे लगा उस बालिका के साथ सम्बन्ध का एक निमित्त मुझे बहुत कुछ सिखा गया। शिक्षा सेवा यात्रा के उस प्रारम्भिक दौर में मैं विद्यार्थी और वह बालिका मेरी शिक्षिका बन गई थी।

–प्रधानाचार्या, रा.बा.उ.मा.वि., राजनगर, राजसमंद

विश्व जीव-जन्तु दिवस

जीव-जन्तुओं को भी है जीने का हक

❑ पूनम

जीव-जन्तुओं के प्रति दया, प्रेम तथा आदर की भावना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। पुरातन काल में जीव-जन्तु एवं वनस्पति की अवहेलना नहीं, का विचार हमेशा मन में रखा करते थे। कालीदास द्वारा लिखित नाटक 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' में शकुंतला का जीवों व प्रकृति से प्रेम जिसमें उसे हरिणों व लताओं से बात करते हुए दिखाया गया है, यह दृश्य उस समय के प्रकृति के प्रति मनुष्य के प्रेम की अद्वितीय मिसाल है। जब शकुन्तला का वहाँ से विछोह हुआ तब उन वन्य जीवों को बड़ा दुःख हुआ। इस प्रकार का वर्णन इस नाटक में है। वैदिक युग में ऋषि-मुनियों के आश्रम तथा उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में उनके द्वारा वन्य-जीवों का विनाश नहीं होने दिया जाता था। ऋषि-मुनियों का कहना था– 'प्रकृति हमारी मां है जो वनस्पति, जीव-जन्तु, नदियाँ, पहाड़, सागर आदि सब कुछ अपने बच्चों को अर्पण कर देती है। मनुष्य एवं प्रकृति का आपस में गहरा सम्बन्ध है और वे एक-दूसरे से प्रेम एवं संवेदना के असीम बंधन में बँधे हुए हैं।' हमारे ऋषि-मुनियों को पता था कि परिस्थितिकी तंत्र में संतुलन व सुन्दरता बनाए रखने के लिए जीवों का बड़ा महत्त्व है। हमारे देवी-देवताओं ने भी अपने जीवन में जीवों का बड़ा महत्त्व प्रदान किया था। यही कारण है कि हंस विद्या की देवी, उल्लू धन की देवी, चूहा गणेश तथा गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जाने जाते हैं। नागपंचमी के अवसर पर सर्पों की पूजा निष्ठा एवं श्रद्धा से की जाती है। भारत की प्राचीन संस्कृति (अरण्य संस्कृति) में भी जीव-जन्तुओं के संवर्द्धन व सुरक्षा की बात गहराई से की गई है।

अशोक महान् ने जीव-जन्तुओं की सुरक्षा के लिए कानून तथा चिकित्सालय बनवाए। हमारे देश के प्राचीन राजवंशों, गुप्त साम्राज्य, पूर्वी चालुक्यों तथा दक्षिण में शासन करने वाले चोल शासकों का राज चिह्न बाघ ही था। बाबर व जहाँगीर जैसे सम्राटों ने भी जीव-जन्तुओं के संरक्षण पर बल दिया। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। लेकिन उसकी बाघ जैसी वीरता और निर्भीकता के कायल उसके साथी 'बाबर' कहकर बुलाते थे। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ है।

आज वैज्ञानिक प्रगति व गति से स्थिति बदलने लगी है। वर्ष भर में लाखों-करोड़ों की संख्या में चिकित्सा व वैज्ञानिक प्रयोगों के नाम पर जीव-जन्तुओं को इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। इसी संख्या में जीव-जन्तु सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री निर्माण की भेंट चढ़ जाते हैं। डराने वाली बात इसमें यह है कि जिस निर्दयता से इस दौरान जो व्यवहार इनसे किया जाता है उसमें इन जीव-जन्तुओं के तो रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं, पर देखने वाले भी अपने रोंगटे कुछ क्षणों तक बैठा नहीं पाते।

बाघों को बचाने के लिए 1973 में 'बाघ परियोजना' का शुभारम्भ सरकार ने किया। आज बाघ ही नहीं अन्य जीव-जन्तु भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने में असहाय व असक्षम अपने आप को पा रहे हैं। हाथी को हाथी दाँत के लिए, गैंडे को उसकी खाल व बाघ को उसके अवयवों से प्राप्त होने वाली धनराशि के लिए बड़ी से बड़ी जोखिम चाहे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की हो या इन जानवरों से सामना करते समय खतरा हो को नजर अंदाज कर मार डाला जाता है। इन जीव-जन्तुओं के तीव्र विनाश के लिए मानव ही सर्वाधिक उत्तरदायी है। चीता, छोटे आकार का गैंडा, गुलाबी सिर वाली बतख, बटेर इत्यादि वन्यजीव पूर्व में ही समाप्ति की दिशा तक पहुँच गए थे।

हमारे पुराने अंध-विश्वास व रीति-रिवाजों की वजह से कुछ जीव-जन्तु विलोपन के कगार तक पहुँच चुके हैं। उदाहरण के लिए ओडीसा का सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य को ही लें। वहाँ के आदिवासी जातियों की सामूहिक शिकार करने की वार्षिक प्रथा- अखंड शिकार की भेंट सांभर, जंगली सूअर व हरिण हजारों की संख्या में देवी-देवताओं के नाम पर भेंट चढ़ जाते हैं। आदिवासियों के तीरों से सबसे अधिक पशुओं की बलि यहीं ली जाती है, पर आदिवासी जंगल के अपने कानून के अनुसार ही चलते हैं। इसलिए ओडिसा पंचांग के वर्ष के अंतिम दिन हर चैत्र पर्व यानि 14 अप्रैल को शिकार का आह्वान गूँज उठता है। प्रति वर्ष 24 अप्रैल को 'वन्य जीव-जन्तु दिवस' मनाया जाता है। राजस्थान के आदिवासी इलाकों व अन्य जगहों पर भी देवी-देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि लेने की परम्परा आज भी मौजूद है। इस प्रकार के लोगों से जीव-जन्तुओं को बचाने का उपाय है इन्हें शिक्षित करना व जीव-जन्तुओं के महत्त्व को समझाना।

जीव-जन्तुओं को बचाने के लिए आज कई सामाजिक संगठन क्रियाशील हैं उनके प्रयासों से जीव-जन्तुओं की सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। राजस्थान का विश्नोई समुदाय आज भी जीव-जन्तुओं के प्रति प्रेम व करुणा की भावना को अपने दिल में संजोए हुए है। विश्नोइयों के घरों के पास आज भी हरिण व अन्य जीव-जन्तु उसी प्रकार देखे जा सकते हैं जिस प्रकार कालीदास ने कण्व ऋषि के आश्रम के आसपास उन्मुक्त विचरण करते हुए दिखाया है।

जीव-जन्तुओं को संवैधानिक अधिकार मिलने से इन्हें बचाया जा सकता है। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल शायद ही कहीं देखने को मिले कि कोई देश अपने नागरिकों के समान वन्य-जीव जन्तुओं को भी संवैधानिक अधिकार देता हो। लेटिन अमेरिका के एक छोटे से देश इक्वाडोर व ब्रिटेन ने यहाँ कमाल कर दिखाया है। पर्यावरण जागरूकता की यह मिसाल कायम करते हुए इन देशों ने अपने संविधान में नागरिकों के समान जीव-जन्तुओ, पेड़-पौधों व नदियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था की है। जब इन देशों ने पहल कर दी है तो अनुसरण करने से हम क्यों कतराएँ?

–अध्यापिका
रा.मा.वि., हेतमसर, झुंझुनूं

अहिंसा के संवाहक - महावीर स्वामी

❑ सुभाष चन्द्र कस्वाँ

जीओ और जीने दो 'महावीर स्वामी द्वारा कही हुई बात को कभी-कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ। आखिर विश्व में युद्ध, आतंकवाद के नाम पर हत्याएँ तथा क्षेत्रवाद, जातिवाद व नस्लवाद के नाम पर मारपीट क्यों होती है? सोचने-विचारने पर जवाब मिला व्यक्ति का अहम् व तीव्र लालसा ही उसके उत्प्रेरक हैं। महावीर स्वामी ने भी आखिर बड़ी तपस्या के बाद बुद्ध की तरह पाया बुरी प्रतिक्रियाओं का कारण सही सोच का अभाव है। आज से पच्चीस सौ चौंतीस वर्ष पूर्व महावीर स्वामी ने प्रतिपादित किया– 'अहिंसा परमो धर्मः' (अर्थात् अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है)। उन्होंने बताया जहाँ भय है वहाँ हिंसा है तथा जहाँ अहिंसा है वहाँ भय नहीं है। सीधी व सरल बात है फिर भी महावीर स्वामी के इस अद्वितीय दर्शन को हम अभी तक आत्मसात नहीं कर पाए हैं जो जीवन को दुःखों से छुटकारा दिलाने का आसान उपाय है।

महावीर स्वामी के जन्म के समय लोग धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार करने में लगे थे। उन दिनों हिंसा का बोलबाला था। उस समय हिंसात्मक ताण्डव का विरोध करने वालों की संख्या अल्प थी। हर किसी में विरोध करने की हिम्मत भी नहीं थी। महावीर ने बड़ी तपस्या के बाद कैवल्य प्राप्त करने के बाद तीस वर्षों तक दिव्य उपदेश दिया। उनके उपदेशों का यह प्रभाव हुआ कि उन दिनों होने वाली हिंसा का ताण्डव नृत्य धीमा पड़ने लगा। लोग धर्म के असली रूप से परिचित होने लगे। जो लोग दुराग्रही बने हुए थे उन्हें सद्बोध प्राप्त होने लगा। उनके समय में जिस स्त्री जाति को वेदों के पढ़ने के अधिकार से वंचित रखने की प्रथा चली आ रही थी, उसमें भी शिथिलता आने लगी। बहुत सी महिलाएँ साध्वी बनी, पठन-पाठन में उनका प्रवेश होने लगा। वे समानता का व्यवहार अनुभव करने लगी। महावीर स्वामी ने चंदनबाला के हाथों

आहार ग्रहण कर साधनहीन व उपेक्षा से ग्रस्त नारी जगत को समाज में प्रतिष्ठित किया। स्त्री जाति जो अपने को हीन व दीन समझ मानवजनित दुःखों से ग्रस्त थी उसे उन्होंने उनके दुःखों से उबारा।

हिंसा बड़ा पाप है। अहिंसा बड़ा धर्म है। हिंसा और अहिंसा का वचन और काया से पूरा सम्बन्ध है। महावीर स्वामी ने कहा, 'किसी दूसरे को दुःख देने से दूसरा ही दुःख उठाता है यह समझना बड़ी भूल है क्योंकि किसी दूसरे को दुःख देने से पहले व्यक्ति के स्वयं के विचार कलुषित हो जाते हैं और खोटे कर्मबंध जाने से अपनी आत्मा की हिंसा पहले ही कर लेता है।' भाव बुरे हो जाते हैं। इस बात को हम सरल शब्दों में यों भी समझ सकते हैं– जब हम किसी के मुँह पर कालिख पोतना चाहते हैं तब हमें पहले अपने हाथों को काला करना पड़ता है। बहुत से लोगों का मानना है कि अहिंसा कायरता सिखाती है। ऐसे लोगों ने अहिंसा के सही रूप को नहीं समझा है। महावीर ने कहा है कि हिंसा वही करता है जो कायर होता है। अहिंसक बलिष्ठ होता है क्योंकि मानवीय कमजोरी लोभ, मोह व क्रोध पर वह नियंत्रण पा लेता है। महावीर स्वामी ने हिंसा के चार रूप बताए जिसमें एक गृहस्थी को संकल्पी हिंसा (जान-बूझकर की जाने वाली हिंसा) से बचना चाहिए। इरादा करके किसी जीव को मारना व दुःख नहीं देना चाहिए। शत्रु के हमला करने पर, गृहस्थी उसका मुकाबला करेगा। यह विरोध स्वरूप हिंसा है। इसका गृहस्थ से त्याग नहीं हो पाता। घर-गृहस्थी के कार्यों में सावधानी रखते हुए एक गृहस्थ कार्य करता है फिर भी थोड़ी-बहुत हिंसा उससे हो ही जाती है। इस हिंसा को आरम्भी हिंसा कहा गया है। इस हिंसा से गृहस्थ का बचना नामुमकिन है। व्यापार आदि कार्यों में सावधानी रखते हुए आखिर कहीं न कहीं हिंसा हो जाती है जिसे उद्योगी हिंसा का नाम दिया गया है। महावीर स्वामी ने इस बात पर अधिक जोर दिया कि एक गृहस्थी को अनावश्यक हिंसा से बचने की चेतना का विकास निरंतर करते रहना चाहिए जिससे वह जाने-अनजाने में इस ओर अग्रसर होने से अपने आपको बचा सके।

महावीर ने बताया– क्रोध, मोह व अज्ञानता के वश में होकर जीव अपना बिगाड़ कर लेता है। उसे भलाई-बुराई, अच्छे-बुरे और करने या न करने लायक कार्यों का उसी तरह ज्ञान नहीं रहता जिस प्रकार तूफान, आँधी व बादलों की वजह से सूर्य पृथ्वी पर अपने प्रकाश देने के वजूद को खो देता है। इसी तरह हमारी आत्मा पर भी जब सांसारिक आवरण अत्यधिक प्रभावी हो जाता है तो अपना तेज आत्मा खो बैठती है और दुःखों का आगमन होने लगता है। मोह, अहम व अज्ञानता को मनुष्य को सदैव के लिए त्याग देना चाहिए। मोह के वशीभूत हो जीव इंद्रियों के विषयों में लीन हो जाता है और भ्रमर (भौंरे) की तरह अपने प्राणों को उलझाकर दुःखी हो प्राणों को त्याग देता है। संसार में दुःखों का कारण आसक्ति ही है। यदि मोह, ममता न हो तो कोई दुःख न हो। महावीर स्वामी ने कहा, 'मोह तब तक ही रहता है जब तक सत्य का आभास न हो।' इसके लिए उन्होंने तपस्या पर जोर दिया। महावीर स्वामी की तपस्या का रूप आत्मा से सम्बन्ध रखता था। उनका विचार था- केवल शरीर को कष्ट देना ही तपस्या नहीं है। तपस्या तो इच्छाओं को रोकने यानि न आने देने का नाम है।

महावीर के दर्शन में सम्बोधि का बड़ा महत्त्व है। संबोधि आत्मा मुक्ति का वह मार्ग है

जो हमें आत्मा की सम्पूर्ण स्वाधीनता की ओर ले जाता हो। संबोधि शब्द सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन व सम्यक् चरित्र को अपने में समेटे हुए है। जीवन के निर्माण एवं विकास में आत्मकृतत्व के सिद्धान्त का भी बड़ा महत्त्व है। संबोधि में आदि से अंत तक उसी का व्यावहारिक संकलन है। उसका रचनाक्रम श्रीमद् भगवद्गीता जैसा है। योगीराज कृष्ण की तरह इसके उपदेशक तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। संबोधि महावीर की मूलभूत वाणी पर आधारित है।

अहिंसा हिन्दुस्तान की जमीं की उपज है जिसके महत्त्व व शक्ति को यहाँ के लोगों ने खूब समझा था, पर पता नहीं मध्यकाल में क्या हुआ कि हमारी एक धारणा बन गई तथा इतिहास के लेखकों ने भी इस धारणा को बल दिया कि अहिंसा ने हमारे देश को दुर्बल बना डाला। आज अहिंसा की शक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जाना तथा अहिंसा के पुजारी महात्मा गाँधी के जन्मदिवस को प्रत्येक वर्ष 'अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। इस कदम ने पुनः हमारी अहिंसा की शक्ति का एहसास करा दिया जिसे हम विस्मृत कर चुके थे। हमारा जीवंत धर्म में विश्वास है जो हमारी वर्तमान समस्या का समाधान खोजे। हम उस धर्म में विश्वास नहीं करते जो परलोक सुधारे। महावीर स्वामी ने भी उसी धर्म की वकालात की थी। महावीर स्वामी जैसे लोग एक समय, एक धरती व एक व्यक्ति के लिए नहीं वरन वे तो सारे युगों, सम्पूर्ण पृथ्वी व तमाम लोगों के लिए पैदा हुआ करते हैं।

–प्रवर अध्यापक (अंग्रेजी)
राजकीय मा. विद्यालय, हेतमसर, झुंझुनूं

पैगम्बर मोहम्मद साहब

❑ **अज़ीज़ा बेग़म**

मोहम्मद साहब का जन्म मक्का मोअज्जमा में अबु कबीस नामक पहाड़ी की घाटी में हुआ। वो महान पुरुष जो पूरी मानव जाति के लिए ईश्वर की ओर से इन्सानियत का संदेश लेकर इस धरती पर उतारे गये। 12 रबियुल अव्वल, समान 22 अप्रैल सन् 571 ई. को अब्दुल्लाह के घर जन्म लिया। उनके जन्म से पहले ही अपने पिता अब्दुल्लाह का स्वर्गवास हो चुका था। जब मोहम्मद साहब की उम्र छः वर्ष की थी माता भी इस संसार से चल बसी। माता 'आमना' जिनका ईश्वर भक्ति में अटूट विश्वास था, एक दिन उन्होंने सपना देखा कि कोई उसे कह रहा है देखो तुम्हारे एक पुत्र होगा जो पूरी मानवीयता पर अपना प्रभाव छोड़ेगा इसको ईश्वर के आसरे पर ही छोड़ देना और इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना।

उस समय हालात-संसार में जरूरत से ज्यादा खराबी फैली हुई थी, एक दूसरे को हल्की सी बात पर कत्ल कर डालते चोरी, डाका, गाली-गलोच से पेश आते थे। जब किसी के घर में पुत्री जन्म ले लेती तो उसे जिन्दा दफना दिया जाता था, किसी स्त्री का पति मर जाता तो उस स्त्री को अग्नि में डालकर जिन्दा जला दिया जाता था। लोगों की जीवन शैली मदिरा, गन्दे आचरण से सराबोर थी। आप बचपन से ही इन सब बुरे कामों से बचते रहे, कभी आपने झूठ नहीं बोला और न ही किसी पर जुल्म किया।

मोहम्मद साहब कई-कई दिनों तक सोच-फिक्र में डूबे रहते इन लोगों के जीवन जीने के तौर-तरीके किस तरह बदले जाएं, अन्धकार का जीवन जीने वाले भटकती इन्सानियत के लिए साफ सुथरा मार्ग तलाशने की कोई तदबीर की जाये। आपको अधिक समय शहर से दूर पहाड़ी पर व्यतीत होने लगा। ईश्वर भक्ति में लीन रहने लगे और ईश्वरीय चमत्कार होने लगे 'जिबराईल' (ईश्वर के दूत) संदेश लेकर पहुँचे कुरआन की प्रथम, आयात, इकरा पढ़कर मोहम्मद साहब को सुनाई आपने याद कर ली इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा करके तेईस वर्ष में कुरआन पूरा हुआ जो ईश्वर का आदेश है।

पवित्र सन्देश लोगों को सुनाते परन्तु वहाँ के निवासियों ने उन पर जुल्म करना प्रारम्भ कर दिया आप इस जुल्म के बदले में बड़े प्रेम से और नरमी से पेश आते। आप सभी धर्म के मानने वालों का आदर और सम्मान करते। यहूदी और नसरानी जो आपसे दुश्मनी में कोई कसर न छोड़ते तब भी जब उनके परिवार में कोई परेशानी या घटना हो जाती तो उनका दुःख बाँटने उनके घर जाते इस प्रकार अपने नरम आचरण से नफरत का जहर छँटने लगा। आप लोगों को सुनाते तुम इस धरती पर रहने वालों पर दया, महरबानी करोगे तो आसमान वाला तुम पर महरबान होगा। वो मनुष्य कभी धार्मिक नहीं हो सकता जो खुद पेट भर खाये और उसका पड़ौसी भूखा सोये।

मोहम्मद साहब का मानना था कि सबसे बड़ा दान, मार्ग में कष्ट देने वाली चीज को हटाना, जिस पर जुल्म हो रहा हो उसकी मदद करना स्त्रियों का सम्मान, कमजोरों के साथ अच्छा बर्ताव किसी पर सख्ती न करो, आप नौनिहाल बच्चों से अटूट प्रेम करते। आप अमानतदार थे इन्साफ की बात करते आपके विचारों में सादगी थी। आप ईश्वर का सन्देश सुनाते ईश्वर को दिल से उसका भक्त याद करता है तो हर समय (ईश्वर) 'मैं' उसकी मदद के लिए तैयार रहता हूँ।

सीधा और सच्चा मार्ग पाँच टाईम नमाज, दान, किसी को कष्ट न पहुँचाओ, जुल्म ज्यादती से परहेज करो, स्वर्ग में अपना स्थान बनाओ असली धर्म वही है, जिससे मानव मात्र का कल्याण हो। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से रहती दुनियाँ तक अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है।

उनकी महानता का क्या ठिकाना है।
जिनके चरणों में सारा जमाना है॥
बे ठिकानों का जो ठिकाना है।
हमने पथ प्रदर्शक उन्हें माना है॥

–अध्यापिका, रा.उ.प्रा.वि., पुरानी कचहरी, निम्बाहेड़ा -312601

□ 1. राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2010 के अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं के सम्बन्ध में। □ 2. नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों के सहअंशदान/राजकीय अंशदान के आहरण के सम्बन्ध में। □ 3. अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक। □ 4. शिक्षक दिवस प्रकाशन-2012 के लिए रचनाओं का आमंत्रण। □ 5. परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम-2011-12 □ 6. शैक्षिक सत्र 2012-13 से कक्षा 6, 7 एवं 8 की अंग्रेजी विषय की नवीन पाठ्यपुस्तक लागू करने के क्रम में। □ 7. बालिकाओं से साइकिल वापिस नहीं लेने के सम्बन्ध में।

1. राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2010 के अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं के सम्बन्ध में।

• कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-ब/22804/10-11/ दिनांक : 02.03.2012 • विषय : राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह-2010 के अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं के सम्बन्ध में। • प्रसंग : राज्य सरकार के पत्रांकः प.18(2)शिक्षा-2/2010 पार्ट-1 दिनांक 03.02.2012 • उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि 5 सितम्बर, 2010 को शिक्षक दिवस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं की अनुपालना में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को भविष्य में विभिन्न अकादमिक कमेटियों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.03.2011 द्वारा भी आपको पूर्व में निर्देशित किया गया था। • ह. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

2. नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों के सहअंशदान/राजकीय अंशदान के आहरण के सम्बन्ध में।

• राजस्थान सरकार, वित्त (राजस्व) विभाग • क्रमांक : प.4(12)वित्त/राजस्व/04 पार्ट-II जयपुर • परिपत्र • विषय : नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों के सहअंशदान/राजकीय अंशदान के आहरण के सम्बन्ध में। • नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त कटौतियों में कर्मचारी के अंशदान व राजकीय अंशदान के मिलान करने में अत्यधिक कठिनाई महसूस की जाती रही है। योजना के अन्तर्गत समस्त कटौतियों के विवरण एवं राशि को केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी एवं ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित करने के लिए दोनों राशियों का मिलान होना अतिआवश्यक है। जिसके अभाव में कटौतियाँ अपलोड नहीं हो पाती हैं एवं उस पर ब्याज प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे अंशभागियों को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है।

अतः राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 15.02.2012 द्वारा निर्णय लिया गया है कि माह मार्च देय अप्रैल, 2012 के वेतन से राजकीय सह अंशदान हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पृथक से बिल नहीं बनाया जाएगा। नवीन पेंशन योजना के कर्मचारियों के लिए राजकीय अंशदान एकमुश्त आहरित किये जाने के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को अधिकृत किया गया है। अतः कर्मचारी के अंशदान के बराबर राजकीय अंशदान की राशि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय द्वारा निम्न बजट मद से आहरित किया जायेगा–

2071 – पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति हित लाभ
01 – सिविल
117 – निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान
(01) – निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान
89 – अंशदान पेंशन योजना में सरकार का अंशदान (आयोजना भिन्न)

अतः समस्त कोषाधिकारियों एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च देय अप्रैल, 2012 के वेतन से राज्य कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के राजकीय अंशदान का पृथक से बिल पारित नहीं किया जाये। उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये। • ह. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।

3. अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक

• प्रतिलिपि परिपत्र क्रमांक : प.1(4)वित्त/नियम/2008 जयपुर दिनांक : 17.02.2012 ओर से शासन सचिव वित्त(बजट) नियम अनुभाग वित्त विभाग, राज. जयपुर, प्रेषित : समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान सरकार व अन्य। • परिपत्र • राजस्थान सेवा नियम, 1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-I के अनुभाग-III आकस्मिक अवकाश में दिये स्पष्टीकरण के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश उपभोग करने से पूर्व अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अतिरिक्त ऐसे **अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक** होता है। इसी प्रकार राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 86 में प्रावधान है कि एक कर्मचारी बिना अवकाश अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके आवेदित अवकाश को स्वीकृत करने से पूर्व ही अपने पद/कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा और ऐसी अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए पिछले सेवाकाल को जब्त किया जा सकेगा जब तक संतोषप्रद कारण बताने पर उक्त अनुपस्थिति को अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसे देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है अथवा असाधारण अवकाशों में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है।

प्रायः यह देखा गया है कि राज्य के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों द्वारा निजी कार्यों के लिए विदेश यात्रा हेतु आकस्मिक अवकाश/उपार्जित अवकाश का आवेदन पत्र विदेश यात्रा के प्रारम्भ होने के कुछ दिन पूर्व ही सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति सम्बन्धित अधिकारी को भिजवाने हेतु पर्याप्त समय नहीं रहता है एवं अधिकारी यह मानते हुए कि उनका स्वीकृत हो चुका है/स्वीकृत हो जायेगा, विदेश यात्रा पर रवाना हो जाता है। यह स्थिति राजकार्य को सुचारु रूप से संचालित किये जाने की दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः महत्वपूर्ण राजकार्य को सम्पादित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होवें, इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि विदेश में निजी यात्रा पर जाने के इच्छुक अधिकारी कम से कम 3 सप्ताह पूर्व सक्षम अधिकारी को अपना

अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे, ताकि सक्षम अधिकारी द्वारा यथोचित निर्णय लेकर विदेश यात्रा प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व ही अवकाश की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के सम्बन्ध में सूचित किया जा सके।

समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों से उक्त निर्देश की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें। • ह. शासन सचिव, वित्त (बजट)। • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/संस्था/एफ-6/1260/07/188 दिनांक 5.3.2012 ।

4. शिक्षक दिवस प्रकाशन-2012 के लिए रचनाओं का आमंत्रण।

• कार्यालय, आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • परिपत्र • विषय : शिक्षक दिवस प्रकाशन-2012 के लिए रचनाओं का आमंत्रण। • 'शिक्षक दिवस प्रकाशन' योजना शिक्षा विभाग की एक प्रतिमानकारी योजना है जो वर्ष 1967 से निर्बाध रूप से चल रही है और जिसके तहत राज्य के सृजनशील शिक्षकों एवं विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारियों की साहित्यिक रचनाएं पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित होती हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से विभाग के शिक्षक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी विभिन्न विधाओं में अच्छा लेखन करते हैं, राष्ट्र स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल हुए हैं तथा साहित्य जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके हैं। इस योजना की एक विशेषता यह भी है कि देश के लब्धप्रतिष्ठित साहित्यकारों को विविध विधाओं की रचनाओं के सम्पादन हेतु आमंत्रित किया जाता है और गुणवत्ता के आधार पर वे रचनाओं का चयन करके अपनी भूमिका में उनका विवेचन करके रचनाधर्मिता पर संवाद शुरू करते हैं।

इस योजना के तहत वर्ष 1967 से 2011 तक 226 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। प्रकाशित कृतियाँ प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को आयोजित समारोह में महामहिम राज्यपाल अथवा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लोकार्पित की जाती हैं। इस वर्ष प्रकाशित की जाने वाली पाँचों पुस्तकों के लिए आमंत्रित रचनाओं की विषयवस्तु इस प्रकार हो सकती है– **1. बाल साहित्य–** कविता, गीत, कहानी, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, निबन्ध, ज्ञान-विज्ञान आदि (विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें शिविरा पत्रिका नवम्बर-2000 के पृष्ठ 32-34)। **2. शिक्षा साहित्य–** शिक्षा नीति, शैक्षिक दर्शन, प्रबन्धन एवं प्रशासन, शिक्षक शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, समाज शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शैक्षिक नवाचार, शैक्षिक चिन्तन आदि (विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें शिविरा पत्रिका दिसम्बर-2000 के पृष्ठ संख्या 40-42)। **3. राजस्थानी विविधा–** कविता, लघुकथा, निबन्ध, जीवनी, आत्मकथा, व्यंग्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, डायरी, शब्दचित्र, ललित निबन्ध आदि (विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें शिविरा पत्रिका जनवरी-2001 के पृष्ठ 42-44)। **4. हिन्दी कविता–** गजल, कविता, क्षणिकाएं, मुक्तक, गीत, नज्म, हाइकू, आदि (विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें शिविरा पत्रिका फरवरी-2001 के पृष्ठ 42-44)। 5. हिन्दी विविधा– कहानी, लघुकथा, निबन्ध, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृतान्त, व्यंग्य रिपोर्ताज, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, शब्दचित्र, ललित निबन्ध आदि (विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें शिविरा पत्रिका मार्च-2001 के पृष्ठ 35-37)।

वर्ष 2012 के लिए शिक्षकों/कर्मचारियों की विविध विधाओं की रचनाएँ आमंत्रित की जाती हैं। गत वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए लेखकों से अपेक्षा है कि नीचे उल्लेखित तथ्यों पर अवश्य ध्यान दें– • इन संकलनों हेतु अपनी श्रेष्ठ, प्रतिनिधि, ताजा, अप्रकाशित और मौलिक रचनाएं ही भेजें। रचना पर मौलिक व अप्रकाशित का प्रमाण भी देना आवश्यक है। • रचनाएँ स्तरीय हों तथा रचनाशीलता के गुणों से परिपूर्ण हो। रचनाएँ राष्ट्रविरोधी, साम्प्रदायिक व अश्लील न हो, बल्कि उनके माध्यम से समाज एवं विद्यालय में स्वस्थ मानवीय गुणों का विकास हो। • रचनाएँ फुलस्केप कागज पर एक ही ओर लिखित या टंकित की गई हों, अक्षर स्पष्ट हों, प्रत्येक रचना पर रचनाकार के विद्यालय/कार्यालय/निवास का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर एवं मोबाइल नम्बर, बैंक खाता संख्या व शाखा स्पष्ट अंकित करें। • अस्वीकृत रचनाएँ लौटाना सम्भव नहीं होगा। • रचनाएँ शिविरा पत्रिका कार्यालय में **31-5-2012** तक अवश्य पहुँच जानी चाहिए। • अपने पदस्थापन स्थान के विवरण का अवश्य उल्लेख करें।

इस योजना का अपने क्षेत्र में साहित्यकार सृजक की हैसियत से अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें। रचनाएँ भेजने का पता– **वरिष्ठ सम्पादक, प्रकाशन अनुभाग, आयुक्तालय, माध्यमिक शिक्षा राज., बीकानेर।** • ह. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा-माध्य/प्रकाशन/5524/2011-12 दिनांक 15 मार्च, 2012 ।

5. परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम-2011-12

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • परिपत्र • विषय : परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम- 2011-12 • माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान से सम्बन्धित सभी स्तर के विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली गृह परीक्षाओं एवं कक्षा कक्षोन्नति नियमों के सम्बन्ध में अब तक जारी विभाग स्तर के नियमों/उप नियमों एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/परिवर्तनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2011-12 से नवीनतम नियम प्रसारित किये जा रहे हैं। ये नियम कक्षा 9 से 12 तक के लिए मान्य होंगे।

उक्त नियम शैक्षिक सत्र 2011-12 से लागू माने जाएँगे। • ह. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। • क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा/स/22497/कक्षो.नियम/11-12 दिनांक : 25 मार्च, 2012

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम
(शैक्षिक सत्र 2011-12 से लागू)

एज्यूकेशन कोड (शिक्षा विभाग) के अध्याय 8 में प्रकाशित नियमों, उपनियमों एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/परिवर्तनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2011-12 से निम्न नियम प्रसारित किये जाते हैं– (1) **ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलाएँगे तथा राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सभी राजकीय एवं गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की गृह परीक्षा पर लागू होंगे।** (2) सामान्य नियम– **2. (क) परीक्षा प्रवेश योग्यता– 1.** कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं में केवल वे ही विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकेंगे जिन्होंने किसी भी राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया हो। **2.** कक्षा 9 व 11 वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जायेगा, जिसने कम से कम दो लिखित सामयिक परखें दी हो या एक लिखित परख और अर्द्धवार्षिक परीक्षा दी हो और जिस परीक्षा/परख में वह सम्मिलित नहीं हुआ हो उसके कारणों की प्रामाणिकता से

संस्था प्रधान को पूर्णतया सन्तुष्ट कर दिया हो। 3. बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के नियम लागू होंगे।

2. (ख) उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता– 1. कक्षा 9 व 11 तक में नियमित छात्रों की उपस्थिति गणना विद्यालय सत्रारम्भ होने की तिथि से तथा नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि (शिविरा पंचांग में अंकित अंतिम प्रवेश तिथि तक) से वार्षिक परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जायेगी। कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमानुसार होगी। **2.** कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के सात दिन के बाद से की जायेगी। **3.** यदि विद्यार्थी शिक्षण सत्र के मध्य में मान्यता प्राप्त संस्था से स्थानान्तरणवश किसी अन्य विद्यालय से प्रवेश ले तो उनकी उपस्थिति की गणना करते समय पूर्व विद्यालय की उपस्थिति मँगवाकर जोड़ ली जाए। **4.** स्थानान्तरित अथवा प्रव्रजित विद्यार्थियों को प्रवेश देने से पूर्व ही उपस्थिति के नियम से अवगत करा दिया जाए और यदि उसकी उपस्थिति न्यून होने की सम्भावना हो तो उन्हें प्रवेश ही न दें। **5.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मूल परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने के 10 दिन के अन्दर नियमानुसार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि से होगी। **6.** राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर कक्षा 11 में नियमित प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। इसकी उपस्थिति की गणना प्रवेश लेने की तिथि से होगी। **7.** वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों को विद्यालय के कुल कार्य दिवसों अथवा छात्र के प्रवेश उपरान्त कुल कक्षा मीटिंग में से निम्नानुसार उपस्थित रहना अनिवार्य है– कक्षा 9 एवं 11 – 75 प्रतिशत उपस्थिति। **8.** यदि संस्था प्रधान संतुष्ट हो कि विद्यार्थी रुग्णावस्था के कारण अनुपस्थित रहा है तो विद्यालय के कुल दिवसों की प्रतिशत न्यूनतम के आधार पर विद्यार्थी को निम्न प्रकार से मुक्त करके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते हैं– **1.** कक्षा 9 एवं 11 – 30 मीटिंग (15 दिन की उपस्थिति का लाभ) **2.** रुग्णावस्था के मामलों में कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों के सन्दर्भ में न्यूनतम 60 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर विद्यार्थी परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

2.(ग) परीक्षा तैयारी अवकाश– 1. शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु एक दिन का तथा 9 तथा 11 के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु दो दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जावेगा परन्तु उक्त दिवसों में विद्यालय खुला रहेगा, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी अभिलेख तथा परीक्षा से सम्बन्धित कार्य पूरा करेंगे। यह अवकाश रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त होगा। **2.** कक्षा 10 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा की पूर्व तैयारी हेतु बोर्ड परीक्षा आरम्भ होने की तिथि से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा निर्देशित अथवा 14 दिवसों का पूर्व तैयारी अवकाश दिया जाएगा जिसमें प्रथम 7 दिवसों में विद्यार्थियों हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन इस ढंग से किया जाए ताकि परीक्षा में अधिकतम शैक्षिक उपलब्धि हो सके।

2.(घ) प्रश्न पत्र व्यवस्था– 1. सामयिक परखों में प्रश्न पत्र लिखाकर अथवा श्यामपट्ट पर अंकित करवाए जाएँगे तथा प्रश्न-पत्र सुरक्षित रखे जावें। **2.** किसी परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या 10 से कम होने पर प्रश्नपत्र कार्बन पेपर से सुपाठ्य हस्तलिखित अथवा टंकित करवाए जावें। 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर प्रश्नपत्र कम्प्यूटर से टंकित करवाकर छाया प्रति दी जा सकेंगी। **3.** कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा/अर्द्धवार्षिक परीक्षा/पूरक परीक्षा/पुनः परीक्षा एवं कक्षा 10 एवं 12 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु जिला समान परीक्षा योजना के अन्तर्गत मुद्रित प्रश्नपत्रों को ही उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए प्रयोग में लिए जावें। गत वर्षों के बचे हुए प्रश्नपत्रों का उपयोग कतई नहीं किया जावे। **4.** समस्त प्रकार की मान्यता प्राप्त गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं को भी जिला समान परीक्षा योजना के तहत प्रश्नपत्र लेने अनिवार्य हैं।

2. (ई) सामयिक परखें एवं परीक्षाएँ– 1. सम्बन्धित सत्र में विभागीय पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय की तीन सामयिक परखें होंगी। **2.** सत्र में विभागीय पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार दो परीक्षाएँ होंगी। **अ.** अर्द्धवार्षिक परीक्षा (कक्षा 9 से 12) **ब.** वार्षिक परीक्षा (कक्षा 9 एवं 11)। **नोट–** कक्षा 9 से 12 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा शिविरा पंचांग में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आयोजित की जावें।

2. (च) परीक्षा परिणामों की घोषणा– संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक सामयिक परख व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रगति पत्र अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर अवलोकन करवाया जाए। शिविरा पंचांग के अनुसार निर्दिष्ट दिनांक को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर सूचना पट्ट पर प्रसारित करने के पश्चात् अन्तिम रूप से प्रगति पत्र अभिभावकों को भेजे जावें।

2. (छ) पूर्णांक– 1. कक्षा 9 से 12 हेतु विभिन्न परखों एवं परीक्षाओं के परिणाम के पूर्णांक विभाग द्वारा जारी मूल्यांकन योजना के अनुसार होंगे। **2.** बोर्ड कक्षाओं हेतु पूर्णांक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशों एवं नियमानुसार निर्धारित होंगे।

3. उत्तीर्णता नियम– 1. विद्यार्थियों को उनकी तीन सामयिक परखों अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर/एक सामयिक परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जायेगा। कक्षा 9 एवं 11 में वही विद्यार्थी कक्षोन्नति/उत्तीर्ण का अधिकारी माना जायेगा, जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। परन्तु वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। **2.** जिन विषयों में सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षाएँ होती हैं उनमें अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा में कोई कृपांक अंक देय नहीं है। **3.** तीनों परखों का योग अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न में हों तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जावे। **4.** यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहाँ सामयिक परख नहीं होती है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर एक लिखित सामयिक परख आयोजित कर एक परख, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जायेगा। **5.** राज्य सरकार द्वारा नवक्रमोन्नत विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने के कारण विद्यार्थी को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख व परीक्षा हो चुकी हो उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष रही परीक्षाओं के पूर्णांकों के योग के आधार पर घोषित किया जायेगा। **6.** राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर विलम्ब से प्रवेश लेने वाले (अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व) का परीक्षा परिणाम अर्द्धवार्षिक परीक्षा, तृतीय परख एवं वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के आधार पर घोषित होगा।

4. रुग्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना– 1. यदि कोई विद्यार्थी (कक्षा

9 व 11) अपनी रुग्णावस्था के कारण किसी सामयिक परख अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में नहीं रहा है तो इसे उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह की समयावधि में रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **2.** अन्तिम परीक्षा परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होंने कम से कम दो सामयिक परखें तथा वार्षिक परीक्षा अथवा एक सामयिक परख, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा दी हो।

5. कृपांक– 1. कृपांक के लिए विद्यार्थी का आचरण एवं व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है। अधिकतम दो विषयों में कृपांक दिये जा सकते हैं। **2.** कक्षा 9 एवं 11 में यदि विद्यार्थी एक ही विषय में असफल है तो उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5 प्रतिशत कृपांक दिए जा सकते हैं और यदि विद्यार्थी दो विषयों में असफल है तो प्रत्येक सम्बन्धित विषय में उसके पूर्णांक के अधिकतम 2 प्रतिशत कृपांक दिये जा सकते हैं। **3.** रुग्णावस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में कृपांक देय नहीं होंगे व उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी अन्य विषयों के कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

6. श्रेणी निर्धारण नियम– 1. 60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर प्रथम श्रेणी। **2.** 48 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर द्वितीय श्रेणी। **3.** 36 प्रतिशत व उससे अधिक परन्तु 48 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर तृतीय श्रेणी। **4.** 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता मानी जाएगी। **5.** अगर कोई विद्यार्थी चिकित्सा (सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर) में रहने के फलस्वरूप किसी सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ तो उसका श्रेणी/स्थान निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा– 'विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित होता है उनके पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के अनुसार कक्षा में श्रेणी/स्थान का निर्धारण किया जायेगा।' **6.** श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांकों के वृहद योग के आधार पर ही होगी। अर्थात् श्रेणी निर्धारण करते समय कृपांक नहीं जोड़ें जावेंगे। **7.** पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंकतालिका में मुख्य परीक्षा में अर्जित किये गये अंकों के साथ, पूरक परीक्षा विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंकतालिका जारी कर दी जावे।

7. पूरक परीक्षा नियम– (अ) पात्रता– 1. पूरक परीक्षा अधिकतम किन्हीं दो विषयों में दी जा सकेगी। **2.** सम्बन्धित विषय में कक्षा 9 व 11 में प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक के पूर्णांकों का 25 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है। **(ब) परीक्षा आयोजन–** शिविरा पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथियों में ही आयोज्य होगी। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के समान ही पूरक परीक्षा के पूर्णांक माने जाएँगे। **(स) पूर्णांक–** प्रत्येक विषय का परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप होगा तथा प्रश्नपत्र में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जावेगा। **(द) परीक्षा उत्तीर्णता–** वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित समझा जायेगा जिसने पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषय/विषयों में 36 प्रतिशत अंक अलग-अलग प्राप्त किये हों। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक नहीं दिये जाएँगे। **(य) परीक्षा परिणाम–** शिविरा पंचांग में निर्दिष्ट दिनांक पर पूरक परीक्षा परिणाम घोषित किया जावे। **(र) परीक्षा शुल्क (प्रति विषय)–** कक्षा 9 व 11 के लिए 20 रुपये।

8. पुनः परीक्षा (नियमित विद्यार्थियों हेतु)– 1. पात्रता : वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में रुग्णता प्रमाण पत्र देता है, तो वह उन सभी विषयों में जिनके लिए रुग्णता प्रमाण पत्र दिया गया है। पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा। **2. परीक्षा आयोजन :** पुनः परीक्षा उन्हीं तिथियों में होगी जिन तिथियों में पूरक परीक्षा आयोज्य होगी। **3. पुनः परीक्षा शुल्क (प्रति विषय) :** कक्षा 9 एवं 11 के लिए 20 रुपये। **4. परीक्षा परिणाम :** सामयिक परखों, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा/पुनः परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। जिन विषयों में विद्यार्थी ने पुनः परीक्षा दी है। उन विषयों में वह कृपांक का अधिकारी नहीं होगा। शेष विषयों में नियम 5 के अनुसार कृपांक का अधिकारी होगा।

9. उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा– 1. प्रत्येक सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएँ विद्यार्थियों को दिखाई जावें। **2.** सभी परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं को विद्यालय में आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखा जावे। 3. परिवीक्षण अधिकारियों द्वारा विद्यालय के परिवीक्षण के अवसर पर उक्त रिकार्ड का निरीक्षण किया जावे।

10. अन्य नियम– 1. कोई विद्यार्थी यदि अपनी अर्द्धवार्षिक परीक्षा में रुग्णता के कारण सम्मिलित न हो तो उसे अपना रुग्णता प्रमाण पत्र परीक्षा/प्रश्न पत्र प्रारम्भ होने के सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना होगा। **2.** परीक्षाफल घोषित होते ही परीक्षाफल की प्रति परिणाम घोषित करने के उसी दिन अथवा अगले दिन नियंत्रण अधिकारी के पास प्रेषित की जावे। **3.** विद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात् उसी दिन अथवा अधिकतम दो दिन की अवधि में परीक्षार्थियों को उनके प्रगति पत्र दे दिये जावें। **4.** परीक्षाफल के पुनरावलोकन के लिए प्रार्थना पत्र निर्धारित शुल्क रुपये 20 प्रति विषय के साथ परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात् सात दिन की अवधि में संस्था प्रधान के पास विद्यार्थी या उसके अभिभावक द्वारा प्रस्तुत करना होगा। **5.** पुनरावलोकन में केवल निम्नलिखित बातों की जाँच सम्मिलित होगी– (अ) सभी प्रश्न जाँचे गये हैं या नहीं। (ब) अंकों का योग सही है या नहीं। (स) ऐसे पुनरावलोकन के सभी मामलों का निर्णय पूरक परीक्षा से पूर्व हो जाना चाहिए। **6.** प्रगति पत्र की दूसरी प्रति 20 रुपये शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी। जिस पर द्वितीय प्रति अंकित करना जरूरी है तथा स्थाई अभिलेख में भी इन्द्राज किया जावे। **7.** कोई भी छात्र अन्य छात्र की जाँची हुई सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका देखने के लिए संस्था प्रधान से लिखित में अनुमति प्राप्त कर प्रति विषय 10 रुपये की दर से शुल्क जमा करवाकर संस्था प्रधान के समक्ष ऐसी उत्तर पुस्तिका देख सकेगा। यदि उक्त छात्र या उसके अभिभावक द्वारा उत्तरपुस्तिका को नुकसान पहुँचाया जाता है तो संस्था प्रधान उसके विरुद्ध थाने में प्रथम सूचना दर्ज करवाकर प्रतिलिपि अपने नियंत्रण अधिकारी को देगा।

11. स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु नियम– 1. कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में परीक्षार्थी ने यदि नियमानुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में दी हो तो वह उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश ले सकता है। **2.** यदि कोई स्वयंपाठी परीक्षार्थी कक्षा 9 में नियमित रूप से प्रवेश लेना चाहता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमानुसार प्रवेश दिया जावे।

12. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में नियम– (अ) निम्न प्रकार के व्यवहार अनुचित साधनों का प्रयोग माने जाएँगे– **1.** परीक्षा कक्ष में किसी विद्यार्थी को सहायता देना अथवा उससे या अन्य किसी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करना। **2.** परीक्षा कक्ष में कागज, पुस्तक, कॉपी अन्य अवांछनीय सामग्री अपने पास/मुँह में/डैस्क में/ उत्तरपुस्तिका आदि में या परीक्षा भवन के आस-पास रखना। **3.** उत्तरपुस्तिका चोरी से लाना या ले जाना व उत्तरपुस्तिका में अपशब्द पूर्ण व अश्लील भाषा का प्रयोग करना या करने का प्रयत्न करना या दुराचरण करना। **(ब) अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (यदि किसी परीक्षार्थी पर अवांछनीय सामग्री का प्रयोग कर लेने या करने का प्रयत्न करने का सन्देह हो तो)– 1.** सम्बन्धित वीक्षक या अधीक्षक परीक्षार्थी की तलाशी ले सकेंगे। **2.** परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका, सन्देहास्पद सामग्री सहित उससे ले ली जाएगी और उसका स्पष्टीकरण लिखवाया

जाकर प्राप्त सामग्री पर उसके हस्ताक्षर करवाकर शेष प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नई उत्तरपुस्तिका दे दी जाएगी। 3. यदि परीक्षार्थी स्पष्टीकरण देने या सामग्री पर हस्ताक्षर करने से इंकार करें या परीक्षा केन्द्र से भाग जाये तो वीक्षक आसपास बैठे हुए परीक्षार्थियों से उस पर हस्ताक्षर करवा लेवें। 4. उस सामग्री पर परीक्षार्थी, वीक्षक एवं पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) तथा संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कर सीलबन्द कर विद्यालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 5. ऐसे प्रकरणों के साथ निम्न सामग्री भेजी जाएगी– - विद्यार्थी द्वारा लिखी गई उत्तरपुस्तिकाएँ। - वह सामग्री जिसे नकल करते हुए पकड़ा जाये। - विद्यार्थी शिक्षक परिवीक्षक के बयान। - संस्था प्रधान की टिप्पणी। - सम्बन्धित विषय के प्रश्नपत्र की एक प्रति। - अन्य कोई सामग्री अथवा प्रमाण जो संस्था प्रधान आवश्यक समझे।

13. अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में दण्ड देने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया– इस प्रकार के समस्त अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया जाएगा– 1. सीनियर माध्यमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के लिए– 1. सम्बन्धित संस्था प्रधान। 2. परीक्षा प्रभारी (सम्बन्धित संस्था)। 3. संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत संस्था का वरिष्ठतम शिक्षक। 2. उक्त समिति समस्त प्रकरणों पर निर्णय परीक्षा समाप्त होने के तीन दिन के भीतर कर लेगी। तब तक सम्बन्धित परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम रोक रखा जाएगा। 3. समिति की सिफारिश पर अन्तिम निर्णय लेकर सम्बन्धित संस्था प्रधान आदेश जारी करेंगे। 4. विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का निर्णय अन्तिम होगा।

14. दण्ड– प्रकरण की गम्भीरता के अनुरूप समिति निम्न में से किसी एक दण्ड को दे सकेंगी– 1. जिस विषय में यह पाया जाय कि नकल की सामग्री लाई तो गई थी परन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया। ऐसे मामले में प्राप्त अंकों में से 10 प्रतिशत अंक कम कर दिये जाएँगे। 2. अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर प्रथम उत्तरपुस्तिका का निरस्त कर दूसरी उत्तरपुस्तिका के आधार पर जाँच की जाएगी। 3. दोषी परीक्षार्थी के उस प्रश्नपत्र की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। 4. परीक्षार्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। 5. जहाँ विस्तृत पैमाने पर नकल की गई थी, वहाँ पर जिस प्रश्नपत्र/प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित हो, वह परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। 6. जहाँ कहीं ऐसे दोष में किसी/किन्हीं शिक्षक अथवा कर्मचारी के लिप्त होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक नियमों के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही सक्षम अधिकारियों को प्रस्तावित की जावे।

15. अन्य नियम– 1. किसी भी परीक्षार्थी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह अपना प्रतिनिधित्व किसी वैधानिक परामर्शदाता, एडवोकेट या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा केन्द्राधीक्षक अथवा उक्त समिति के समक्ष करा सकें। 2. यदि परीक्षा के समय का अथवा उससे सम्बन्धित कोई मामला उपर्युक्त किसी प्रावधान के अन्तर्गत न आये तो भी संस्था प्रधान यदि आवश्यक समझे तो उस मामले में इन नियमों में बताई गई पद्धति के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकारी होगा।

16. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित सम्बद्ध आदेशों के अनुरूप इन नियमों में संशोधन मान्य होंगे।

17. परीक्षा सम्बन्धित इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आये विषयों पर विभागाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का निर्णय अन्तिम होगा। • ह. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

6. शैक्षिक सत्र 2012-13 से कक्षा 6, 7 एवं 8 की अंग्रेजी विषय की नवीन पाठ्यपुस्तक लागू करने के क्रम में।

• राजस्थान सरकार, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग। क्रमांक : प.5(8)शिक्षा-1/प्राशि/2009 जयपुर, दिनांक 02.03.2012 • विषय : शैक्षिक सत्र 2012-13 से कक्षा 6, 7 एवं 8 की अंग्रेजी विषय की नवीन पाठ्यपुस्तक लागू करने के क्रम में। • सन्दर्भ : आपकी लूज नोटशीट पत्रावली संख्या : Nil प्रेषण क्रमांक : 2055 दिनांक 27.02.2012 • उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपकी संदर्भित लूज नोटशीट द्वारा शैक्षिक सत्र 2012-13 से कक्षा 6, 7 एवं 8 की अंग्रेजी विषय की एस.आई.ई.आर.टी. द्वारा तैयार नवीन पाठ्यपुस्तकें जो गठित स्टेयरिंग कमेटी एवं सब स्टेयरिंग कमेटी के अनुमोदन उपरान्त प्रेषित की गई है, के क्रम में इनको राज्य में सत्र 2012-13 से लागू करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। • ह. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)। • कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी-एफ/नवीन पाठ्यक्रम/19510/11-12 दिनांक 15.03.2012

7. बालिकाओं से साइकिल वापिस नहीं लेने के सम्बन्ध में।

• कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/स-1/साइकिल/22474/2011-12/दिनांक 23.03.2012 • विषय : बालिकाओं से साइकिल वापिस नहीं लेने के सम्बन्ध में। • प्रसंग : प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा का पत्र क्रमांक प.1(7)शिक्षा-I/2009 दिनांक 22.3.2012 • उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की पालना में निर्देशित किया जाता है कि एक बार पात्र बालिका को साइकिल वितरित करने के उपरान्त बालिका के असफल हो जाने, बालिका द्वारा विद्यालय परित्याग कर देने, ग्रीष्मावकाश हो जाने आदि की स्थिति में बालिकाओं से साइकिल वापिस नहीं ली जाए।

अतः समस्त संस्था प्रधानों को निर्देश तत्काल जारी कर पालना सुनिश्चित करें। • ह. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

शिविरा पंचांग माह अप्रैल, 2012

कार्य दिवस 22 • रविवार 05 • अवकाश 03 • उत्सव 03– **01 अप्रैल**– रामनवमी (अवकाश उत्सव)। **05 अप्रैल**– महावीर जयन्ती, अहिंसा दिवस (अवकाश उत्सव)। **06 अप्रैल**– गुडफ्राइडे (अवकाश)। **11–25 अप्रैल**– वार्षिक परीक्षाएँ। **14 अप्रैल**– डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जयन्ती (अवकाश उत्सव)। **28 अप्रैल**– सभी कक्षाओं के परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा परीक्षा परिणामों की प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को समीक्षा हेतु प्रेषित करना। **30 अप्रैल**– संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर सत्रपर्यन्त हुए कार्यों की समीक्षा करना एवं आगामी सत्र की विद्यालय योजना हेतु विचार–विमर्श कर निर्णय लेना तथा योजना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना। भामाशाह योजना का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करना। सत्र 2011–12 के दौरान विभिन्न छात्रवृत्तियों में मिले बजट, इनके विरुद्ध व्यय, बचत एवं लाभान्वित विद्यार्थियों की सूचना आगामी छात्रवृत्ति के लिए अनुमानित राशि की मांग, ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिभा विकास के आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रेषित करना। **नोट** :– प्रशिक्षकों (केआरपी, आरपी) के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्रसंग : विश्व धरोहर दिवस

सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी

(बच्चों की हेरिटेज ब्रिगेड)

❑ ओमप्रकाश सारस्वत

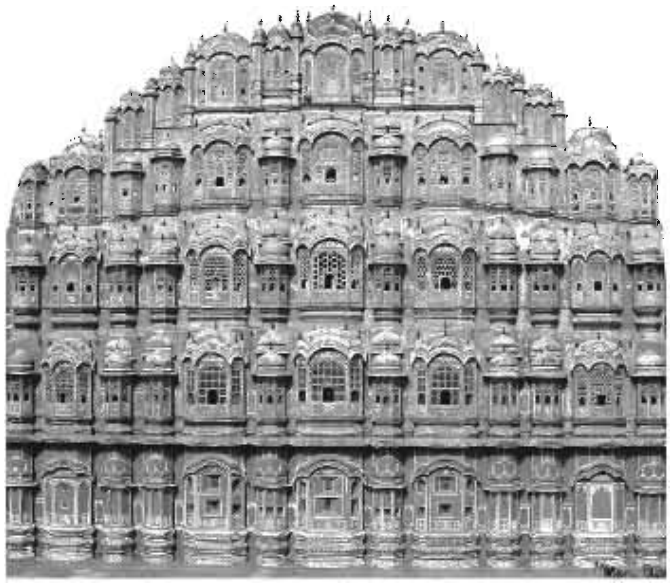

देश व समाज के जीवन में कला, संस्कृति, साहित्य एवं उसकी तत्सम्बन्धी धरोहर का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः कला, साहित्य, संगीत, स्वस्थ परम्पराएँ आदि पीढ़ी-दर-पीढ़ी विचारों, भावनाओं एवं विश्वास का संचरण करते हुए लोगों को बार-बार यह याद दिलाती रहती हैं कि उनके पूर्वज क्या सोचते थे, उनके मूल्य क्या थे, उनका भाव-बोध व भाव सौन्दर्य क्या था तथा जीवन में सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम् की स्थापना करते हुए सौन्दर्यपूर्ण एवं अमूल्य हो सकने के उनके प्रतिमान क्या थे। इस प्रकार देश, प्रदेश व समाज की सांस्कृतिक विरासत में सम्वर्द्धन, संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिए योगदान करना सबका पुनीत कर्तव्य है, यह भी आवश्यक है कि संस्कृति व उसकी धरोहर को शिक्षा से जोड़ने के लिए सुविचारित व सुनियोजित प्रयास किए जाएँ ताकि आज के हमारे छात्र-छात्राएँ, बड़े होकर इस महान कार्य को आगे बढ़ा सकें। जिस प्रकार बड़े-बुजुर्ग किसी भी समाज की अनमोल धरोहर होते हैं, वैसे ही कला व सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हमारी धरोहर होती हैं।

राजस्थान में व्यापक रूप से उपलब्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रति स्कूली छात्र-छात्राओं में छात्र जीवन से ही चेतना जागृत कर उसके संरक्षण हेतु उनमें सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण योजना 'सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी' के नाम से संचालित की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक विद्यालय का चयन किया गया है। विद्यालय स्तर पर छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व विकास के लिए चल रही सहशैक्षिक गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना का सूत्रपात होना निश्चय ही एक सार्थक व सराहनीय कदम है। छात्र-छात्राओं के रूप में समाज की भावी-पीढ़ी का इस योजना के साथ जुड़ाव हमारी अमूल्य विरासत के संरक्षण व संवर्द्धन का आधार बनेगा।

सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना एक बहुआयामी योजना है जिसका उद्देश्य न केवल हमारी अनमोल धरोहर को सुरक्षित रखकर उसका विकास-विस्तार करना ही है वरन् इसके माध्यम से समाज में प्रेम, भ्रातृत्व भाव, सहयोग, समन्वय, सहकार एवं कर्त्तव्यपालन के भाव का भी विकास करना है। संक्षेप में इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- राजस्थान प्रदेश में व्यापक रूप से उपलब्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रति बालकों में छात्र जीवन से ही चेतना जागृत कर उनके संरक्षण हेतु उनमें सकारात्मक सोच पैदा करना।
- धरोहर स्थलों के आस-पास वृक्षारोपण करना एवं उनकी बेहतर देखभाल करना।
- अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अध्ययन करना।
- ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना।
- राजस्थान की लोक कलाओं, लोक संगीत, लोक नृत्य आदि की जानकारी प्राप्त करना और संवर्द्धन करना।
- राजस्थान के त्यौहारों, मेलों, रीति-रिवाजों का गहन ज्ञान प्राप्त करना।
- विद्यार्थियों को पर्यटक स्काउट और सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में पर्यटन व्यवसाय से जोड़ना।

सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना के अन्तर्गत हमारे सांस्कृतिक व पुरातत्व महत्व के स्थानों, स्मारकों व धरोहर स्थलों तक विद्यार्थियों को ले जाकर उनका अवलोकन करवाया जाता है। वे न केवल उनका अवलोकन कर उनके सांस्कृतिक पुरा महत्त्व को समझते ही हैं। बल्कि वहाँ श्रमदान करते हैं तथा तत्वैभव को बनाए रखने व उसके विकास में भागीदार बनने का संकल्प भी लेते हैं। विचारगोष्ठियों के माध्यम से धरोहरों का महत्त्व जानते हैं; विचारों का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं तथा सुरक्षा हेतु योजनाएँ बनाकर उन्हें उचित मंच तक भिजवाने का कार्य करते हैं। वस्तुतः सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी में संलग्न प्रत्येक कार्यकर्ता सांस्कृतिक धरोहर का दूत है और एक गुणवान दूत की तरह इसके उद्देश्यों की सम्प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत रहना उसका प्रथम कर्तव्य है।

विद्यालय स्तर पर यों तो प्रार्थना सभा से लेकर विविध गतिविधियों

यथा बाल-सभा, समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज-सेवा, खेलकूद, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि सभी में किसी न किसी भाँति सांस्कृतिक धरोहर की बात रहती है तथापि योजना के दस्तावेज में विद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी के द्वारा निम्न करणीय कार्य रखे गए हैं– (1) विभिन्न ऐतिहासिक/सांस्कृतिक दिवसों को समारोहपूर्वक मनाना। (2) धरोहर से जुड़े विषयों पर विद्यालय स्तर पर निबंध, वाद-विवाद और आशु-भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन। (3) लोक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन। (4) धरोहर संरक्षण हेतु चेतना रैली का आयोजन - वर्ष में एक बार। (5) प्रश्नोत्तरी (Quiz), नारा लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन। (6) धरोहर संरक्षण प्रदर्शनी का आयोजन - विद्यालय स्तर पर वर्ष में एक बार। (7) धरोहर संरक्षण की विभिन्न जिला इकाइयों का पारस्परिक आदान-प्रदान – वर्ष में एक बार। (8) निकट के विद्यालयों से सम्पर्क कर वहाँ भी धरोहर चेतना का विस्तार करना। (9) विषय विशेषज्ञों की वार्ताएँ आयोजित करना।

सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी वस्तुतः बच्चों की हेरिटेज ब्रिगेड है जो विरासत के संरक्षण के लिए समर्पित है। पूर्व में यह योजना पाँच विभाग/संस्थाओं के माध्यम से संचालित की गई थी। इनके नाम क्रमशः नगरीय विकास विभाग, पर्यटन विभाग, पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग, शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान है, लेकिन वर्तमान में इसका संयोजन एवं संचालन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा योजना के संचालन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिनका विवेचन इस प्रकार है–

1. सांस्कृतिक धरोहरें हमारे महान इतिहास की अनमोल निधियाँ हैं जिनकी रक्षा करने का संदेश हमारे पौराणिक ग्रंथों में दिया गया है। इतना ही नहीं, महापुरुषों ने इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। महाभारत में वेदव्यास ने कहा है–

वृतं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमायाति याति च।
अक्षीणो वित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हतः॥

अर्थात्- हमें हमारे इतिहास एवं गौरवमयी धरोहरों की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता है। धन से हीन होने पर कोई नष्ट नहीं होता किन्तु इतिहास तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत व प्राचीन गौरव के नष्ट हो जाने पर विनाश निश्चित है।

2. सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने एवं उसे विकसित करने का कर्तव्य देश के प्रत्येक नागरिक का है। संस्कृति की रक्षा में ही समाज व राष्ट्र की सुरक्षा निहित है। इस पवित्र भाव से सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना का संचालन किया जाना है।

3. विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्येतर सहगामी प्रवृत्तियों तथा विद्यार्थी के व्यक्तित्व को उभार कर उसे समाज में विशिष्ट पहचान दिलाए जाने के उद्देश्य से सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना मील के पत्थर की तरह प्रमाणित हो सकती है। वस्तुतः शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास करना ही तो है।

4. सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ विद्यालय की अन्य सामान्य गतिविधियों की तरह मानी जाएगी। वर्तमान में जिला स्तर पर एक विद्यालय का पायनियर विद्यालय के रूप में चयन कर उसमें संचालित करने का निश्चय किया गया है।

वित्त सम्बन्धी निर्देश– • विद्यालय छात्रनिधि (Boy fund) एवं विद्यालय विकास कोष की राशि का उपयोग सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी के लिए किया जा सकता है। समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाजसेवा प्रवृत्ति के साथ सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी को जोड़ा जाता है। • सांस्कृतिक धरोहर की सम्भाल (Care) करने, उसे प्रोन्नत (Promote) करने तथा उन्हें मान्यता (Recognisation) प्रदान करने का काम सम्पूर्ण समाज का है। अतः सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी की गतिविधियों को आयोजित करने में समाज का सहयोग लिया जाए। उदारमना भामाशाह इस कार्य में निश्चय ही सहयोग प्रदान करेंगे। सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों में खुले हाथों सहयोग करने की परम्परा राजस्थान की पहचान है। अतः भामाशाहों का सहयोग लिया जावें। • सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी के निमित्त यात्राएँ करने वाले कार्मिकों का यात्रा एवं दैनिक भत्ता राजकोष से आहरित किया जाएगा तथा उनकी ये यात्राएँ राजकीय यात्राएँ मानी जाएँगी।

प्रचार-प्रसार सम्बन्धी निर्देश– • सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में विरासत की रक्षा के प्रति संचेतना जाग्रत करने के लिए प्रभात फेरियाँ, शैलियाँ, विचार गोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ, निबन्ध, भाषण, वाद-विवाद एवं चित्रकला प्रतियोगिताएँ आदि आयोजित की जा सकती हैं। • जिले में विलुप्त हो रही धरोहरों को पहचान कर उनकी रक्षा एवं विकास के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। ऐसी मूल्यवान धरोहरों के इतिहास को लिखकर तत्विषयक फोल्डर, पोस्टर स्थानीय सहयोग से प्रकाशित किए जा सकते हैं। ऐसे प्रकाशनों को करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए विज्ञापन लिए जा सकते हैं। इस प्रकार से विद्यालयों में प्रकाशन कार्य किया जाता रहा है। • शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न समारोहों, वाक्पीठों, बैठकों आदि में इस योजना के बारे में बताया जाए। प्रधानाध्यापक वाक्पीठों में इस योजना के बारे में वार्ता अवश्य रखवाई जावे। • सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों की प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों एवं शिविरा पत्रिका को प्रकाशन के लिए भिजवाई जाए।

अतः सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना के प्रभावी एवं सफल संचालन के लिए उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इस प्रकार सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी योजना के रूप में राजस्थान के पास एक ऐसी नियोजित योजना है जिसके माध्यम से महान प्रदेश राजस्थान की अकूत एवं अद्भुत सांस्कृतिक धरोहरों के न केवल संरक्षण का काम ही किया जा सकता है अपितु इन महान धरोहरों के प्रचार-प्रसार व इस प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रदेशवासियों के दिल में राष्ट्रप्रेम, भाईचारे, प्रेम, समानता व समन्वय, सहयोग एवं सहकार तथा परिश्रम व कर्तव्यपालन जैसे अनमोल गुणों का विकास कर सकते हैं। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर अपनी धरोहरों की सुरक्षा करने का संकल्प हमें लेना चाहिए।

–वरिष्ठ संपादक, शिविरा पत्रिका

कलेण्डर वर्ष 2012 में राजस्थान के जिलों में जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश की सूची

जिले का नाम	दिनांक	वार	अवकाश का कारण
1. जयपुर	14.01.2012	शनिवार	मकर संक्रान्ति
	15.03.2012	गुरुवार	शीतला अष्टमी
2. अलवर	29.06.2012	शुक्रवार	जगन्नाथ जी का मेला
	18.09.2012	मंगलवार	पाण्डुपोल हनुमानजी मेला
3. सीकर	05.03.2012	सोमवार	खाटुश्याम जी मेला
	12.11.2012	सोमवार	धनतेरस
4. दौसा	15.03.2012	गुरुवार	शीतलाष्टमी
	19.09.2012	बुधवार	गणेश चतुर्थी
5. भरतपुर	03.07.2012	मंगलवार	गुरु पूर्णिमा
	17.08.2012	शुक्रवार	वनयात्रा
6. धौलपुर	21.09.2012	शुक्रवार	देवछठ मेला
	02.11.2012	शुक्रवार	करवा चौथ
7. सवाईमाधोपुर	12.01.2012	गुरुवार	चौथमाता का मेला
	19.09.2012	बुधवार	गणेश चतुर्थी
8. करौली	09.03.2012	शुक्रवार	फूल डोला उत्सव
	12.11.2012	सोमवार	रूप चौहदस
9. अजमेर	27.11.2012	मंगलवार	श्री पुष्कर मेला
	25 या 26.05.2012	शुक्रवार या शनिवार	उर्स मेला
10. भीलवाड़ा	15.03.2012	गुरुवार	शीतला अष्टमी
	26.09.2012	बुधवार	जलझूलनी ग्यारस
11. नागौर	15.03.2012	गुरुवार	शीतला अष्टमी
	24.04.2012	मंगलवार	अक्षय तृतीया
12. टोंक	26.09.2012	बुधवार	जलझूलनी ग्यारस
	12.11.2012	सोमवार	धनतेरस
13. कोटा	14.01.2012	शनिवार	मकर संक्रान्ति
	19.09.2012	बुधवार	गणेश चतुर्थी
14. बारां	26.09.2012	बुधवार	जलझूलनी एकादशी
	23.10.2012	मंगलवार	नवमी (नवरात्रि)
15. बून्दी	19.09.2012	बुधवार	गणेश चतुर्थी
	03.12.2012	सोमवार	बून्दी उत्सव
16. झालावाड़	02.04.2012	सोमवार	राड़ी के हनुमान जी का मेला
	26.09.2012	बुधवार	जलझूलनी एकादशी
17. जोधपुर	15.03.2012	गुरुवार	शीतला अष्टमी, कामा मेला
	17.09.2012	सोमवार	मसूरिया मेला, बाबारी बीज
18. पाली	30.07.2012	सोमवार	परशुराम, महादेव मेला
	19.09.2012	बुधवार	गणेश चतुर्थी
19. बाड़मेर	14.03.2012	बुधवार	शीतला सप्तमी मेला
	24.04.2012	मंगलवार	परशुराम जयन्ती (अक्षय तृतीया)
20. जैसलमेर	26.03.2012	सोमवार	गणगौर मेला
	24.04.2012	मंगलवार	अक्षय तृतीया (आखातीज)
21. सिरोही (1)	27.02.2012	सोमवार	रघुनाथ पाटोत्सव, आबू पर्वत, आबू रोड, तहसील क्षेत्र
(2)	14.03.2012	बुधवार	शीतला सप्तमी मेला
(3)	27.09.2012	गुरुवार	तारणेश्वर महादेव मेला, आबू रोड, तहसील क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण जिले में
22. जालौर	14.03.2012	बुधवार	शीतला सप्तमी मेला
	24.04.2012	मंगलवार	अक्षय तृतीया
23. उदयपुर	19.07.2012	गुरुवार	हरियाली अमावस्या
	26.09.2012	बुधवार	जलझूलनी एकादशी
24. बांसवाड़ा	19.09.2012	बुधवार	गणेश चतुर्थी
	26.09.2012	बुधवार	जलझूलनी एकादशी
25. चित्तौड़गढ़ (1)	15.03.2012	गुरुवार	शीतला अष्टमी (केवल कपासन एवं राशमी क्षेत्र में)
(2)	20.03.2012	मंगलवार	रंगतेरस (कपासन एवं राशमी क्षेत्र के अलावा संपूर्ण जिले में)
(3)	19.07.2012	गुरुवार	हरियाली अमावस्या
26. प्रतापगढ़	20.03.2012	मंगलवार	रंगतेरस
	19.07.2012	गुरुवार	हरियाली अमावस्या
27. डूंगरपुर	07.02.2012	मंगलवार	बेणेश्वर मेला
	19.09.2012	बुधवार	गणेश चतुर्थी
28. राजसमन्द	14.03.2012	बुधवार	शीतला सप्तमी मेला
	26.09.2012	बुधवार	जलझूलनी एकादशी
29. चूरू	15.03.2012	गुरुवार	शीतला अष्टमी
	23.10.2012	मंगलवार	महानवमी
30. बीकानेर	24.04.2012	मंगलवार	अक्षय तृतीया
	22.09.2012	शनिवार	पुनरासर हनुमानजी मेला
31. हनुमानगढ़	13.04.2012	शुक्रवार	बैसाखी
	12.07.2012	गुरुवार	जिला स्थापना दिवस
32. झुंझुनूं	17.08.2012	शुक्रवार	लोहार्गल मेला
	23.10.2012	मंगलवार	महानवमी
33. श्रीगंगानगर	13.01.2012	शुक्रवार	लोहड़ी
	26.10.2012	शुक्रवार	जिला स्थापना दिवस

अहिंसा हमें दूसरे धर्मों के प्रति समभाव सिखाती है। आदर और सहिष्णुता अहिंसा की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। दूसरे धर्मों के प्रति समभाव रखने के मूल में अपने धर्म की अपूर्णता-स्वीकार भी आ ही जाता है। सत्य की आराधना, अहिंसा की कसौटी यही सिखाती है। संपूर्ण सत्य को यदि हमने देख पाया होता तो फिर सत्य के आग्रह की क्यों बात की? तब तो हम परमेश्वर हो गए होते; क्योंकि हमारी भावना है कि सत्य ही परमेश्वर है। हम पूर्ण सत्य को पहचानते नहीं हैं, इसलिए उसका आग्रह करते हैं। इसी से पुरुषार्थ की गुंजाइश है। इसमें अपनी अपूर्णता की स्वीकृति आ गई। यदि हम अपूर्ण हैं तो हमारे द्वारा कल्पित धर्म भी अपूर्ण है, स्वतंत्र धर्म संपूर्ण है। हमने उसे देखा नहीं है, वैसे ही जैसे ईश्वर को नहीं देखा है। हमारा माना हुआ धर्म अपूर्ण है और उसमें सदा परिवर्तन होते रहते हैं, होते रहेंगे। यह होने से ही हम उत्तरोत्तर ऊपर उठ सकते हैं, सत्य की ओर, ईश्वर की ओर दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ सकते हैं। जब मनुष्य-कल्पित सब धर्मों को अपूर्ण मान लेते हैं तो फिर किसी को ऊँच-नीच मानने की बात नहीं रह जाती। सभी सच्चे हैं, पर सभी अपूर्ण हैं, इसलिए दोष के पात्र हैं। समभाव होने पर भी हम उनमें दोष देख सकते हैं। हमें अपने में भी दोष देखना चाहिए। उस दोष के कारण उसका त्याग न करें; बल्कि दोष को दूर करें। इस प्रकार समभाव रखने से दूसरे धर्मों के ग्राह्य अंश को अपने धर्म में लेते संकोच न होगा। इतना ही नहीं, बल्कि वैसा करना धर्म हो जाएगा।

सब धर्म ईश्वरदत्त हैं, पर मनुष्य-कल्पित होने के कारण मनुष्य द्वारा उनका प्रचार होने के कारण वे अपूर्ण हैं। ईश्वरदत्त धर्म अगम्य है। उसे भाषा में मनुष्य प्रकट करता है, उसका अर्थ भी मनुष्य लगाता है। किसका अर्थ सच्चा माना जाए? सब अपनी-अपनी दृष्टि से, जब तक वह दृष्टि बनी है तब तक, सच्चे हैं। पर झूठा होना भी असंभव नहीं है। इसीलिए हमें सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं आती, बल्कि स्वधर्म विषयक प्रेम अंधा न रहकर ज्ञानमय हो जाता है, अधिक सात्विक, निर्मल बनता है। सब धर्मों के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्यचक्षु खुल सकते हैं। धर्मांधता और दिव्य-दर्शन में उत्तर-दक्षिण जितना अंतर है। धर्म-ज्ञान होने पर अंतराल मिट जाते हैं और समभाव उत्पन्न हो जाता है। इस समभाव के विकास से हम अपने धर्म को अधिक पहचान सकते हैं।

यहाँ धर्म-अधर्म का भेद नहीं मिटता। यहाँ तो उन धर्मों की बात है जिन्हें हम निर्धारित धर्म के रूप में जानते हैं। इन सभी धर्मों के मूल सिद्धांत एक ही है। सभी में संत-स्त्री-पुरुष हो गए हैं, आज भी मौजूद हैं। इसलिए धर्मों के प्रति समभाव में और धर्मियों-मनुष्यों के प्रति जिस समभाव की बात है उसमें, कुछ अंतर है। मनुष्य मात्र– दुष्ट और श्रेष्ठ के प्रति, धर्मी और अधर्मी के प्रति समभाव की अपेक्षा है, पर अधर्म के प्रति वह कदापि नहीं है।

तब प्रश्न यह होता है कि बहुत से धर्मों की आवश्यकता क्या है? हम जानते हैं कि धर्म अनेक हैं। आत्मा एक है, पर मनुष्य देह अगणित हैं। देह की असंख्यता टाले नहीं टल सकती, तथापि आत्मा की एकता को हम पहचान सकते हैं। धर्म का मूल एक है, जैसे वृक्ष का; पर उसके पत्ते असंख्य हैं।

... ...

यह विषय इतने महत्त्व का है कि इसे यहाँ और विस्तार से लिखना चाहता हूँ।

आत्म-संतोष के लिए मैं भिन्न-भिन्न धर्म पुस्तकें उलटा रहा था, तब मैंने ईसाई, इस्लाम, जरथुस्ती, यहूदी और हिंदू इतनों की पुस्तकों का अपने संतोषभर के लिए परिचय कर लिया था। मैं यह सकता हूँ कि इस अध्ययन के समय सभी धर्मों के प्रति मेरे मन में समभाव था। मैं यह नहीं कहता कि उस समय मुझे यह ज्ञान था। उस समय समभाव शब्द का भी पूरा परिचय न रहा होगा; परन्तु उस समय की अपनी स्मृतियाँ ताजी करता हूँ तो मुझे याद नहीं आता कि उन धर्मों के सम्बन्ध में टीका-टिप्पणी करने की इच्छा तक हुई हो। वरन् उनके ग्रंथों को धर्म-ग्रंथ मानकर आदरपूर्वक पढ़ता और सबमें मूल नैतिक सिद्धांत एक जैसे ही पाता था। कितनी ही बातें मैं नहीं समझ सकता था। यही बात हिंदू-धर्मग्रंथों के सम्बन्ध में भी थी। आज भी कितनी ही बातें नहीं समझता; पर अनुभव से देखता हूँ कि जिसे हम नहीं समझ सकते वह गलत ही है, यह मानने की जल्दबाजी करना भूल है। कितनी ही बातें समझ में नहीं आती थीं, वे आज दीपक की तरह दिखाई देती हैं। समभाव का अभ्यास करने से अनेक गुत्थियाँ अपने-आप सुलझ जाती हैं और जहाँ हमें दोष ही दिखाई दें, वहाँ उन्हें दरसाने में भी नम्रता और विवेक होने के कारण किसी को दुःख नहीं होता।

एक कठिनाई शायद रह जाती है। मैंने कहा है कि धर्म-धर्म का भेद रहता है और धर्म के प्रति समभाव रखने का अभ्यास करना यहाँ उद्देश्य नहीं है। यदि ऐसा हो तो धर्माधर्म का निर्णय करने में ही क्या समभाव की शृंखला नहीं टूट जाती? यह प्रश्न उठ सकता है और यह भी संभव है कि ऐसा निर्णय करने वाला भूल कर बैठे। परन्तु हममें यदि वास्तविक अहिंसा मौजूद रहे तो हम वैरभाव में से बच जाते हैं; क्योंकि अधर्म देखते हुए भी उस अधर्म का आचरण करने वाले के प्रति तो प्रेमभाव ही होगा। इससे या तो वह हमारी दृष्टि स्वीकार कर लेगा अथवा हमारी भूल हमें दिखाएगा। या दोनों एक-दूसरे के मतभेद को सहन करेंगे। अंत में विपक्षी अहिंसक न हुआ तो वह कठोरता से काम लेगा। तो भी हम अहिंसा के सच्चे पुजारी होंगे तो इसमें संदेह नहीं कि हमारी मृदुता उसकी कठोरता को अवश्य दूर कर देगी। दूसरे को, भूल के लिए भी हमें पीड़ा नहीं पहुँचानी है। हमें खुद ही कष्ट सहना है। इस स्वर्ण नियम का पालन करने वाला सभी संकटों से बच जाता है।

'मंगल-प्रभात' से

बापू की सीख-11

सर्वधर्म-समभाव

❑ मो. क. गाँधी

महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति एवं शिक्षा सभी क्षेत्रों में उनके विचार बहुत उपयोगी हैं। वस्तुतः वे एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक थे। उनकी शिक्षा सम्बन्धी 21 रचनाएं 'बापू की सीख' नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं। शिविरा के सुधि पाठकों के लिए उन्हें शृंखलाबद्ध प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आशा है पाठक इन विचारों को पठन, मनन के साथ आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। —वरिष्ठ सम्पादक

झोला पुस्तकालय-9

'शिक्षा-विमर्श' का अध्यापक विशेषांक

❑ शिवरतन थानवी

बहुत लम्बी प्रतीक्षा के बाद 'शिक्षा-विमर्श' का 'अध्यापक विशेषांक' आया है। करीब एक वर्ष से भी अधिक हुआ जब इस विशेषांक के आयोजन की घोषणा हुई थी। जिज्ञासु पाठकों को विशेष प्रतीक्षा इस कारण भी थी कि यह उनके अपने कार्य और जीवन से सम्बन्ध रखता था और इस कारण भी कि इसका अतिथि संपादन शिक्षा जगत के प्रसिद्ध शिक्षाविद् और प्रबुद्ध शिक्षक-लेखक प्रो. कृष्णकुमार स्वयं करने वाले थे। ऐसी घोषणा 'शिक्षा-विमर्श' के विज्ञापन ने की थी। पाठकों को ज्ञात ही होगा कि इस शैक्षिक पत्रिका का प्रकाशन जयपुर की 'दिगंतर' संस्था किया करती है जिसका पूरा पता है– दिगंतर, टोडी रमजानीपुरा, खोनामोरियान रोड, जगतपुरा, जयपुर-302025 और जिसके पहले भी कई पठनीय, संग्रहणीय विशेषांक निकल चुके हैं जैसे इतिहास-शिक्षण, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का समाजशास्त्र और बाल-साहित्य विशेषांक आदि।

संपादकीय के बाद इस अंक में पाँच खंड हैं जिनका विभाजन सुनियोजित सुनिश्चित आधार पर विषयानुसार किया है। खंड एक 'देखते-देखते' हमारे देखते-देखते हुए परिवर्तनों के विषय में है जिनके कारण बाजारवादी ताकतों का दखल बढ़ा और शिक्षक का आत्मसम्मान घटा। दूसरा खंड 'अपना अपना बयान' शिक्षकों के अपने अनुभवों पर आधारित है। तीसरे खंड 'परख' में शिक्षा का अधिकार कानून के आगमन से आई शिक्षक की नई भूमिका को नए सिरे से देखने व समझने की कोशिश है। चौथा खंड 'अध्यापक का बनना' अध्यापक के बनने की प्रक्रिया पर केन्द्रित किया गया है जिसमें अध्यापकों की शिक्षा की आज की दशा और परिवर्तन की अपेक्षाओं पर विस्तार से विचार किया गया है। पाँचवाँ और अंतिम खंड 'अविस्मरणीय' उन शिक्षकों को याद करता है जो शिक्षक की नकारात्मक छवि को प्रचारित करने के कोलाहल में भुला दिये जाते हैं लेकिन जो पूरी निष्ठा और मनोयोग से पढ़ाते रहे हैं।

संपादकीय में प्रो. कृष्णकुमार ने कहा है, 'लगभग सौ वर्ष पहले प्रेमचंद ने भारत के शिक्षक की दशा का वर्णन करते हुए अफसोस जताया था। प्रेमचंद की शिकायत थी कि मुआयने पर भारी खर्च किया जाता है और मुदर्रिस भूखा रह जाता है।' कृष्णकुमार कहते हैं कि आज की परिस्थिति बहुत अलग नहीं है। उल्टे बदली हुई नई परिस्थिति और नई पाठ्यचर्या शिक्षक से माँग करती है कि वह अपनी शिक्षण विधि का विज्ञान बदले। वह सही तरह से और नई तरह से बदली हुई परिस्थिति और पाठ्यचर्या के अनुकूल पढ़ा रहा है या नहीं यह जानने के लिए सरकार ने मुआयने की मशीनरी में बदलाव किया है। परिवीक्षण का ऐसा प्रबंध हुआ है कि अध्यापक स्वयं मुआयने में शरीक हो, फिर भी वह अधिकारी से डरता है। उसे डराने-दबाने वाली नई ताकतें पनपी हैं। समस्या यह है कि शिक्षा का प्रसार भी हो और शिक्षा की गुणवत्ता भी ऊँची उठे। वे कहते हैं कि शिक्षक की जिंदगी की कई तस्वीरें इस अंक में पाठकों को मिलेंगी। कुछ तस्वीरें लाचारी की हैं, कुछ साहस की। किसी शिक्षक का जीवनपूर्ण हो जाने के बाद उसकी पेशेवर प्रतिभा को याद करने का चलन हमारी व्यवस्था में नहीं है। इस अंक में 'अविस्मरणीय' शीर्षक खंड में ऐसी एक शुरुआत आपको पढ़ने को मिलेगी। शिक्षक की शिक्षा का प्रशिक्षण के विषय में प्रश्न उठाते हुए प्रो. कृष्णकुमार पूछते हैं कि सामाजिक और आर्थिक हैसियत की ठोकर खाता हुआ यह पेशा क्या मात्र प्रशिक्षण के जरिए अपनी आत्मा को बचा सकता है? उनका सुझाव है कि हम प्रशिक्षण संस्थाओं की दशा और क्षमता पर विचार करें। इन प्रशिक्षण संस्थाओं को बहुत सुधरना और बदलना होगा। इस दृष्टि से गहरे विचार के लिए उन्होंने ध्यान दिलाया है कि एक महत्त्वपूर्ण लेख इस विशेषांक के लिए शिवरतन थानवी ने लिखा है। इसे प्रकाशित करते हुए उन्होंने आशा प्रकट की है कि प्रशिक्षण की वर्तमान दारुण दशा पर बहस आगे बढ़ेगी। सेवारत शिक्षकों के सतत प्रशिक्षण की दशा भी बेहतर नहीं है। प्रशिक्षण का पूरा संदर्भ जैसे एक रोगी की तरह हमारे सामने पूरे देश में लेटा है। उसके रोग की पहचान और दवाओं व पोषक भोजन का इंतजाम जल्दी किया जाना जरूरी है।

अगले पाँख खंडों में विविध पक्षों पर कुल 22 महत्त्वपूर्ण लेख हैं। कुछ पर हम नजर डालते हैं।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के एसोसिएट प्रोफेसर निरंजन सहाय ने अपना लेख 'महत्त्वपूर्ण है शिक्षक' को कुमार विकल की एक कविता 'खौफनाक समय के बच्चे' की इन पंक्तियों से प्रारम्भ किया है– *कितना खौफनाक समय है/जब बच्चे इतने खतरनाक सवाल पूछते हैं/कि उनका जवाब देने के लिए/ हम इस हताश ढंग से निरुत्तर हो जाते हैं/कि उन्हें पीटने लगते हैं/जब कि हम जानते हैं/किसी को पीटना-मारना/किसी सवाल का जवाब नहीं। शिक्षक महत्त्वपूर्ण है किन्तु नौकरशाही की गिरफ्त में उसका व्यक्तित्व खंडित हो जाता है।*

पाँचवीं तक गाँव के चार शिक्षकीय एक स्कूल में कार्यरत शिक्षा-मित्र ने अपने 'आत्मकथ्य' में यथा तथ्य चित्र खींचा है अपनी परिस्थिति का। उसी शिक्षक में दस वर्ष पहले जोश था, उमंग थी, किंतु अब वह नाराज है,

चिड़चिड़ा है। कारण यह कि चार की जगह अकेला वह शिक्षा-मित्र स्कूल चलाने को मजबूर है। फरोग अहमद जामी (यूनीसेफ, म.प्र.) बताते हैं कि हैड-सर 5-6 साल पहले रिटायर हो गए, दूसरे सर इंचार्ज हैं पर कभी स्कूल नहीं आते पर मोटी पगार पाते हैं। दूसरी शिक्षा-मित्र प्रधान जी के भतीजे की पत्नी हैं और आज तक एक बार भी स्कूल नहीं आईं। स्कूल की दुर्दशा होनी ही थी। दस साल पहले 230 बच्चे नामांकित थे– 180 के करीब आते थे। आज 150 नामांकित हैं। किन्तु औसतन 40-50 ही आते हैं। मात्र एक अकेला शिक्षा-मित्र पढ़ाने वाला। जोश सारा खत्म। जब सरकारी टीचर उससे पाँच गुना पगार पाते हैं और नहीं पढ़ाते तो वह ही क्यों पढ़ाए।

'सुधार भी, सवाल भी' लेख में कमलानंद झा (हरियाणा) ने 20 अगस्त 1972 के 'दिनमान' (साप्ताहिक) में प्रकाशित प्रो. कृष्णकुमार के लेख 'शिक्षा की क्रांति का अर्थ' को याद करते हुए बताया है कि इस क्रांति पर विचार का पहला चरण यह हो कि 'भारतीय शिक्षा की सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था कालेज या विश्वविद्यालय न होकर स्कूल हो... शिक्षा-जगत की समस्त गतिविधियों का केन्द्र शिक्षक बनें।' अब भारत सरकार की पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' का मई 2011 अंक देखें। वह 'गांवों में शिक्षा' विषय पर विशेषांक है। सरकारी नीतियों और योजनाओं के महिमामंडन से पूरी पत्रिका भरी पड़ी है किन्तु शिक्षकों की दशा और भूमिका पर एक भी आलेख नहीं है। इस चुप्पी का मतलब यही हुआ कि सरकार को इस विषय पर विचार में कोई रुचि नहीं है। लेखक का सवाल है कि ऐसा क्यों है?

गणित-विज्ञान शिक्षक किशोर दरक ने 'अध्यापक क्या पहने' लेख में अध्यापकों की पोशाक सम्बन्धी अजीब-अजीब प्रशासनिक मानसिकताओं का सजीव चित्रण किया है। सोलापुर तथा नासिक जिले की जिला परिषदों ने एक खास किस्म की पोशाक पहनना अनिवार्य कर दिया है। न पहनो तो एक दिन का वेतन दण्ड स्वरूप देना होगा। लेखक का सवाल है कि तब फिर स्कूलों व बंदीगृहों में क्या भेद रहा? इस शोधपूर्ण लेख में इस समस्या के अनेक पहलुओं का गहरा अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस अंक के उत्कृष्ट लेखों में इसकी गिनती होगी।

एक लेख में पंचायती राज के कारण स्कूल कार्य में बढ़े समुदाय के हस्तक्षेप पर सोदाहरण चिंता व्यक्त की गई है। एक अन्य लेख में एक प्रयोगशील शिक्षक ने 24 एकड़ में फैले अपने स्कूल में न कोई बॉस और न कोई चपरासी कह कर बताया है कि 14-15 शिक्षक बराबरी के स्तर पर मिलजुल कर अपनी कल्पना से उसका संचालन करते हैं। एक गैर-हिंदी भाषी हिंदी अध्यापिका ने बड़े रोचक अनुभव सुनाए हैं। 'दाढ़ी' शब्द गलत और 'दाडी' सही, साक्षी 'शब्दसागर' की, किन्तु दृष्टि भेद और बहस। बहस 'प्रगट' और 'प्रकट' पर भी किन्तु अंतर की परिभाषा 'ज्ञानी' शिक्षक ने यह कहकर समझाई, अरे ! एक तमिल भाषी क्या जाने हिंदी? ईश्वर प्रगट होते हैं और शेष सब प्रकट होते हैं।

होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम का 'बच्चे बन गए खोजी' में सुनीला मसीह व मनोहरलाल पटेल ने अच्छे अनुभव बताए हैं। इस कार्यक्रम का बीजमंत्र (स्लोगन) था– मैंने सुना भूल गया, मैंने देखा याद रहा, मैंने करके देखा समझ गया।' दुःख यही है कि 2000 में म.प्र. शासन ने इस कीमती विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम को बंद कर डाला।

'शिक्षा का अधिकार कानून और शिक्षक' विषय पर प्रो. आर. गोविंदा (रा. शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) से हुमा अंसारी (दिगंतर, जयपुर) की बातचीत शिक्षक से सम्बन्धित नीतिगत पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करती है। प्रो. गोविन्दा ने एक विशेष उल्लेखनीय यह विचार व्यक्त किया कि एक शिक्षक को एक ही स्कूल में नियुक्त करना चाहिए। इससे स्कूल के बारे में अपनापन बढ़ेगा। शिक्षा का अधिकार कानून का प्रारूप जब बन रहा था तब इन्होंने यही सुझाव दिया पर किसी ने माना ही नहीं। असल में सुधार का मूल है यह, यदि कोई ध्यान दें।

यमुना सती (मुम्बई) ने शोधपूर्ण अवलोकन के बाद 'शिक्षक, स्कूल और सामाजिक सम्बन्ध' लेख में तीन विस्तृत विवरणों वाले उदाहरण दिए हैं और निष्कर्ष दिया है कि पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान और बच्चों की समझ में भारी अंतर होता है।

छात्रों द्वारा अध्यापकों के स्वमूल्यांकन का भी एक अलग महत्त्व है। अमित कुमार वर्मा (वाराणसी) ने बी.एड. कक्षाएँ पढ़ाने वाले साठ शिक्षकों का उन्हीं के छात्रों द्वारा विभिन्न क्षमताओं पर मूल्यांकन कराया। कई रोचक अनुभव सामने आए। संपादक की टिप्पणी है कि ऐसा मूल्यांकन 'न केवल छात्र-अध्यापकों को शिक्षण की प्रक्रिया पर पुनर्विचार के लिए एक उपकरण उपलब्ध कराता है वरन् इस आकलन को शिक्षा के सिद्धांतों पर कसने का अवसर भी' प्रदान करता है।

हम यह सोचा करते थे कि बच्चों की शिक्षा के लिए महिला-शिक्षकों की नियुक्ति उपयुक्त रहती है। मगर लतिका गुप्ता ने कई केस स्टडीज देकर 'शिक्षक और गृहिणी : नीति का संघर्ष' लेख में कहा है कि अब हमें इस मुद्दे पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। विवाद और मातृत्व ही कसौटी क्यों हो? स्वावलंबन क्यों नहीं?

शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन कैसे? एक बार डिग्री या प्रमाण-पत्र दे कर? एस.टी.सी. या बी.एड. मात्र करा के? शिवरतन थानवी ने 'क्या जरूरत है बी.एड. की?' लेख में गहराई से विश्लेषण-विवेचन करते हुए कहा है कि सेवापूर्व तमाम प्रशिक्षण बंद हो जाने चाहिए। जो हमने पढ़ा है और जैसे पढ़ा है वही और वैसे ही पढ़ाना है? एक नहीं, कई शिक्षकों की विधियाँ हमने बहुत करीब से अनुभव की हैं, आत्मसात की हैं। सेवा के आने के बाद छोटे-मोटे प्रशिक्षण (सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला या समर इंस्टीट्यूट में) देते रहें लगातार जीवन भर तो अधिक लाभ होगा। 'साइकिल सजीव है या निर्जीव' में प्रमोद ने अच्छा अनुभव बताया है जो इसी बात की पुष्टि करता है। उन्हें एक छोटी छात्रा ने पूछा, 'अंकल, आप इतने अच्छे से

समझाते हो, आपको भी आपके टीचर ऐसे ही पढ़ाते थे क्या?' प्रमोद ने अपने शिक्षक 'लिखमीचंद माड़ साहब' (लक्ष्मीचंद जैन) की एक खूबी यह बताई है कि वे कभी भी सिर्फ और सिर्फ किताब के पाठ से नहीं बंधे रहते थे। वे पढ़ाए जा रहे बिन्दु से पैदा होने वाली अन्य उत्सुकताओं पर भी उतनी ही गम्भीरता से बात करते थे।

स्वरा भास्कर को अपनी पूर्व अध्यापिका चित्रा मैम याद आई जिनकी मृत्यु केंसर से हो गई थी। छोटी-सी कद-काठी, नाजुक और निर्बल सी। उनकी मृत्यु का समाचार मिला तो उन्हें याद आया कि कितनी स्नेहमयी और निष्ठावान अध्यापिका थीं वे और उनके विद्यार्थी छात्र-छात्राएँ कैसी-कैसी शैतानियाँ-नादानियाँ करते थे। जिनमें लेखिका भी सम्मिलित होती थी। एक उत्कृष्ट संस्मरण है यह 'चित्रा मैम' नाम का लेख।

'लोक जुम्बिश' के लिए सुष्मिता जी 'संप्लव' नाम की शैक्षिक पत्रिका निकाला करती थी। राजाराम भादू ने 'हमारी सुष्मिता' में सच ही कहा है कि 'कुछ काम कुछ खास लोगों के कारण ही संभव होते हैं।' 'संप्लव' सुष्मिता ही निकाल सकती थी। 'संप्लव' एक अद्भुत रूप से मौलिक और अभूतपूर्व विषय-वस्तु की शैक्षिक पत्रिका थी। एक अनूठा बेशकीमती संस्मरण है यह।

पूरे अंक का संपादन जिस कुशलता और योग्यता से सम्पन्न हुआ है वह पाठकों को जरूर पसंद आयेगा।

–मोची स्ट्रीट, फलोदी-342301 (जोधपुर)

मधुमती

जनवरी-फरवरी 2012 अंक

गीतों का गुलदस्ता

(गीत विशेषांक)

देश-प्रदेश की अकादमियों के मंच से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिकाओं में एक महत्त्वपूर्ण मासिकी है– मधुमती। राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर द्वारा प्रकाशित मधुमती पत्रिका का यह 52वाँ वर्ष है। मधुमती का जनवरी-फरवरी 2012 का संयुक्तांक गीत विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ है। लगभग डेढ़ सौ पृष्ठों में राजस्थान की सुदृढ़ गीत परम्परा के अन्तर्गत गीत गाथा का विवेचन एवं प्रान्त के प्रतिनिधि स्वर में राजस्थान के 91 गीतकारों के गीत इस संकलन में शुमार किए गए हैं।

राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री वेद व्यास विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं। कुछ हटकर करने और कुछ विशेष करने के लिए वे सदैव प्रयत्नरत रहते हैं। इस गीत विशेषांक के प्रधान सम्पादक के रूप में अपनी शुभकामनाओं में व्यासजी लिखते हैं कि इस प्रकाशन के पीछे प्रदेश की गीत परम्परा को फिर से नया स्वर, नई मंजिल, नई भाषा और नया स्वप्न देना उनका उद्देश्य रहा है। उनकी इस भावना के अनुरूप निश्चय ही सांस्कृतिक नव जागरण अभियान का यह प्रकाशन एक आधार है।

मधुमती के गीत विशेषांक के अतिथि सम्पादक श्री किशन दाधीच ने प्रस्तावना 'गीत वापसी' में हिन्दी साहित्य में गद्य-गीतों की समृद्ध परम्परा का सांगोपांग चित्रण किया है। वस्तुतः प्रस्तावना को पढ़ने से विदित होता है कि कितना समर्पण, कितनी प्रतिबद्धता और कितनी मेहनत इस संकलन को तैयार करने में की गई है। वस्तुतः मधुमती का यह गीत विशेषांक अकादमी के उस बड़े निर्णय की एक लघु बानगी है जिसके अन्तर्गत राजस्थान की समृद्ध गीत परम्परा को एक वृहत् ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। समीक्ष्य प्रकाशन में सौ के लगभग गीतकार तथा दो सौ छत्तीस गीत हैं। गीत ग्रंथ में निश्चय ही नई-पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि अधिकाधिक कवि व गीतकार अपनी ओजस्वी रचनाओं के साथ दिखाई देंगे। विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के दौर में सर्वश्री जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, भैंरू लाल काला बादल जैसे अमर गीतकारों की रचनाएँ उसमें सम्मिलित की जानी चाहिए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गाये जाने वाले गीतों को लेकर एक पुस्तक प्रकाशित की थी जो काफी समृद्ध है। आशा है, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर द्वारा विचाराधीन गीत-ग्रंथ उस परम्परा को आगे बढ़ाएगा।

इस समीक्षा में गीतों एवं गीतकारों का गीतकार व गीत के संदर्भ के साथ अलग-अलग चर्चा करने से विस्तार भय के कारण सारतः केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि राजस्थान के नामचीन गीतकारों के द्वारा लिखे अद्भुत गीत इसमें सम्मिलित हुए हैं। यह किसी पत्रिका का महज अंक नहीं, स्वयंमेव एक ग्रंथ है। गीतों का गुलदस्ता है यह प्रकाशन। ऐसा प्रकाशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए। उच्चतर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों, विशेषकर भाषा व साहित्य के शिक्षकों के लिए यह प्रकाशन किसी उपहार से कम नहीं है।

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर इतना सुन्दर प्रकाशन करने के लिए साधुवाद की पात्र है। अब गीत ग्रंथ की प्रतीक्षा है जो निश्चय ही अद्वितीय होगा। मधुमती के इस अंक में दृश्यालेख के अन्तर्गत विविध साहित्यिक समाचार प्रकाशित किए गए हैं। अकादमी द्वारा पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग, प्रकाशित ग्रंथों पर सहयोग, साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं को सहयोग की शीर्षकवार सूचियों के साथ ही साहित्यकारों एवं साहित्यिक संस्थाओं को दिए गए सहयोग का विवरण भी इसमें प्रकाशित किया गया है। अकादमी ने 28 जनवरी 2012 को अमृत सम्मान-2012 का आयोजन किया था, जिसमें सम्मानित तेरह वरिष्ठ साहित्यकार महानुभावों के नामों की सूची भी प्रमुखता से दी गई है। गीत विशेषांक के रूप में मधुमती का विशेषांक प्रकाशित करने के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर का आभार एवं अभिनंदन।

मधुमती (अकादमी की साहित्यिक मासिकी); प्रकाशक : सचिव, राजस्थान साहित्य अकादमी, सेक्टर-4, हिरणमगरी, उदयपुर-313002, फोन 0294-2461717, वेबसाइट : www.rsaudr.org, ई-मेल : sahityaacademy@yahoo.in, वार्षिक सदस्यता शुल्क : 120 रुपये।

–ओमप्रकाश सारस्वत, वरिष्ठ संपादक, शिविरा

बाल सभाओं की उपयोगिता

❑ द्वारकेश भारद्वाज

हमारे जमाने में यानि अब से कोई 70-75 वर्ष पूर्व जब हम प्राथमिक व उच्च प्राथमिक (मिडिल स्कूल) तक के छात्र थे तब हर शनिवार को साप्ताहिक बाल सभा होती थी। कक्षा शिक्षण के नियमित कालांशों में से 5-7 मिनट कम करके जो समय बचता था उसमें स्कूल की छुट्टी होने के पूर्व बालसभा में छात्र अनिवार्य रूप से भाग लेते थे। ऐसा भी होता था कि एक शनिवार को खेल घंटी के बाद के चार कालांश की पढ़ाई प्रथम चार कालांशों में होती थी और दूसरे शनिवार को पहले शनिवार को छोड़े गये चार कालांशों की। लेकिन हर हाल में शनिवारीय बाल सभा होती थी जिसमें छात्र अपनी रुचि के अनुसार पूर्व घोषित कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु कक्षा मॉनीटर को नाम लिखवा देते थे। भाग लेने के इच्छुक छात्र अपने परिवार से, अध्यापकों से अथवा स्वयं ही तैयारी करके पूर्ण मनोयोग व उत्साह से बालसभा में प्रस्तुतियाँ देते थे और होडा-होडी होती थी। कतिपय अध्यापक भी अपनी रुचि के अनुसार अनौपचारिक रूप से छात्रों का मार्गदर्शन करते, प्रस्तुति की तैयारी की परख करते और पूर्वाभ्यास भी चलते फिरते करवा देते थे।

बाल सभा में सुस्वर, सस्वर आरोह-अवरोह के साथ कविता पाठ तो कभी अन्त्याक्षरी तो कभी हाव-भाव के साथ कहानी-कथन तो कभी वाद-विवाद तो कभी दिए गए विषय पर निबन्ध पठन तो कभी संगीत (गायन) के कार्यक्रम होते थे। प्राइमरी कक्षाओं में चुटकुलों व पहेलियों के कार्यक्रम भी होते थे। प्रभावी प्रस्तुति के बाद पुरस्कार स्वरूप पेंसिल, होल्डर, कागज का दस्ता जैसी चीजें पुरस्कार में दी जाती थी। प्रस्तोता खूब तालियाँ भी बटोरते थे। शिक्षक प्रोत्साहन स्वरूप प्रशंसा के स्वर में शाबासी देते। इन्हीं प्रस्तुतियों में से वार्षिकोत्सव व अन्य प्रतियोगिताओं के लिए चुनिन्दा प्रस्तुतिकारों का चयन कर लिया जाता ताकि प्रस्तोता अपनी प्रस्तुति के परिमार्जन हेतु निरन्तरता बनाये रखने हेतु अभ्यासरत रहते। यह अनौपचारिक शिक्षा की सशक्त व प्रभावी प्रणाली थी। लेकिन हमारे देखते-देखते ही शनैः-शनैः क्षरण होने से बालसभाओं का स्कूलों में चलन ही समाप्त हो गया है। इसके साथ ही विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक व अन्य बौद्धिक कार्यक्रमों की त्रिवेणी ही सूख गई है।

आजादी के बाद कुछ शिक्षाविदों ने बाल सभाओं को बाल चौपाल का नाम देकर चौपाल जैसे अनौपचारिक माहौल में व व्यवस्था में बालसभाओं को परिवर्तित रूप देने के प्रयास किये थे लेकिन उनका सोच व प्रयास गति नहीं पा सका। इन बाल सभाओं में दादा-दादी, नाना-नानी आदि को अपने बालकों की प्रतिभा से रूबरू करवाने हेतु अपने समय की कहावतें, पहेलियों, गीतों की गुनगुनाहट आदि की बानगी प्रस्तुत करने हेतु बुलाया जाता था। बच्चे भी अपने बड़े बड़ेरों को अपने बीच पाकर व अपनों की अपने संगी साथियों से सराहना सुन गद्गद् होते थे। लेकिन आज ये बातें बेमानी व सपने की सी हो गई।

आज का बालक निपट अकेला है। संयुक्त परिवारों के विघटन व टूटन के कारण दादा-दादी, ताऊ-ताई, चाचा-चाची का सान्निध्य ही समाप्त हो गया है। माँ-बाप खासकर कामकाजी माँ-बाप को बच्चों के पास बैठने व उनसे बतियाने की फुरसत ही नहीं है। आज के पालकों को हमारे जमाने के पालकों की भाँति परियों, देवी, देवताओं एवं अन्य रोचक कहानियों, पहेलियों, चुटकलों व लोरियों की तर्ज पर लघु कविताएँ तक जबान पर नहीं है। दूरदर्शन कभी-कभार ऐसी भूली-बिसरी सामग्री दर्शकों के समक्ष अवश्य परोसता है लेकिन वह पूर्ववत माँ-बाप की वाणी का रूप नहीं ले सकती।

बच्चों का बाल सभाओं के माध्यम से साहित्यिक, सांस्कृतिक व सौन्दर्यानुभूति के विकास के साथ विविधापूर्ण ज्ञान का विकास होने की परिकल्पना साकार तो होती ही है साथ ही बालकों में अभिव्यक्ति का जज्बा भी विकसित होता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि स्कूलों में बालसभाओं का वजूद न होने के कारण बालकों की भावनात्मक समस्याओं में अभिवृद्धि हो रही है। सृजनशीलता का ह्रास हो रहा है, बालकों में कुंठा पनप रही है, उनकी भावनाओं की उद्विगनता का आउटलेट नहीं हो रहा।

शिक्षाधिकारी के रूप में जब इन पंक्तियों के लेखक ने अपने विजिट के वक्त अन्यान्य स्कूलों में गतिमान विभिन्न गतिविधियों की जानकारी की तो तथ्यात्मक बात यह उभरकर आई कि संस्था प्रधान व अध्यापक नकारात्मक स्थिति होने से कोई उत्तर न देकर बगलें झाँकते थे। अधिसंख्यक शिक्षक ही नहीं संस्था प्रधान तक बालसभाओं के आयोजन व कार्यक्रमों की विविधता के बारे में अनभिज्ञ पाये गये। कई एक ने तो कभी किसी कार्यक्रम में शिरकत न करने की भी बात उजागर की। प्रश्न यह है कि जो स्वयं ही अनभिज्ञ है व अपने छात्रजीवन में जो किसी कार्यक्रम में भागीदार नहीं रहे, वे बालसभा के महत्व को क्या पहिचानेंगे व क्या बाल सभा को आयोजित करेंगे?

आज निजी जिन्दगी में अन्त्याक्षरी का चलन बढ़ा है लेकिन कालान्तर से अन्त्याक्षरी में फिल्मी व घासलेटी गानों के मुखड़ों ने ही अपना वजूद कायम कर रक्खा है। मैं यह लिखते हुए क्षुब्ध हूँ कि हमारे जमाने में रामायण, रहीम, कबीर, रसखान, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण की भारत-भारती व अन्यान्य साहित्यकारों की रचनाओं के चुनिन्दा अंश अन्त्याक्षरी समागमों की शोभा बढ़ाते थे। प्रस्तोता चुनिन्दा काव्य स्थलों को प्रस्तुत कर दाद पाते व वाहवाही लूटकर प्रोत्साहित होते। उनका साहित्यिक ज्ञान भी बढ़ता था। मुझे याद है अमरसर (जयपुर) में आजादी के पूर्व साहित्यिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिता होती थी उसमें भाग लेने हेतु 'ट' वर्ग के अक्षरों से शुरू होने वाले काव्यात्मक

पंक्तियों के रामायण, भारत भारती, कबीर, रहीम आदि की रचनाओं को खंगालते तब कहीं ट, ठ, ड, ढ से शुरू होने वाली पंक्तियाँ पकड़ में आती। इस प्रयास से पाठ्यपुस्तकों में संकलित कविताओं के अंशों के अलावा अन्य रचनाओं से भी रूबरू हो जाते व साहित्यिक अभिरुचि में निखार आता था। आज स्थिति यह है कि छात्रों को पाठ्यपुस्तकों की कविताओं के अंश तक याद नहीं है।

इन दिनों मनोचिकित्सकों के पास बड़ी संख्या में अभिभावक अपने समस्याग्रस्त यानि अवसाद से ग्रसित चिड़चिड़ेपन से बदमिजाजी, हिंसकवृत्ति वाले, अकेलेपन व हीन भावना से ग्रसित बालकों को लेकर पहुँच रहे हैं। बालकों में भावनात्मक व संवेगात्मक समस्यायें बढ़ती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में बाल सभायें कारगर कदम साबित होंगी। उनमें बालकों का दमित इच्छाओं का आउटलेट होगा। दूरदर्शनी सभ्यता ने तो बाल सभाओं का महत्व ही बदरंग कर दिया है।

बालसभा के माध्यम से बालकों में समूह के समक्ष खड़े होकर अभिव्यक्ति की झिझक खुलती है। तैयारी के बहाने सामग्री के स्रोतों को टटोलने से ज्ञान का विस्तार होता है। प्रोत्साहन व प्रेरणा मिलती है। साथ ही रचनात्मक व सृजनात्मक कौशल का विकास होता है। वाणी का समय भी आता है। लेकिन विडम्बना तो यह है कि जो अध्यापक बालसभा की अहमियत व उपयोगिता की समझ नहीं रखते व इस ओर प्रयासरत नहीं रहते वे क्या सफल व सार्थक बालसभाओं के सम्यक संचालन के पात्र हैं? उनमें तो क्लासरूम टीचिंग का खाका ही दिल दिमाग में रचा बसा है। क्लासरूम के बाहर बालक के भावनात्मक व सृजनात्मक विकास के लिए क्या कुछ करना चाहिए उसकी क्रियात्मक तैयारी जब तक शिक्षकों व संस्थाप्रधान में लीडरशिप नहीं होगी तब तक बाल सभाओं के आयोजन की आशा नहीं है। हाँ कुछ विद्यालयों में यह चालू हो जाती है तो देखादेखी इसका विस्तार संभव है, ताकि बालक अभिनव ज्ञान से पूर्त हो सकेंगे। कुछ नया पढ़ेंगे कुछ सुनेंगे, कुछ भागीदारी करेंगे तो वे संस्कारी बन सकेंगे।

–बी-68, सेठी कॉलोनी, जयपुर-302 004

विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की भूमिका

❑ महेन्द्र गोदारा

दूरदर्शन के आकर्षण और रूपहले पर्दे की अपसंस्कृति से आज की पीढ़ी इतनी मोहाविष्ट हो गई है कि उसमें लिखने-पढ़ने और शारीरिक श्रम करने की प्रवृत्ति का निरन्तर ह्रास हो रहा है। पुरानी पीढ़ी का जो समय पठन-पाठन, चिन्तन मनन और कसरत व्यायाम में व्यतीत होता था, वही समय आज की पीढ़ी 'रियलटी शो' के आगे व्यतीत करती है, फलस्वरूप मन से निर्बल और तन से दुर्बल एक जर्जर संतति विकसित हो रही है जो तन और मन से भरे यौवन में ही असहाय और निरूपाय हो जाती है। महाकवि 'रामधारी सिंह दिनकर' ने कहा है–

'त्याग तप, करुणा क्षमा से भीग कर,
व्यक्ति का मन तो बली होता मगर,
हिंसक पशु जब घेर लेते हैं उसे
काम आता है, बलिष्ठ शरीर ही।'

बलशाली शरीर और शक्तिसम्पन्न व्यक्तित्व आज के समय की महती आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है एक मात्र शारीरिक शिक्षक ही।

विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का जो महत्त्व है वह किसी से छिपा नहीं है। नई पीढ़ी की धमनियों में, उसकी नस-नाड़ियों में और उसकी कोमल शिराओं में नये रक्त का संचार और नई उमंगों का ज्वार केवल शारीरिक शिक्षक के श्रम, लगन, निष्ठा और सतत प्रयत्नों से ही संभव है। विद्यालय समाज का आईना है उस आईने का द्योतक शारीरिक शिक्षक है जो विद्यार्थियों व समाज के मध्य सेतु तुल्य भूमिका का निर्वहन करता है। शारीरिक शिक्षक में खेल के प्रति समर्पण के साथ-साथ शैक्षणिक प्रतिभा का भी भण्डार होता है परिणामतः वह विद्यार्थियों के लिए किसी अजातशत्रु से कम नहीं होता है।

विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में उसकी भूमिका कम या ज्यादा हर स्तर एवं विषय पर होती है। विद्यालय की प्रार्थना सभा, विद्यालय का परिचय पत्र है और इस परिचय पत्र को शारीरिक शिक्षक से अधिक बेहतर ढंग से कौन बना सकता है और कौन प्रदर्शित कर सकता है। यहीं से वह विद्यार्थियों में अनुशासन का बीज बोता है जो अन्ततः वटवृक्ष के रूप में विकसित होकर देश और समाज को छाया देता है। शारीरिक शिक्षक अपने आचार-विचार से ही नहीं वरन् श्रेष्ठतम खेलकूद का माहौल प्रदान कर नई पीढ़ी का मार्गदर्शक सिद्ध होता है। निश्चित ही कोई शाला अपने अनुशासन के लिए प्रसिद्ध हो तो समझिये उसमें कहीं न कहीं शारीरिक शिक्षक की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

केवल खेलकूद व अनुशासन से ही उसका वास्ता नहीं वरन् वह अपनी शैक्षणिक विद्वता से विभिन्न विषयों में ज्ञान का तड़का लगाकर विषय को रोचक बना सकता है। चूँकि विद्यार्थी, शारीरिक शिक्षक से अधिक अपनापन महसूस करता है, अतः यह बात शारीरिक शिक्षक के अध्यापन को भी विकसित करती है। इस दृष्टि से देखिए तो कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व का एक आयाम विद्यार्थी भी है।

बहुमुखी प्रतिभा का धनी यह गरिमामयी व्यक्तित्व विद्यार्थी, समाज व अपने स्टाफ के लिए परम श्रद्धा का पात्र बन जाता है बशर्ते वह नैतिक मानदण्डों पर चले। शाला की प्रत्येक गतिविधि में उसकी सकारात्मक सोच व कार्यशैली निश्चित ही उसे 'नक्षत्रों में चन्द्रमा' की पदवी से विभूषित कर देती है।

–शारीरिक शिक्षक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 39 जी.जी., ज्वायेवाला, तह. करणपुर, श्रीगंगानगर

खेलों में आगे बढ़ने का रास्ता

❑ आत्माराम भाटी

खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्त्व है। खेल हमें अपनी जीवन यात्रा में जो सीख प्रदान करते हैं। शायद ही किसी दूसरे विषय में इतनी प्रेरणाएँ मिलती हों। यदि व्यक्ति जीवन में खेलों की माला को अपने तन और मन पर धारण करता है। उसे जीवन में निरोगी काया। साहस, उत्साह, लगन जैसे सद्गुण, अनुशासन की सीख, नेतृत्व की क्षमता, जीत का जज्बा, हार सहने की शक्ति, गिरकर वापस उठने का साहस, मानसिक मजबूती के साथ निर्णय लेने की क्षमता का विकास, पारस्परिक सहयोग की भावना, जाति-धर्म, छोटा-बड़ा व अमीर-गरीब की सोच से ऊपर उठकर बंधुत्व की भावना, सकारात्मक सोच, अपने कार्य के प्रति समर्पण की भावना, गलती होने पर प्रायश्चित कर सही रास्ते पर चलने जैसे वरदान मिलते हैं।

खेलों के पास स्वस्थ व सुखद जीवन की इतनी बड़ी पूँजी होने के बाद भी हमने खेलों को हमारे जीवन में गंभीरता के साथ संलग्न नहीं किया है। यह हमारे लिए, शहर, राज्य व देश के लिए दुःखद पहलू कहा जा सकता है। आज से तीन दशक पूर्व तक जब हमारे घरों में बुद्धू बक्से (टीवी) ने प्रवेश नहीं किया था। तब हमारे मनोरंजन के साधनों में से खेल भी एक साधन था। उस समय भी हमारी युवा पीढ़ी ने खेलों को केवल मनोरंजन भर समझा था। ज्यादातर युवा बच्चे गली-मोहल्ले के पारम्परिक खेलों से जुड़ाव रखते थे। बहुत कम बच्चे व युवा ओलम्पिक में खेले जाने वाले खेलों के लिए मैदानों में पहुँचते। जो इन खेलों से जुड़ते भी। उन बच्चों व युवाओं के लिए वे सुविधाएँ नहीं होती, जिनके दम पर वे मेहनत कर एशियाई खेलों व ओलम्पिक में ज्यादा से ज्यादा पदक देश के नाम कर पाते। ज्यादातर खिलाड़ियों का सपना यही रहता कि वे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीत सकें। इससे आगे की सोच का बीज उनके मन में न तो उपजता ना ही उनके प्रशिक्षक अपेक्षा रखते। विदेशों के मुकाबले जो आधारभूत खेल सुविधाओं का स्तर हमारे पास रहा है। उसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना ही अपने-आप में बड़ी संतुष्टि होती थी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास उतनी उपलब्धियाँ नहीं आ पाईं या कहें कि अभी भी नहीं आ पा रही हैं। जितनी अन्य एशियाई देशों चीन, जापान व कोरिया के नाम दर्ज हैं।

यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पहले की अपेक्षा आज के आधुनिक युग में मनोरंजन के साधनों की लम्बी कतार हमारे इर्द-गिर्द उपलब्ध है। जिसके कारण हमारे बच्चों व युवाओं का खेलों को खेलने के प्रति मोह भंग हो गया है। मनोरंजन के नाम पर खेले जाने वाले पारम्परिक खेल भी लुप्त प्रायः हो गये हैं। बढ़ती आबादी ने शहरों में खेलने के लिए स्थान भी नहीं छोड़े हैं। ले-देकर बच्चे व युवा टीवी कम्प्यूटर से फुर्सत पाकर कोई खेल खेलते हैं तो वो केवल क्रिकेट है। जिसे दुनिया के 205 देशों में से केवल 20 देश ही खेलते या पसंद करते हैं। ओलम्पिक खेलों हॉकी, फुटबॉल, वालीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबलटेनिस, कुश्ती, मुक्केबाजी के लिए न तो पर्याप्त खेल मैदान हैं, न ही आधुनिक सुविधाएँ हैं। न ही ऐसे प्रशिक्षक हैं, जो उच्चस्तर का प्रशिक्षण देश के आम बच्चे व युवा खिलाड़ियों को दे सकें।

आज अगर कोई युवा गाँव या शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक की चाहत के साथ अपना पसीना बहाता भी है तो उसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए जरूरी आधुनिक खेल सुविधाओं के साथ उस स्तर का प्रशिक्षक भी नहीं है। यदि उसके स्वयं के पास इतना पैसा है कि वो केवल महानगरों तक सीमित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओंयुक्त कोचिंग सेंटरों तक पहुँचता है। तभी वो देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने की सोच सकता है। ओलम्पिक में पदक विजेता खिलाड़ियों पर नजर डालें तो लिएंडरपेस, कर्णम मलेश्वरी, राज्यवर्द्धन सिंह, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, विजेन्द्र सिंह इन सभी ने अपने आर्थिक स्रोतों के दम पर ज्यादा मेहनत की है। आम खिलाड़ी केवल सरकारी सहयोग या छोटे-मोटे प्रायोजकों के भरोसे निर्भर करता है जिसके सहारे अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिल सकता। जिसका असर हम देख ही रहे हैं। आज सवा अरब की आबादी के बावजूद ओलम्पिक में व्यक्तिगत पदकों की संख्या मात्र 7 है। हॉकी में जरूर 8 स्वर्ण 1 रजत हमारे नाम है। इस कमजोर स्थिति के लिए केवल सरकार को ही दोषी ठहरना उचित नहीं हैं। आम नागरिक भी उतना ही दोषी है। हमने भी कभी खेलों के प्रति वो समर्पण भाव नहीं रखा जिसके आधार पर ओलम्पिक मैडलों की बड़ी माला हमारे देश के नाम होती।

आखिर, प्रश्न बार-बार यह क्यों उठाया जाता है कि विश्वस्तर पर हमारी साख खेलों में गिरी हुई है। प्रश्न करने की बजाय हम गम्भीरता से साख बनाने वाले कारणों पर ईमानदारी से क्यों नहीं कार्य करते। माना कि हमारे पास भ्रष्टाचार रूपी तलवार के कारण सरकार की ओर से जो बजट खेलों के उत्थान के लिए भेजा जाता है वो अंतिम कड़ी यानि कि नींव तक आते-आते कट-कटकर मामूली सा रह जाता है। जिसके भरोसे पर आधुनिक खेल सुविधाएँ नहीं जुटा पाते हैं। परन्तु मेरा यह मानना है कि दुनिया के ऐसे बहुत से छोटे देश हैं जहाँ पर भुखमरी है। दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। उन देशों के खिलाड़ी ओलम्पिक में बहुत सारे मैडल जीतकर तालिका में हमारे से कई पायदान ऊपर रहते हैं। फिर हमारे खिलाड़ी, कोच, अभिभावक चाहे थोड़ा बजट भी हो। ईमानदारी से मेहनत कर पदक क्यों नहीं जीत पाते हैं। इसके पीछे मेरी नजर में जो कारण हैं वो हैं– खेलों के प्रति समर्पण, सकारात्मक सोच, ईमानदारी, गम्भीरता के अभाव के साथ भाई-भतीजावाद व भ्रष्टाचार का डंक। इन सबके लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकार की ओर से समय-समय पर खेलों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाई जाती हैं। बजट प्रदान किया जाता है। लेकिन उसका सही सदुपयोग नहीं हो रहा है। उसके पीछे हमारे ही लोग दोषी हैं। वर्तमान में सरकार की ओर से शहरों ही नहीं ग्रामीण स्तर के बच्चों व युवाओं को आगे लाने के लिए 'पाईका' योजना लागू है। लेकिन उस पर कितना

काम हो रहा है। हम भलीभाँति परिचित हैं।

यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगा कि खेलों के प्रति चीन कितना सजग है। 1992 ओलम्पिक तक चीन का नाम पदक तालिका में मात्र कुछ मैडलों के साथ ही था। लेकिन चीन ने इस प्रदर्शन को गम्भीरता से लिया और 1996, 98 व 2000 ओलम्पिक तक वो तालिका में अमेरिका के बाद दूसरे-तीसरे नम्बर पर पहुँच गया। जब 2004 के बाद 2008 ओलम्पिक की मेजबानी चीन को मिली। उसने ठान लिया कि उसे अपने घर में अमेरिका को पछाड़ना है। इसके लिए उसने एक पॉलिसी बनाई। उसने पूरे देश से 2000 ओलम्पिक के तुरन्त बाद 8 से 12 वर्ष के एक लाख बच्चों का चयन किया। उसमें से फिर उनकी शारीरिक बनावट व दमखम के आधार पर विभिन्न खेलों के लिए पूरे देश में कोचिंग संस्थान खोलकर प्रशिक्षणों के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत करवाकर सर्वश्रेष्ठ 5000 खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर पैनल बनाया। फिर राष्ट्रीय स्तर के पैनल के लिए 1000 खिलाड़ियों का चयन किया। 2004 ओलम्पिक के तुरन्त बाद इन खिलाड़ियों पर जबरदस्त मेहनत की गई। इसी के दम पर 2008 बीजिंग ओलम्पिक में चीन ने अमेरिका को पछाड़ तालिका में शीर्ष स्थान पाया।

अगर हमें भी ओलम्पिक में ढेर सारे पदक जीतने का सपना पूरा करना है। चीन की तरह खेलों के प्रति समर्पण, ईमानदारी, जीत के जज्बों के साथ ग्रामीण स्तर से प्रतिभाओं को तराशना होगा। और यह काम अगर सबसे ज्यादा अच्छी तरह से कोई कर सकता है तो शारीरिक शिक्षक, स्कूल प्रशासन, बच्चे व उनके अभिभावक। अगर ईमानदारी व समर्पण की भावना से यह बीड़ा उठा लिया जाय। ग्रामीण स्तर, शहरी स्तर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर पूरे चैनल के बतौर प्रतिभाओं को तराश कर प्रोत्साहित किया जाय तो कोई बड़ी बात नहीं कि 2020 के ओलम्पिक तक हमारा देश भी पदक तालिका में प्रथम पाँच में अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाब हो जाए, लेकिन मेरे लिखने या सोचने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यह सपना सच होगा खेलों के प्रति सुबह की चाय की चुस्की की तरह दीवानगी होने पर।

–पंडित धर्म कांटे के सामने वाली गली में, गजनेर रोड, बीकानेर

हिन्दी भाषा-शिक्षण

❑ **डॉ. मदन केवलिया**

हिन्दी हमारी राजभाषा है। इसे संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अन्तर्गत मान्यता दी गई थी। 14 सितम्बर 1949 ई. को हिन्दी राजभाषा बनी थी, न कि राष्ट्रभाषा। (गलती से आज भी कई विद्वान/विदुषियाँ हिन्दी दिवस पर हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिन्दी राष्ट्रभाषा होने के सर्वथा योग्य है, यह दूसरी बात है।)

उच्चतर कक्षाओं में हिन्दी पढ़ाने का लम्बा अनुभव होने के कारण सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में बैठने वाले मेरे सम्पर्क में आते हैं तो उनकी व्याकरण तथा वर्तनी की अशुद्धियाँ देखकर मैं दुःखी हो जाता हूँ। आलेख, उत्तर पुस्तिकाएँ आदि में भी बेशुमार गलतियाँ होती हैं। कई अध्यापन के क्षेत्र में भी हैं पर वे भी उसी 'परम्परा' में हैं। बी.एड. करते समय टी.टी. कॉलेज, बीकानेर के द्वार पर लिखा यह वाक्य (1958 ई.) आज भी मुझे याद है– 'One who dares to teach, must never cease to learn.'(जो पढ़ाने की जुर्रत करता है उसे (स्वयं) पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए) पर मैंने देखा है, नौकरी लगते ही अध्यापक पढ़ने-लिखने से दूर भागने लगते हैं और भाषा भी अशुद्ध पढ़ाते हैं। पता नहीं, कितनी पीढ़ियाँ खराब होती हैं।

वर्णमाला का ज्ञान– हमें देवनागरी वर्णमाला का ही सही ज्ञान नहीं है। कई अध्यापक/अध्यापिकाएँ आज भी क वर्ग का अंतिम वर्ण 'ड़' बोलती हैं। उन्हें ङ का उच्चारण बताया ही नहीं गया। वे क, ख, ग, घ, ड़ बोलते हैं न कि गंगा, अंग्रेज, अंग के अं की तरह ङ का उच्चारण करते हैं। अं, अः जैसे वर्णों को स्वरों के साथ पढ़ा देते हैं, जबकि इन्हें स्वरों से अलग पढ़ाना चाहिए। जब सम्प्रेषक ही स्तरविहीन है तो संग्राहक का स्तर कैसे सुधरेगा? इसलिए अध्यापक को भी 'must never cease to learn की विधि अपनानी पड़ेगी।

वर्तनी का विकट जाल– अनेक कार्यशालाओं में जाने पर मुझे यह अनुभव के साथ अनुभूति भी हुई है कि यदि हम पूरा ध्यान दें तो वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं, किन्तु हम लापरवाह हैं।

मात्राओं की अशुद्धियों की ओर संकेत करने पर सदा एक ही उत्तर मिलता– जल्दी में मात्रा (छोटी या बड़ी) गलत हो गई तो मैं तुरंत कहता हूँ कि 'क्या दोनों मात्राओं को लिखने में कम या अधिक समय लगता है?' वस्तुतः हमें मात्रा-ज्ञान है ही नहीं। यहाँ विस्तारभय से दो-चार बातों का ही उल्लेख करना चाहूँगा– (क) नारी तुम केवल श्रद्धा हो (प्रसाद)– कामायनी की इस पंक्ति का उल्लेख मैं नर-नारी सम्बन्धी मात्राओं के संदर्भ में अवश्य करता हूँ। नारी विषयक अंतिम मात्राएँ सदा दीर्घ होती हैं। जैसे पत्नी, श्रीमती, वधू, कवयित्री, लक्ष्मी आदि। (याद रहे– यहाँ महिलाओं के नामों का उल्लेख नहीं हो रहा– रुचि, शांति आदि की मात्राएँ छोटी होती हैं) महिलाओं के पदनाम बड़े होते हैं, पर पुरुषों की अंतिम मात्राएँ सदा छोटी होती हैं, जैसे पति, कवि आदि। (हाँ, एक महिला ने रिटायरमेंट के बाद अपने को पत्नि तथा पति को पती लिखकर जिंदगी भर की मात्राओं में हेरा-फेरी कर दी। क्षतिपूर्ति हो गई। (ख) ड़, ढ शब्द के प्रारम्भ में नहीं लगते– उत्क्षिप्त (फेंके हुए या द्विगुण) वर्णों का ध्यान रखना चाहिए, किन्तु लोगों को हर बार ढ़ेर (सही ढेर) ड़मरू (सही डमरू), ढ़क्कन (सही ढक्कन) आदि लिखते देख बहुत कोफ्त होती है। (ग) ङ्, ञ्, ण् भी शुरू में नहीं लगते। प्राकृत में 'णमो' आदि शब्द अवश्य चलते हैं।

कहने का अर्थ यह है कि हिन्दी भाषा के प्रति लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। अशुद्ध पढ़ाने का अर्थ है– कई पीढ़ियों को गुमराह करना। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि एक अध्यापिका ने बच्चों की कॉपी में 'कृप्या', 'शूद्ध' जैसे शब्द लिखे और इन्हीं शब्दों को श्यामपट्ट पर भी लिखती रही। अब आप बताइए कि जब स्वयं टीचर ही गलत लिखेगा/गी तो विद्यार्थी क्या करेंगे।

अतः जरूरत इस बात की है कि हिन्दी शिक्षण के समय हम स्वयं तैयारी करके जाएँ और इस नियम का सदैव पालन करें–

'One who dares to teach, must never cease to learn'.

अर्थात् जो पढ़ाने की जुर्रत करता है, उसे (स्वयं) पढ़ने में कभी विराम नहीं देना चाहिए।

–'प्रतिमा', सी-68, सादुल गंज, बीकानेर-334003

दोहा का अर्थ, परिभाषा एवं महत्ता

❑ रेणु सिंगोदिया

हिन्दी भाषा में अनेक प्रचलित छंद हैं जो समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं। 'छंद' यति, गति आदि के नियमों से आबद्ध नियमावली हैं, जिसके माध्यम से कवि अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। हिन्दी में सबसे प्राचीन व महत्त्वपूर्ण छंद दोहा है जिसमें कवि काफी कुछ कहने में समर्थ हुआ है। 'दोहे' में प्रहार शक्ति प्रबल और अचूक मारक क्षमता होती है इसके द्वारा कोमल से कोमल व तीखी से तीखी बात को भी सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें कवि सात-आठ वाक्यों को दो पंक्तियों में ही समेट लेता है। कहा जाता है कि कथानक महाकाव्य या खंड काव्य आदि में होता है, किन्तु यदि गहराई से देखें तो बहुवाक्यीय दोहों में भी छोटे-छोटे कथानक होते हैं तथा ये कथानक काफी नाटकीय होते हैं पात्र तरह-तरह की बातें तो करते ही हैं क्रियाएँ भी करते हैं जैसे– *कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात।/ भरे भौन में करत है, नैननुँ ही सब बात॥*

आधुनिक दोहा जीवन और समाज के निकट है समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, ऊँच-नीच, जाँति-पाँति, कालाबाज़ारी आदि सभी विषमताओं को चित्रित करने में दोहे का सानी कोई नहीं है।

दोहा का अर्थ– दोहा शब्द का विकास संस्कृत के शब्द दोग्धक एवं दोधक छंद से माना गया है। 'दोग्धि चित्त मति दोग्धकम्' अर्थात् जो श्रोता या पाठक के चित्त का दोहन करे 'दोहा' कहलाता है।

दोहा की परिभाषा– दोहा मात्रिक अर्द्ध-सम छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में तेरह तथा दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह मात्राएँ होती हैं। विषम (पहले और तीसरे) चरणों के आरम्भ में जगण नहीं होना चाहिए और सम (दूसरे और चौथे) चरणों के अन्त में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक है अर्थात् अन्त में लघु होता है–

उदाहरण– *मेरी भव बाधा हरो, (13) राधा नागरि सोय। (11) / जा तन की झाँईं परे, (13)/ श्याम हरित दुति होय। (11) = 24 मात्राएँ।* अर्थात्

पहिलै पद तेरै करो, दूजौ एक दस मात।
तीजै फिर तेरै धरो, दोहा छन्द कहात॥

दोहा की महत्ता– दोहा भावाभिव्यक्ति का महत्त्वपूर्ण छंद होने के साथ-साथ अन्य कारणों से भी महत्त्वपूर्ण है जैसे– 1. साहित्य की दृष्टि से, 2. सम्प्रेषण की दृष्टि से, 3. भाषा विज्ञान की दृष्टि से, 4. मनोरंजन की दृष्टि से, 5. छंद शास्त्र की दृष्टि से, 6. क्षेत्र की दृष्टि से।

1. साहित्य की दृष्टि से– काव्य रचना की दृष्टि से दोहा सर्वाधिक उपयुक्त छंद हैं। ओमानंद सारस्वत के अनुसार 'काव्योचित विशेषताओं की दृष्टि से दोहे की रचना का अनूठा महत्त्व है। इसमें भावों की मौलिकता के साथ-साथ स्वाभाविकता एवं कोमलता रहती है, विषयानुकूल शब्द-चयन दोहे को चित्रात्मकता प्रदान करता है। दोहे में सांकेतिक अर्थ रखने के कारण उसे लोकप्रियता प्राप्त हुई है, साथ ही इससे वह मर्मबेधी श्रेष्ठ काव्य प्रकार भी बना है।'

2. सम्प्रेषण की दृष्टि से– कवि केवल दो पंक्तियों में ही अपने विचारों और भावनाओं को ऐसी तत्परता से प्रस्तुत करता है कि श्रोता अथवा पाठक रसानुभूति से सराबोर हो उठते हैं। दोहे में भाषा की सामासिक शक्ति होती है।

दोहे की दो पंक्तियाँ, ज्यों गोरी के नैन।
सीधे सीधे हृदय से, कर जाती हैं बैन॥

(ब्रज किशोर 'शैदी')

3. भाषा विज्ञान की दृष्टि से– दोहा भाषा के विभिन्न रूपों एवं बोलियों के अध्ययन का स्रोत है। भाषा के विकासपरक विश्लेषण के लिए अनेक युगों से दोहा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। लोक-संस्कारों की गहरी छाप एवं जनमानस से प्रगाढ़ जुड़ाव होने के कारण दोहे ने भाषा परिवर्तन एवं आंचलिक शब्द अर्थों के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

4. मनोरंजन की दृष्टि से– राजसभाओं में दोहा मनोरंजन का मुख्य साधन था। आश्रयदाताओं की मानसिक वृत्ति के अनुसार दोहा प्रस्तुत करने पर कवि को राज दरबार में ऊँचा दर्जा तथा अशरफियों की पोटली मिलती थी। आधुनिक काल में भी हास्य कवियों ने दोहे का जमकर प्रयोग किया है।

5. छंद शास्त्र की दृष्टि से– दोहा छंद ने एकछत्र राज किया है। दोहे ने अनेक छंदों के निर्माण में अपना योगदान दिया है। उदाहरण– दोहा के चारों चरणों को पलटकर लिखने से 'सोरठा' बन जाता है इसमें चार पंक्तियाँ 'रोला' छंद की जोड़ देने पर कुंडलियाँ छंद बन जाता है इसके प्रारम्भ और अन्त में दो-दो मात्राएँ जोड़ने से 'उल्लाला' छंद बनता है।

6. क्षेत्र की दृष्टि से– दोहा का रूप छोटा और क्षेत्र विस्तृत होने के कारण उसे वामावतार माना गया है। 'गागर में सागर' भर देने वाली लोकोक्ति दोहा छंद के ऊपर ही चरितार्थ होती है। जीवन की अनेकरूपता और विवधता को दोहा अपनी संक्षिप्त और कसी हुई अर्थपूर्ण शैली में अभिव्यक्त कर देता है।

वस्तुतः कथा और शिल्प में नई चमक पैदा करने और समकालीन सोच को समग्रता से सम्प्रेषित करने के कारण दोहा हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वप्रिय काव्यविधा है। गीत, नवगीत और हिन्दी गज़ल के बड़े से बड़े कवियों के दोहे संग्रह निकल रहे हैं। इस छंद की सारस्वत यात्रा अत्यंत ऊर्जावान है और इसकी उत्कृष्टता और शाश्वतता के प्रति आस्थावान हुआ जा सकता है।

–व्याख्याता (हिन्दी)
रा.बा.उ.मा.विद्यालय, दूदू

गणित तो रोचक विषय है

❑ विक्रम कुण्डू 'प्रबोध'

किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसे करने वाले की उस कार्य में पर्याप्त रुचि हो। जितने अधिक समय तक कार्य करने में रुचि बनी रहेगी, उतने ही समय तक पर्याप्त उत्साह एवं उमंग के साथ कार्य ठीक तरह होता रहेगा। ज्यों ही रुचि में कमी हुई तथा कार्य नीरस लगने लगा, गति बहुत धीमी हो जाएगी। यहाँ तक कि रुचि के अरुचि में परिवर्तित होने पर काम बिगड़ने की भी आशंका हो सकती है। ठीक इसी तरह से गणित की शिक्षा देते समय गणित के अध्ययन के प्रति बच्चे की रुचि का होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वह विषय सरल और रोचक प्रतीत होना चाहिए।

गणित को कैसे रोचक बनाया जाए, यह गणित शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्व का विषय है। इस प्रश्न के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला यह कि बच्चों को गणित के अध्ययन के प्रति कैसे आकर्षित किया जाए और दूसरा यह है कि एक बार गणित के अध्ययन के प्रति रुचि तथा उत्साह जागृत होने पर उसे किस प्रकार यथानुकूल बनाए रखा जाए? कुछ बिन्दु इस सम्बन्ध में लाभकारी हो सकते हैं–

बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं तथा वे समस्याओं की गहराई में उतरना चाहते हैं। अतः उनको समस्याओं के अध्ययन के लिए अवसर देना रुचि जागृत करने का साधन बन सकता है। शिक्षक को यह गलत धारणा अपने मष्तिस्क में से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि साधारणतया छात्र अपने मस्तिष्क का उपयोग करने में आराम-पसंद होते हैं। अगर कोई कार्य उनकी मानसिक शक्तियों के लिए चुनौती बनकर सामने आए तो छात्रों में उसे पूरा करने की भावना को लेकर उसके प्रति रुचि अवश्य ही जागृत हो जाएगी। अतः गणित के प्रति रुचि जागृत करने और उसे बनाए रखने में यह ध्यान रखे कि कार्य छात्रों की मानसिक शक्तियों का उपयोग करने का पूर्ण अवसर प्रदान करें। शिक्षकों को समस्यात्मक और अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण को लेकर गणित का अध्ययन कराना चाहिए, अपने आप सभी कुछ बतलाकर उसे रटवाने के द्वारा नहीं। रुचि तभी बन रह सकती है, जब तक उनके मस्तिष्क को कुछ कार्य मिलता रहे, वे समस्या की तह तक जाकर सत्य की खोज करते रहें।

काम करने वाला जिस कार्य को जितना अधिक उपयोगी समझेगा, उतनी ही रुचि, परिश्रम और उत्साह से वह काम करेगा। अगर गणित की पढ़ाई प्रयोगात्मक अथवा व्यावहारात्मक ज्ञान की प्राप्ति को ध्यान में रखकर कराई जाए तो कोई कारण नहीं कि छात्रों को गणित की पढ़ाई सरस और रोचक प्रतीत न हो। जब भी किसी प्रकरण अथवा समस्या का अध्ययन आरम्भ किया जाए तो उसके अध्ययन की आवश्यकता का अनुभव छात्रों को अवश्य करा देना चाहिए। इससे उसके प्रति छात्रों में सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। अब इसके पश्चात् जो भी ज्ञान दिया जाए, अगर उसे व्यावहारिक जीवन में उसके उपयोग में सम्बन्धित करके दिया जाए तो यह रुचि बनी रह सकती है।

गणित के कलात्मक और सौंदर्यात्मक पक्ष से परिचित कराकर गणित के अध्ययन को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। मन को प्रसन्न करने वाली सभी कलाओं तथा सौंदर्यात्मक दृश्यों में गणित के सिद्धांत किस तरह कार्य करते हैं, यह जानकर छात्रों में गणित के प्रति सहज आकर्षण पैदा हो सकता है। गणित एक नीरस विषय नहीं है, इसमें मनोरंजन और खेलकूद का भी स्थान है, विषय के प्रति इस प्रकार की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। छात्रों को गणित सम्बन्धी विभिन्न खेलों को खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा गणित सम्बन्धी विभिन्न सहायक साधनों का प्रयोग करके गणित को रोचक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षक का गणित सम्बन्धी विभिन्न बुझारतों, पहेलियों तथा संख्या सम्बन्धी खेलों का ज्ञान गणित के अध्ययन के प्रति छात्रों की रुचि बनाने में बहुत सहायता कर सकता है। स्कूल में 'गणित परिषद' की स्थापना भी इस दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। परिषद् द्वारा गणित सम्बन्धी अनेक योजनाओं पर कार्य करने तथा गणित से सम्बन्धित अनेक भाषण, विचार-गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है। इनके माध्यम से छात्रों को अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने तथा कार्य करने का अवसर मिलता है तथा गणित के अध्ययन के प्रति उनकी रुचि बढ़ती है।

बच्चे स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं। अतः उनकी गणित के अध्ययन के रुचि जागृत करने तथा अधिक समय तक बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि गणित की सैद्धांतिक पढ़ाई के साथ-साथ उनके क्रियात्मक पक्ष पर भी बल दिया जाए। योजना विधि तथा प्रयोगशाला विधि को गणित की पढ़ाई में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसके बारे में बच्चों का दृष्टिकोण पूर्ण व्यावहारिक बन सके, इसके लिए उचित सहायक साधनों का प्रयोग करके क्रियात्मक कार्य के लिए सभी अवसर बच्चों को दिए जाने चाहिए। सैद्धांतिक रूप से कोई बात बच्चों को तभी बताई जानी चाहिए जब कि वे उसके क्रियात्मक पक्ष से अवगत हो लें। इस तरह से छात्रों का वास्तविक क्रियात्मक सहयोग लेकर गणित की शुष्क पढ़ाई आसानी से सरसता में परिणित हो सकती है।

–901/12, आजाद नगर,
थानेसर, कुरुक्षेत्र-136119

बच्चे कहना क्यों नहीं मानते?

❑ कैलाश जैन

'क्या बताएँ भाईसाहब, हमारा बेटा तो दिनों-दिन जिद्दी होता जा रहा है। बिल्कुल कहना नहीं मानता !' यह आज हर अभिभावक की आम शिकायत होती जा रही है। बच्चों के जिद्दीपन एवं अवज्ञा की आदत की शिकायत सभी को है किन्तु अधिकांश अभिभावक इसे मात्र बच्चों की गलती बताकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना चाहते हैं या उन्हें मार-पीटकर या डाँट-डपटकर समस्या का तात्कालिक सतही समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। इससे कोई सकारात्मक और स्थायी परिणाम नहीं निकलते अपितु डाँट-डपट और मारपीट से बच्चे अधिक जिद्दी हो जाते हैं।

वस्तुतः बच्चे मूल रूप से स्वभावतः आज्ञाकारी प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हें अपनों से बड़ों का कोई कार्य करने में सुख व संतोष का अनुभव होता है, कार्य करने से प्राप्त प्रशंसा से बच्चे एक प्रकार से गौरव की सुखद अनुभूति करते हैं। ऐसी सूरत में बच्चे अवज्ञा की अवहेलना करने लगें या अनावश्यक रूप से हठ करने लगें तो अभिभावक को चाहिए कि बच्चे से मानसिक स्तर पर जुड़कर उसके असामान्य व्यवहार के कारणों की गहराई से जाँच-पड़ताल करें। याद रखिए, ऐसा आप बच्चों के मित्र बनकर ही कर सकते हैं।

अभिभावक का यह दायित्व है कि वह बच्चों को ऐसा काम करने का आदेश न दें, जिसे करने में बच्चा किसी प्रकार की कठिनाई महसूस करता हो। बच्चों से लगातार आदेशात्मक शैली में व्यवहार करना भी उचित नहीं कहा जा सकता। बात-बात में बच्चों को कहना कि ये करो, ये मत करो, यहाँ बैठो, वहाँ से उठो आदि बच्चों में अवज्ञा का भाव ही जागृत करता है। बच्चों को उनकी अपनी शैली में जीने दें। अपने व्यक्तित्व को बच्चों पर जबरन लादने की चेष्टा न करें।

बच्चे को कोई आदेश देने से पहले बच्चे के 'मूड' का जरा ख्याल रखने में कोई बुराई नहीं है। यदि बच्चा अपनी दिलचस्पी के किसी कार्य में व्यस्त है या भूख से परेशान है, तो ऐसी हालत में वह तुरन्त आपकी आज्ञा का पालन

करने में झुँझलाएगा और काम करने में आनाकानी भी कर सकता है। आप यथा-संभव ऐसी स्थितियों को टालने का प्रयास करें।

बच्चे मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अभिभावकों की कई आज्ञाएँ व आदेश को मन से स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि अभिभावक अपनी बात का औचित्य बच्चे को समझाए बगैर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह उनके द्वारा दिए गए आदेश का पालन करे। बच्चे को कुएँ के पास नहीं जाने का आदेश दिया जाता है तो यह अभिभावक का दायित्व है कि वह बच्चे को बताए कि कुएँ में गिर जाने से क्या हो सकता है। प्रायः माता-पिता बच्चों को घर से बाहर खेलने से मना करते हैं किन्तु उन्हें यह नहीं बताते कि सडक पर खेलने से मोटर, ट्रक आदि के नीचे आ जाने का खतरा होता है। जब बच्चों पर अपनी आज्ञाएँ बिना तर्क और औचित्य बताए लादी जाती हैं तो बच्चा विद्रोही बन जाता है तथा प्रकृति के नियम की तरह 'वर्जित' को प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है। यह कोशिश बच्चों को जिद्दी और आज्ञा की अवहेलना करने वाला बनाती है। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने हर आदेश या आज्ञा के पीछे तर्कसंगत औचित्य को प्रेमपूर्वक बच्चे को समझाएँ। उन्हें आश्वस्त करें कि अंततः यह सब उनके हित के लिए ही किया जा रहा है।

यदि अभिभावक पाएँ कि बच्चा उनके आदेशों का पालन नहीं करता तो उन्हें चाहिए कि वह बारीकी से उन कारणों की खोज करें, जिनसे बच्चों में अवज्ञा की प्रवृत्ति पनपती है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। संभवतः बच्चों की परेशानियों पर अभिभावकों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से वह स्वयं को उपेक्षित समझते हैं तथा अपनी उपेक्षा का उत्तर वे आपके प्रति अवज्ञा-भाव दर्शा कर देते हैं। अनेक बार बच्चा आपके द्वारा बताया गया कार्य भयग्रस्त होने के कारण करने में कतराते हैं। जैसे यदि आप अपने बच्चे को घर के पास ही किसी दुकान में कोई सामान लाने को कहते हैं और वह मना कर देता है तो उसके पीछे जो कारण हैं, उन्हें ढूंढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है, बच्चे को अंधेरे में डर लगता हो या वह कुत्तों से डरता हो। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि बच्चों का भय दूर करने हेतु स्वयं उसके साथ जाएँ तथा उसे आश्वस्त करें। बच्चों की समस्या को समझ कर उसे व्यावहारिक रूप से हल करने की कोशिश करें ताकि बच्चों में आत्मविश्वास एवं सुरक्षा की भावना जाग सके। बच्चों को कभी भी खतरनाक या जोखिम-भरे काम करने हेतु आदेश न दें।

बच्चों द्वारा आपका बताया काम करने पर उनकी प्रशंसा करें तथा कभी-कभार उन्हें पुरस्कृत करने की कोशिश करें। ऐसा करने से उनका उत्साह व लगन तो बढ़ेगी ही, साथ ही आज्ञा-पालन के प्रति उनकी रुचि भी विकसित होगी। यह कभी न भूलें कि बच्चों का भी अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, उनके अस्तित्व की अवहेलना कर आप कभी भी उनका विश्वास अर्जित करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अपनी हर आज्ञा-आदेश को बच्चों पर लादना उनके मौलिक व्यक्तित्व को कुंठित करना होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बच्चों में विश्वास जागृत कीजिए, उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं का आदर कीजिए और परिस्थितियों को अनदेखा न करें।

फिर देखिए, कैसे खुशी-खुशी वे आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं।

–34, बंदा रोड, भवानी मण्डी-326502 (राज.)

बालश्रम निषेध

❑ सत्यनारायण पंवार

कोई भी बच्चा मजदूर न बने,
सभी बच्चे स्कूलों में ही पढ़ें।

करीब 63 वर्ष पहले हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उस समय साक्षरता केवल 13 प्रतिशत थी। तत्पश्चात हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। देश की सरकार, सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए उनके सभी सदस्यों को शिक्षित होना चाहिए। लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य है– देश के सभी लोगों को शिक्षित कर अच्छे नागरिक बनाना, जो देश के लिए क्लिष्ट, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं को सुलझा सके। वास्तव में हमारे देश में लोकतंत्र हमारी आशाओं और इरादों को साकार नहीं कर पाया, क्योंकि हम सभी लोग शिक्षित नहीं है। आज भी हमारे देश की साक्षरता केवल 72.8 प्रतिशत है।

जब तक हमारे देश की साक्षरता शत-प्रतिशत नहीं होती, हमारे देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रजातंत्र के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई फायदा नहीं। हमारी सरकार ने हमारे देश की साक्षरता को शतप्रतिशत बनाने के लिए अधिकाधिक रूप से 'शिक्षा का अधिकार' कानून लागू कर दिया है, जिससे हमारे देश के सारे बच्चों (06 से 12 वर्ष) को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी लेकिन हमारे देश के 72 प्रतिशत गरीब लोग अपने बच्चों को घरों में, ढाबों में, फैक्टरियों में और अन्य कार्यों में मजदूरी करवाते हैं और वे बच्चे स्कूलों में पढ़ने से महरूम हो जाते हैं।

यह वास्तव में मानवता के अधिकारों के विरोध में क्रूर कुठाराघात है क्योंकि इन बालकों को शिक्षा नहीं मिलती और वे अपने मालिकों के अत्याचार सहन करते हैं। सरकार बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए कानून बनाती है, लेकिन केवल कानूनों से बाल-मजदूरी समाप्त नहीं होती। हम सब लोगों की कोशिशों से ही बाल-मजदूरी समाप्त हो सकती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, राष्ट्रीय बालश्रम नीति 1987 (एवं बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986) के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में नियोजन को प्रतिबन्धित किया गया है। वर्ष 2006 में बालश्रम अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचना जारी कर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू श्रमिक या नौकरों के रूप में नियोजन तथा ढाबों, सड़कों के किनारों पर खानपान के ठिकानों, रेस्ट्रां, होटलों, चाय की दुकानों, रिसोर्टों के रूप या अन्य मनोरंजन केन्द्रों में नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उपर्युक्त सरकारी बालश्रम अधिनियम के होते हुए भी बालमजदूरों के अधिकतर अनपढ़ अभिभावक और बालमजदूरों को काम में लेने वाले मालिक इस अधिनियम से अनभिज्ञ हैं। अगर बालमजदूरों के माता-पिता को उक्त अधिनियम का पता भी है फिर भी उनकी गरीबी अपने बच्चों को बालमजदूरी कराकर पैसे कमाने के लिए मजबूर करती है और जानकार बालमजदूरों के मालिक भी बच्चे (सस्ते) मजदूर काम में लेते हैं। पुलिस वालों को पता लगने पर वे सख्त कार्यवाही नहीं करते क्योंकि बाल मजदूरों के अभिभावक और मालिक हाथ जोड़कर छूट जाते हैं। इस प्रकार 'सरकारी बालश्रम अधिनियम' की कोशिशें नाकाम हैं। इस प्रकार वर्ष 2006 से आज 2012 हो गया लेकिन हम बाल मजदूरी बंद नहीं कर पाये हैं।

वास्तव में बालकों को मजदूर बनाने की जिम्मेदारी उनके गरीब और स्वार्थी माता-पिता की है और वे उपरोक्त 'सरकारी बालश्रम अधिनियम' के बारे में नहीं जानते हैं। केन्द्र सरकार ने गाँवों में लोगों की गरीबी कम करने के लिए 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना' चलाई है। इतना ही नहीं राज्य की 'ग्रामीण विकास योजनाओं' (नरेगा) में लोगों को मजदूरी मिलती है। अब गाँवों में सभी लोग अपने बच्चों को मजदूरी पर नहीं भेजना चाहेंगे। अगर बच्चों के माता-पिता को दो वक्त की रोटी खाने को मिलेगी तो अधिकतर अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनायेंगे और स्कूल भेजेंगे।

माता-पिता को उपरोक्त बाल श्रम अधिनियम से वाकिफ करने के लिए समाजसेवक, पुलिस और समाजसेवी संस्थाएँ अपना कार्य कर सकती हैं। अगर उपरोक्त संस्थाएँ और हम सब मिलकर संकल्प लें कि ऐसा कार्य करेंगे कि स्वार्थी माता-पिता अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाएँ और स्कूल भेजें।

सरकार द्वारा 'बालश्रम अधिकार' को लागू करने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी जाये कि वो सप्ताह में एक दिन अपने क्षेत्र में गस्त लगाकर बाल मजदूरों की धरपकड़ करेंगे जिससे बाल मजदूरों के माता-पिता के दिलों में डर पैदा हो जायेगा और वे बच्चों को मजदूरी पर नहीं भेजेंगे।

'बाल मुक्ति मोर्चा' समाजसेवी संस्थाएँ अपने पाँच मेम्बरों का एक ग्रुप बनाकर अपने क्षेत्र के बाल मजदूरों की धरपकड़ करके पुलिस को इत्तला देंगे। इससे बाल मजदूरों के मालिकों और अभिभावकों में भय पैदा हो जायेगा और वे बाल मजदूरों को मुक्त कर देंगे। इतना ही नहीं ये संस्थाएँ बाल मजदूरों के माता-पिता को अन्य सहायता भी देंगे।

जनता में उपरोक्त बालश्रम अधिनियम को सार्वजनिक करने के लिए ये संस्थाएँ रैलियाँ और जुलूस निकालेगी जिसमें लोग नारे लगाएँगे 'बाल मजदूरी बन्द करो' संस्थाओं के लोगों के हाथों में पोस्टर होंगे जिस पर लिखा होगा 'बाल मजदूरी गुलामी है।' ये जुलूस सड़कों पर घूमेंगे जिससे जनता में जाग्रति पैदा होगी।

हो सके तो जनता में जाग्रति पैदा करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग भी अपने स्कूलों के मिडिल क्लास के बच्चों और उनके अध्यापकों के साथ सड़कों पर जुलूस निकालेंगे। बच्चे नारे लगाएँगे और बाल मजदूरी के विरोध में हाथों में पोस्टर रखेंगे, जिससे जनता में जाग्रति होगी।

उपरोक्त लोग हमारे जैसे ही हैं। वे न तो ज्यादा शिक्षित हैं और न पैसे वाले हैं फिर हम सब क्यों नहीं मिलकर 11-12 वर्ष के बच्चों की इस असाध्य बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं और उनके बचपन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं? कोई दूसरे लोग मिलकर इस कार्य को करेंगे ऐसा बैठकर क्यों सोचते हैं? हम सब संकल्प

लें कि हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे। बाल मजदूरी को जड़मूल से मिटाकर समाप्त करने के लिए हम सब नागरिक वचनबद्ध हैं और 'बालमजदूर दिवस' को मनाने के लिए हम को बच्चों का 'बचपन बचाओ आन्दोलन' में शामिल हो जाना चाहिए, जिससे हमारे भारत के भविष्य के महल की नींव पक्की बन सकें। अतः सभी से करबद्ध अपील है कि एक प्रबुद्ध एवं जागरूक नागरिक की भूमिका निभाकर अपने आसपास के क्षेत्रों एवं घरों में नियोजित बाल श्रमिकों की सूचना जिला कलेक्टर/उप जिला कलक्टर/श्रम विभाग के कार्यालय में उपलब्ध कराकर उनके सर्वांगीण विकास में सहयोगी बनें एवं बाल श्रम उन्मूलन की राष्ट्रीय योजना में भागीदार बनें। अगर बाल मजदूरी जड़मूल से समाप्त होगी तो ये सभी बच्चे सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा लेंगे।

शिक्षा का अधिकार– हमारे संविधान के 86वें संशोधन से 21ए अनुच्छेद बन गया जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अब इस शिक्षा के अधिकार को भारत सरकार ने अधिकारित रूप से कानून बना दिया है इसलिए सभी बच्चों (6 से 14 वर्ष) को पढ़ने के लिए स्कूल जाना अनिवार्य होगा। सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा (बिना फीस और सभी पाठ्यपुस्तकें मुफ्त) मिलती हैं। इतना ही नहीं एक समय का भोजन भी मुफ्त मिलता है। सरकार को चाहिए कि सभी बच्चों को दूसरा भोजन या उसका राशन बच्चों को मुफ्त दे तो वे आर्थिक रूप से स्वावलम्बित हो जाएँगे।

शिक्षा के अधिकार कानून के लागू होने के बाद शिक्षा में गुणवत्ता, स्कूल की प्रबंध समितियों योजना बनाने के लिए मजबूर करने और स्कूल खर्च पर ध्यान दिया जाएगा। सभी बच्चों को अच्छी स्कूलों में जाना पड़ेगा और उनके माता पिता को स्कूल भेजना पड़ेगा। संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत सभी राज्यों और केन्द्रों की सरकार को सभी बच्चों (6 से 14 वर्ष) को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भी देनी पड़ेगी।

–शिक्षा अधिकारी (सेवा निवृत्त)
68 गोल्फ कोर्स स्कीम, जोधपुर

कर्तव्यों की होली पर अधिकारों की दीवाली

❑ **चैनराम शर्मा**

जनतन्त्र में नागरिकों के अधिकार जनतन्त्र की रीढ़ होते हैं। हर व्यक्ति को जीने का, जीविकोपार्जन करने का, शिक्षा पाने का, समानता का, स्वतंत्रता का और अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। ये अधिकार वस्तुतः जनतन्त्र के पोषक होते हैं परन्तु कोरे अधिकार ही नहीं, इनके साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं जो जनतंत्र की आत्मा है। वहीं जनतंत्र स्वच्छ, स्वस्थ और राम-राज्य कहलाता है जहाँ अधिकारों के उपयोग के साथ-साथ कर्तव्यों का निर्वहन होता है।

आज चहुँ ओर अधिकारों की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। अकरणीय कार्य करने वाला यदि अपराध-वश कानून की गिरफ्त में आ जाता है तब भी वह उन अधिकारों की आड़ लेकर लड़ता है जिससे उसके कुकृत्यों पर पर्दा गिर जाता है। इस बीमारी से शिक्षा विभाग भी अछूता नहीं है। विभिन्न श्रेणियों के संगठन अधिकारों के लिए सम्मेलन करते हैं, हड़तालें करते हैं, चॉक-डाउन हड़ताल होती है, काली पट्टी बाँधकर विरोध किया जाता है और नारों-विज्ञप्तियों द्वारा विरोध प्रकट किया जाता है। इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है कि हम जितनी ताकत अपने अधिकारों की माँग और सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं उसकी तुलना में हमें कर्तव्य-बोध कितना हो रहा है। अधिकारों का मतलब कर्तव्य की इतिश्री तो नहीं होता।

शिक्षकों और मंत्रालयिक कर्मचारियों की खेल-कूद प्रतियोगिताएँ होती हैं। शिक्षण संस्थाओं में अवकाश हो जाता है। चूँकि शिक्षक टूर्नामेण्ट्स में भाग लेने गये होते हैं। क्या सभी शिक्षक ईमानदारी से उसमें भाग लेते हैं? क्या ऐसे आयोजनों से खेलों में सुधार हो रहा है ? क्या शिक्षक खेलों के नये गुर लेकर अपने छात्रों के बीच जाते हैं? क्या शिक्षक छात्रों के खेल के प्रति सजग और चिंतित रहते हैं? आजकल विद्यालयों में खेलों की जो दुर्दशा हो रही है वैसी भूतकाल में कभी नहीं रही। जब घण्टी बजने पर हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं और घंटी बजने पर ही घर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं तो ये खेल और टूर्नामेण्ट के स्वांग क्यों रचे जाते हैं?

बालकों में सुनागरिकता की भावना भरने और शैक्षिक मूल्य स्थापित करने वाला बालचर्य आन्दोलन भी अधिकारों की आड़ में दम तोड़ रहा है। एक समय था जब बालचर्य गतिविधि चलाने के लिए स्वेच्छा से शिक्षक अतिरिक्त समय देते और बिना यात्रा-भत्ता के शिविर, भ्रमण और रैलियाँ आयोजित करते। यूनिफार्म अपनी स्वयं की होती थी। मगर अधिकारों की माँग उठी तो कर्तव्य गौण होते चले गये। यात्रा-भत्ता पाने का दौर चल पड़ा। दक्षता में गिरावट आई। विद्यालयों में शिविर होने लगे। धर्मशाला में रैलियाँ होने लगीं। शिविर कला, क्राफ्ट कला, उत्पादन कार्य, पाक-कला, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान आदि कहीं नजर नहीं आते। रस्सी और लकड़ियों द्वारा हट्स, टॉवर, स्ट्रेचर, ब्रिज आदि के अजीबोगरीब करिश्मे कहीं दृष्टि गोचर नहीं होते। स्काउटिंग की व्याख्या कभी साइन्स ऑफ आउटिंग हुआ करती थी, अब वह फाइलों से बाहर नहीं निकल पाती है। बेडन-पॉवेल की तश्वीर खूँटी पर लटकी ही रह गई। होना तो यह चाहिए था कि ज्यों-ज्यों अधिकारों की माँग उठी, त्यों-त्यों कार्य-क्षेत्र और दक्षता में वृद्धि होती। मगर हुआ बिल्कुल विपरीत।

पत्रावलियाँ और रजिस्टर भले ही सज्जा-पूर्ण सुलेखों से भरे पड़े हों पर साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी अस्त प्राय हो गई हैं। अधिकारों ने पुस्तकालय को बहुत आबाद कर दिया पर कर्तव्यहीनता ने उसे चूहों और दीमक को समर्पित कर दिया। जब पाठ्यक्रम पूरा कराने को भी समय नहीं मिल पाता तो संदर्भ और ज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों को कौन छुएगा? ऐसे में विद्यार्थी से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वह नियमित रूप से वाचनालय और पुस्तकालय का भी उपयोग करे।

जीवन के किसी भी क्षेत्र में कर्तव्य-परायणता ही अधिकारों को सम्मान दिला सकती है। अधिकारों के प्रति सजग तो रहना ही चाहिए मगर उनका उपयोग रचनात्मक होना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं है, उसे अधिकार पाने का हक भी नहीं होना चाहिए।

–ग्रा.पो. चन्देसरा, वाया - खेमली,
उदयपुर-313201 (राज.)

समाजोपयोगी शिविर

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भैरूवास तहसील लालसोट, जिला दौसा में तीन दिवसीय समाजोपयोगी कार्यानुभव शिविर आयोजित किया। दिनांक 2.2.2012 को शिविर का उद्घाटन अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी श्री शिवशंकर प्रजापति द्वारा किया गया। विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को पाँच दलों में बाँटा गया। ग्राम के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों व आस्था के प्रमुख केन्द्र हनुमान मंदिर परिसर की सफाई की एवं ग्रामवासियों को भविष्य में स्वच्छ रखने का संदेश दिया। महिला साक्षरता सर्वे का कार्य भी किया गया। प्रत्येक छात्र को कम से कम एक परिवार का सर्वे करना था। यह सर्वे महिला साक्षरता की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया। सर्वे से निम्न तथ्य प्रकट हुए। कुल महिला साक्षरता 51.47% दो महिलाएँ एस.टी.सी., दो महिलाएँ बी.एड., कुल 12 महिलाएँ स्नातक मिलीं।

क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन भी रखा गया। विद्यालय में चिकित्सक वार्ता का आयोजन हुआ। वार्ताकार थे प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सी.पी. कुशवाह। डॉ. कुशवाह ने सभी बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाव व प्राथमिक उपचार की घरेलू विधियों की जानकारी दी। साथ ही आँखों की सामान्य बीमारियों व वृद्धों में आँखों की प्रमुख समस्या जैसे मोतियाबिन्द के इलाज की जानकारी दी।

शिविर का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम 'पोलीथीन मुक्त अभियान' रहा। छात्र-छात्राओं ने अपने दल नायकों के नेतृत्व में ग्राम की सभी गलियों व विद्यालय परिसर व आस-पास के सभी क्षेत्र से पोलीथीन हटाकर उन्हें जलाया। विद्यालय प्रांगण की सफाई व साज-सज्जा की गई। छात्र-छात्राओं ने फूल मालाओं एवं रंगोलियों से विद्यालय को सुसज्जित किया।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28.02.2012 को विज्ञान मेले का आयोजन भी किया गया। स्थानीय विद्यालय के विज्ञान शिक्षक के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं द्वारा विज्ञान विषय पर पवन चक्की, ए.टी.एम. मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, सूर्य चन्द्र ग्रहण गोबर गैस व अन्य विषयों पर आकर्षक मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। लालसोट के उपखण्ड अधिकारी श्री लोकेश सहल मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय में पधारे तथा बड़ी गहराई से सभी मॉडलों का अवलोकन किया व विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे। मॉडल प्रतियोगिता में छात्र महेन्द्र गुर्जर, भागचन्द गुर्जर व धर्मसिंह गुर्जर का जल संरक्षण मॉडल प्रथम रहा। नीरज शर्मा व रविकान्त शर्मा का सूर्य चन्द्र ग्रहण मॉडल द्वितीय रहा तथा भागचन्द गुर्जर शिवलाल गुर्जर व लेखराज गुर्जर का गोबर गैस मॉडल तृतीय स्थान पर रहा।

मॉडल प्रदर्शनी के बाद विज्ञान क्विज का आयोजन किया गया। मॉडल व क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को उपखण्ड अधिकारी द्वारा पुरस्कार बाँटे।

भ्रमण कार्यक्रम

श्री खेताजी धनाजी राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दादाई, जिला - पाली में विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी विभाग जोधपुर के सहयोग से छात्र-छात्राओं ने एक दिवसीय वैज्ञानिक प्रक्रिया युक्त स्थलों के भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया। 50 छात्र-छात्राओं के दल ने राजीव फालना के औद्योगिकी क्षेत्र में कृषि यंत्र निर्माण, दुग्ध अवशीतलन केन्द्र व छाता उद्योग का अवलोकन किया तथा जानकारी प्राप्त की।

शैक्षिक बाल मेला

कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय, पूगल (बीकानेर) में शैक्षिक मेले का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक शैक्षिक बाल मेले में बीकानेर ब्लाक के लगभग 850 बालक-बालिकाओं ने भाग लिया। इस शैक्षिक मेले की विशेषता थी कि मेले में के.जी.बी.वी. के इस प्रांगण में विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों के 40 स्टॉल लगाये गये थे। जिनका संचालन भी केजीबीवी की बालिकाओं द्वारा ही किया गया था। मेले का उद्घाटन खाजूवाला पंचायत समिति प्रधान निर्मला विश्नोई ने फीता काटकर तथा माँ सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने कहा कि बच्चे देखकर सीखते हैं और इस प्रकार के अनोखे मेलों से बच्चों में प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। मेले में बीकानेर ब्लॉक में स्थित केजीबीवी में अध्ययनरत 100 बालिकाओं के साथ-साथ 15 मॉडल कलस्टर विद्यालयों से 20-20 बालिकाओं का तथा 15 नोडल विद्यालय से 20-20 बालकों को आमंत्रित किया गया इनके साथ-साथ स्थानीय विद्यालय के बच्चों को भी मेले में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान की गई। मेले में बाहर से आने वाले बालक-बालिकाओं के आने-जाने व खाने का खर्चा सर्वशिक्षा अभियान द्वारा व्यय किया गया। मेले की व्यवस्था तथा टी.एल.एम. सामग्री का निर्माण संस्थान द्वारा नियुक्त दक्ष प्रशिक्षक राजेन्द्र सिंह, विजय शर्मा तथा विकास शर्मा द्वारा किया गया। मेले में बच्चों ने फटाफट अंकों की गणना, राज्यों की राजधानी तथा भाषा से सम्बन्धित विषयों की जानकारी हासिल की।

मेडल ऑफ मेरिट

22 फरवरी 2012 को नवरंग नगर ब्यावर जिला अजमेर निवासी विनोद कुमार मेहरा स्काउटर एवं वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष **राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बर, पाली** को स्काउटिंग की 25 वर्षों की श्रेष्ठ सेवाओं के फलस्वरूप राज्य स्तर पर 'मेडल ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया।

स्टीकर लोकार्पण

राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ विजयनगर का तृतीय सोपान जाँच कब-बुलबुल शिविर विश्व स्काउट-गाइड दिवस कार्यक्रम 22 फरवरी को **राजकीय नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय, विजय नगर** में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर स्टेट जम्बूरेट, जयपुर में सहभागी 9 स्काउट्स को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते हुए World Thinking Day स्टीकर का लोकार्पण किया गया।

गार्गी पुरस्कार

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार की योजनान्तर्गत कोटा जिले में

मीठेश निर्मोही हुए सम्मानित

हिन्दी एवं राजस्थानी के प्रख्यात कवि, आलोचक व उपन्यासकार श्री नन्द भारद्वाज ने कहा कि जो रचनाकार श्रेष्ठ रच रहे हैं, उनका सम्मान कर उनकी पहचान को आगे बढ़ाया जाना हमारे समाज का गुरुत्तर दायित्व है। इस अवसर पर श्री मीठेश निर्मोही को उनकी काव्य-कृति 'चिड़िया भर शब्द' के लिए श्रीमती कांता वर्मा राष्ट्र साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रख्यात साहित्यकार डॉ. भगवतीलाल व्यास ने कहा कि राजस्थान में हिन्दी की समृद्ध काव्य परम्परा रही है, इसे समृद्ध करने वाले कवियों में मीठेश निर्मोही की भूमिका भी निःसंदेह ही महत्त्वपूर्ण है। श्रीमती कांता वर्मा राष्ट्रस्तरीय साहित्य सम्मान से पुरस्कृत उनकी काव्य कृति 'चिड़िया भर शब्द' की अधिकांश कविताएँ स्मृतियों की कविताएँ हैं।

समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉ. नरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि श्रीमती कांता वर्मा राष्ट्र स्तरीय साहित्य सम्मान का यह शुभ अवसर साहित्यकारों के लिए प्रेरणाप्रद है। शिव वीणा साहित्य संस्थान परिवार का यह उपक्रम इस दिशा में सार्थक पहल के रूप में सदैव स्मृतियों में रहेगा। उन्होंने कहा कि 'चिड़िया भर शब्द' की लम्बी कविताओं की अपेक्षा लघु आकार की कविताएँ भाव, भाषा, शिल्प और शैली की दृष्टि से अधिक प्रभावकारी है।

इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष गीतकार एवं अधिवक्ता श्री शिवनारायण वर्मा ने अतिथियों का अभिवादन एवं पुरस्कृत साहित्यकारों को बधाई देते हुए संस्थान के उद्देश्यों एवं भावी योजनाओं को रेखांकित किया। साहित्यकार एवं संस्थान के सचिव श्री जितेन्द्र निर्मोही ने पुरस्कृत कवि श्री मीठेश निर्मोही के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को रेखांकित करते हुए कहा कि मीठेश निर्मोही हिन्दी एवं राजस्थानी के प्रख्यात काव्य-हस्ताक्षर हैं।

पुरस्कार से समादृत कवि मीठेश निर्मोही ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि मेरे लेखन के संदर्भ में यह पुरस्कार विद्वज समाज की बड़ी स्वीकृति है, एतदर्थ उन विद्वान् निर्णायक-समीक्षकों एवं आयोजक संस्थान का आभार स्वीकार करता हूँ, जिन्होंने मेरी काव्य संवेदनाओं को अंगेजा और मेरी काव्यकृति 'चिड़िया भर शब्द' को इस पुरस्कार के योग्य मानते हुए चयन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस उम्र में मेरे लिए यह पुरस्कार प्रोत्साहन तो नहीं है लेकिन इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि मेरा लेखकीय दायित्व और अधिक बढ़ गया है। मैं मानता हूँ कि यह पुरस्कार मुझे और अधिक श्रेष्ठ रचने की प्रेरणा देता रहेगा। श्री निर्मोही ने अपनी पुरस्कृत काव्यकृति से चुनिन्दा कविताओं का पाठ भी किया।

–बीना जैन, निदेशक, शिव वीणा साहित्य संस्थान, महावीर नगर-I, कोटा

गार्गी पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन **रा.बा.उ.मा.वि., तलवण्डी, कोटा** में हुआ। कार्यक्रम की संयोजिका प्रधानाचार्य श्रीमती निर्मला आर्य थी। कोटा जिले में गार्गी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दसवीं कक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली 1082 छात्राएँ तथा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बारहवीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली कुल 74 छात्राएँ इस प्रकार कुल 1156 छात्राएँ इस योजना से लाभान्वित हुईं। छात्राओं को तिलक लगाकर चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि श्री कालूलाल चंद्रसेन ने अपने अनुभवजन्य दृष्टांतों से बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया तथा संस्कारवान बनने की प्रेरणा दी। अध्यक्ष श्री चतुर्भुज महावर उप निदेशक ने बालिका शिक्षा की महत्ता बताते हुए कहा कि एक बालिका यदि पढ़ती है तो वह एक नहीं दो-दो परिवारों को शिक्षित व संस्कारित बनाती है। कार्यक्रम के अन्त में संस्था प्रधान द्वारा आभार अभिव्यक्त किया गया।

***

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, धतुरिया (डग) झालावाड़ में बालिकाओं का साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया।

विद्यालय की अम्मा - कान्ता देवी

यों तो श्रीमती कान्ता देवी शर्मा रा.उ.मा. विद्यालय, सूठेपा (भीलवाड़ा) में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। लेकिन विद्यालय के बालक-बालिकाओं से लेकर प्रधानाचार्य तक उन्हें 'अम्मा' कहकर पुकारते हैं। कैसे बनीं? कान्ता देवी अम्मा। क्यों कहते हैं कान्ता देवी को अम्मा? क्या एक महिला कर्मचारी भी विद्यालय की अम्मा हो सकती है? यदि ऐसा है तो यह बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों नहीं होगी? प्रतिदिन बच्चे विद्यालय आकर सबसे पहले प्रणाम कान्ता बाई को करते हैं। यहाँ तक कि जब स्कूल की छुट्‌टी होती है तब घर के लिए रवाना होने के पूर्व प्रधानाचार्य भी कान्ता बाई को कहकर जाते हैं। कोई जानकारी लेनी हो तो कान्ता बाई को ही पूछते हैं।

स्टूल, टेबल, चॉक, डस्टर, रजिस्टर आदि सभी कुछ कान्ता बाई की निगाहों में रहते हैं। वो ही सामान देती हैं व लेती हैं। जैसे घर पर एक माँ वैसे ही स्कूल में कान्ता बाई - अम्मा। कुछ बच्चियाँ कान्ता बाई को जीजी भी कहकर पुकारती हैं। क्यों नहीं पुकारेंगी। जब कान्ताबाई कमरों की सफाई कर पोंचे भी लगा देती हैं मानो अपने घर की सफाई कर रही हों। पूरा दिन विद्यालय तथा बच्चों को समर्पित कर रखा है कान्ता बाई ने।

ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि परीक्षा के दिनों में सभी बच्चे एवं बच्चियाँ कान्ता बाई से विशेष आशीर्वाद लेते हैं। टूर्नामेन्ट में जाने वाले बालक-बालिकाएँ भी धोक देकर जाते हैं। कोई इनाम भी जीतकर आता है तो कान्ता बाई को समर्पित करता है। अभी इसी वर्ष विद्यालय को वन विभाग की ओर से वृक्षारोपण के लिए जिलास्तरीय वृक्षवर्द्धक पुरस्कार प्राप्त हुआ उस प्रमाण पत्र को भी कान्ता बाई के हाथों में थमाया गया। क्यों नहीं थमायेंगे जिन हाथों ने विद्यालय के पौधों तथा वाटिकाओं की परवरिश में अपना हाथ बटाया है।

पचपन वर्ष की उम्र में भी कान्ता बाई में कार्य की तत्परता देखते ही बनती है। एक भोली भाली सूरत लिए चन्द्रमा के समान ठण्डे स्वभाव की कान्ता बाई ने अपनी बचत में से बच्चों के पानी पीने के लिए लगभग 10,000 रुपये का एक जल टैंक विद्यालय में बनवाकर एक अनुकरणीय मिसाल कायम की है ऐसी माँ हमारे कई विद्यालयों में जरूर होंगी बस उनको मान-सम्मान देने की जरूरत है। सेवा का दूसरा नाम कान्ता बाई को हजार-हजार प्रणाम।

–ओम प्रकाश झंवर, प्रधानाचार्य
रा.उ.मा. विद्यालय, सूठेपा, (भीलवाड़ा)

पुस्तक परिचय

101 बाल कविताएँ; *डॉ. दाऊदयाल गुप्ता; आयुष्मान प्रकाशन, म.नं. 45, गली नं. 5, करतार नगर, दिल्ली-53; संस्करण : 2011; पृष्ठ संख्या : 182; मूल्य : 300 रुपये।*

बाल साहित्य अब साहित्य की मुख्यधारा में आ चुका है। केन्द्रीय साहित्य अकादमी तथा राज्यों की साहित्य अकादमियाँ उत्कृष्ट कोटि के बाल साहित्य को प्रतिवर्ष पुरस्कृत भी करती हैं। यह शुभ लक्षण है।

वस्तुतः बालमन के इन्द्रधनुषी रंगों को पहचानना सरल कार्य नहीं है। बाल-मनोविज्ञान बालकों की आशाओं और उमंगों के साथ-साथ उनकी समस्याओं की ओर भी संकेत करता है। बच्चों में करुणा, सहानुभूति, प्रेम, दयाभाव, देशप्रेम आदि सहज गुण होते हैं। वे प्रकृति से अनुराग रखते हैं, कोमल कल्पना के संसार में विचरण करते हैं और अन्याय के विरुद्ध भी सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। उनमें अदम्य जीवट भी देखा जा सकता है।

डॉ. दाऊदयाल गुप्ता ब्रजभाषा के परिचित हस्ताक्षर हैं। आप ने प्रस्तुत पुस्तक में 101 बाल कविताएँ पेश की हैं, जो इनके बाल-मन को समझने की सुन्दर बानगी हैं। आपने इन कविताओं में बालमन से सम्बद्ध विविध क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं को सहज-सरल भाषा में अंकित किया है। विषय-वैविध्य की दृष्टि से इन कविताओं को निम्नांकित शीर्षकों में रेखांकित किया जा सकता है–

1. प्राकृतिक उपकरण– बच्चों को प्रकृति से बेहद लगाव होता है। वे झाड़ी, बेर, पेड़, तारा, फूल, वर्षा, बादल, पानी, आम और बरगद, नीम, तरकारी, माटी, केला, माटी का मटका, तितलियाँ, फूल-शूल, बालू का घर, हरियाली हवा आदि सभी तत्त्वों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। कवि ने इन सभी विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है और विषय को जीवंत किया है। 'फूल' का सौन्दर्य देखिए–

हरसिंगार बाग में मिलते/कमल सदा पानी में खिलते/चंपा और चमेली महकी/केली रंग-बिरंगी चहकी॥ (पृ. 34)

'वर्षा' का महत्त्व भी उजागर हुआ है– पानी माँगे कली-कली/पानी माँगे गली-गली।/ बरसे बूँद न पानी की/तब पानी की कमी खली॥ (पृ. 30)

इस प्रकार बाल-मन के आकर्षण प्राकृतिक उपकरणों को सहज रूप से अभिव्यक्त किया गया है।

2. जीव-जंतु– ये भी प्राकृतिक उपकरणों से अलग नहीं हैं, फिर भी बच्चों को इन्हें समझने और देखने की ललक रहती है। कवि ने अपने काव्य-संग्रह में ककड़ी-मकड़ी, कोयल-कौआ, गाय, ऊँट, कछुआ, घोड़ा आदि पर भाव-प्रवण रचनाएँ दी हैं। एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे।

ऊँट– ये मरुथल जहाज कहलाता/लंबी दूरी दौड़ लगाता।/ठुमक-ठुमक कर नाच दिखाये/सज-धज कर मेले में जाये॥ (पृ. 35)

कछुआ– पर इसकी जो पीठ कड़ी/ उसकी बनती ढाल बड़ी/ढाल लिये जो रहते हैं/चोट-फेंट वो सहते हैं।

जीव-जन्तु सम्बन्धी कविताएँ पढ़ने से यह आभास होता है कि कवि ने इनकी प्रकृति, परिवेश और जीवन-शैली का गहराई से अध्ययन किया है।

3. घर-परिवार– बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार ही है। घर-परिवार में वह जो संस्कार ग्रहण करता है, वही आजीवन बने रहते हैं। अच्छे संस्कारों से बालक अपने जीवन को सही मार्ग पर अग्रसर करता है, अन्यथा वह परिवार-समाज के लिए विकट स्थितियाँ भी पैदा कर सकता है। आलोच्य काव्यसंग्रह में भाई-बहन, परिवार, दादा, नाना-नानी, मामा के घर जाऊँगा, पापा, बिटिया, राजा भैया, माँ, किताबें, सुखी बनेंगे। दो परिवार प्रभृति कविताएँ पारिवारिक जीवन से सम्बद्ध हैं। देखिए– खेल खिलौने पापा लाते/माता हमें नचाती है/पापा हमको खूब हँसाते/माता गाना गाती है। *(पृ. 81)*

पारिवारिक जीवन का सामंजस्य ही समाज में सामंजस्य उत्पन्न करता है। 'सरगम' कविता इसका प्रमाण है– खेल खेलते हैं हम हिल-मिल/चमकें तारे जैसे झिल-मिल। *(पृ. 46)*

4. देशप्रेम– वाल्मीकि रामायण में कहा गया है– 'जननी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है।' अतः राष्ट्रप्रेम के संस्कार लड़कपन में ही डाल देने चाहिए। प्रस्तुत संग्रह में एकता, एक रंग में रंगे हुए, तिरंगा, भारत अपना देश महान आदि अनेक कविताएँ देश-प्रेम के रंग में रंगी हुई हैं।

हम इसकी सब संतानें/इसकी रग-रग पहचानें/प्रेमडोर से बँधे हुए/सबको अपनाकर मानें॥ (पृ. 70)

कवि का आग्रह है– 'भारत के हम बच्चे हैं' कवि 'एक चंग पर चढ़े हुए' गाकर भावात्मक एकता को बढ़ावा देता है।

5. अव्यवस्था के प्रति चिंता– कवि ने वोट की राजनीति, भ्रष्टाचार, नेताओं का आचरण आदि पर करारा प्रहार भी किया है। कवि का लक्ष्य देश के विकास को प्रस्तुत करना है। इसलिए वे स्पष्ट रूप से कहते हैं– *वोट यहाँ पर बिकता है/नोट सरासर मिलते हैं/बिके यहाँ पर बड़े-बड़े/बिना बिके ना टिके खड़े। (पृ. 53)*

कवि बालकों का आह्वान करता है– *भ्रष्टाचार मिले तुमको/पकड़ पछाड़ो तुम उसको/ उसको सबक सिखाता जा/चल रे मनुआ चलता जा। (पृ. 174)*

6. आशावादी स्वर– कवि का विश्वास आशा और जिजीविषा में है। अनेक कविताओं के माध्यम से कवि ने आशा और आस्था का संदेश दिया है। 'वीर प्रताप' जैसे महापुरुषों से प्रेरणा लेने की बात भी कही है तो आत्मनिर्भरता, श्रम की महत्ता, उच्चादर्श, सादा जीवन, समरसता, साम्प्रदायिक सद्भाव आदि विविध विषयों को अंगीकार करने की बात भी कही है– *तेरी भुजा मेरी ध्वजा,/मेरी भुजा तेरी ध्वजा,/ दोनों अचल चट्टान हैं।/समभाव सब संतान हैं। (पृ. 59)*

सभी कविताएँ भाषा-शिल्प की दृष्टि से भी उत्कृष्ट बन पड़ी हैं। जीवन को सही परिप्रेक्ष्य में जीने की प्रेरणा इनसे मिलती है।

–डॉ. मदन केवलिया
'प्रतिमा', सी-68, सादुलगंज, बीकानेर-334003

मांणस तथा अन्य कहानियाँ : *भवानी सिंह; सोशल प्रोग्रेसिव सोसायटी रजि. जैनब कॉटेज बड़ी कर्बला मार्ग, चौखूंटी, बीकानेर; संस्करण: 2011; पृष्ठ 118; मूल्य 160 रुपये।*

मांणस पुस्तक की आवरण सज्जा कथनानुसार एवं चित्ताकर्षक रंगों का संयोजन व भावों का प्रस्तुतीकरण उत्तम है। इन 12 कहानियों के संग्रह में वर्तमान की सामाजिक खामियों को बड़ी तल्खी से लिपिबद्ध किया है, मानवीय सरोकारों की छोटी-छोटी कहानियाँ जो समाज की उस आधी आबादी के नाम

समर्पित है, जो सदियों से शोषित, दमित व दूसरे दर्जे के जीवन को जीने के लिए अभिशप्त है, जिसको अधिकार के नाम पर केवल कर्तव्य हिस्से में आये। स्त्री को पुरुष समाज ने भोगा और उसे भोग्या वस्तु बना दिया, सदियों से इस आवरण में रहते हुए वह अपने को भोग्या समझ बैठी और उससे अधिक सोचने की अपनी सामर्थ्य खो बैठी, कहानीकार ने इन कहानियों में बेबाक लेखन दृष्टि, संवेदनशीलता एवं सरल शब्दों में की गई भावों की अभिव्यक्ति व शब्दों के माध्यम से की गई स्त्री की चित्रात्मक प्रस्तुति इस कृति की लाक्षणिक विशेषता है, जो पाठक को अन्दर तक झकझोर देती है।

मांणस की प्रथम कहानी दुविधा में समाज के सर्वहारा वर्ग की मनोस्थिति, रोजगार, अध्यात्म से जुड़ी सोच को बड़ी ही सधी हुई भाषा शैली में पिरोकर प्रस्तुत किया है। कहानी में कहानीकार ने 'अपनी कीमत से ज्यादा आवाज करते हैं ये सिक्के' व स्त्री को लेकर सामाजिक मान्यता 'बेटियाँ पैर में पड़ी बिवाइयों सी बढ़ती रही', कहानीकार ने नारी जीवन से सम्बन्धित जीवनानुभवों को आधुनिक भावबोध से जोड़ते हुए पाठकों तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया है। दुविधा कहानी के माध्यम से एक पिता की मनोदशा व अनिर्णय की स्थिति में निर्णय नीले घोड़े वाले पर छोड़ती सूरदास की कहानी पाठक को भी दुविधाबोध से ग्रस्त करती है।

पारिवारिक जीवन में वृद्धों के आपरेशन खर्च को लेकर देवरानी जेठानी की सोच व मनोदशा का जीवन्त चित्रण, वृद्ध पिता व आधुनिक पुत्र में वैचारिक भावात्मक द्वन्द्व को दर्शाती है कहानी 'नजर'।

'उपेक्षित' कहानी में कहानीकार ने ग्रामीण परिवेश में रचे बसे वृद्ध पिता को पुत्र उन्हें अपनी कर्म-भूमि गाँव से दूर अपने साथ शहर में ले आया, पुत्रवधू के ताने व उपेक्षित व्यवहार के बीच पोते के स्नेह में व गली के कुत्ते मोतिया के संग बतियाते दिन गुजारते पिता की मनःस्थिति का बड़ा ही सजीव वर्णन जिसमें जीवन के संध्याकाल में आधुनिक पुत्रों की अपने वृद्ध माता-पिता के प्रति संवेदनहीन व्यवहार व मनोदशा का बड़ा सजीव वर्णन है।

पारो कहानी स्त्री पुरुषों के सम्बन्धों में आती दरार आदि विषयों को छूती हमारे आस-पास बिखरी आम स्त्री की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है।

काँटों के बीच कहानी जीवन की मुस्कान को प्रदर्शित करती कहानी है विधवा को पुनर्विवाह कर सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाती कहानी की कथावस्तु में वंदनीय और निंदनीय दोनों प्रकार के पात्रों का सफल चरित्रांकन तथा वर्तमान सामाजिक विसंगतियों व बुराइयों पर करारा तमाचा है।

ठाकुरों की रजवाड़ी संस्कृति की उस परम्परा जिसमें बाई-सा की शादी में ससुराल साथ भेजी जाने वाली महिला नौकरानी मांणस के जीवन को केन्द्र बनाकर लिखी कहानी जिसमें ठाकुरों की काम-पिपासा शान्त करती-करती उनके बच्चों की माँ बनने की बड़ी मार्मिक कहानी जो प्राचीन जमाने की उस सामाजिक बुराई व सच्चाई को प्रदर्शित करती है मांणस, बड़ी रोचक विचारोत्तेजक लगी।

इन 12 यथार्थवादी कहानियों के कथ्य, संवेदना, शिल्पगत बुनावट, पात्रानुकूल भाषा एवम् संवाद इस कृति को निश्चय ही पठनीय बनाते हैं। इन कहानियों को पढ़ते समय संवेदनात्मक स्तर पर शरीर में बड़ी तेज सिहरन होती है, पाठक जीवन के गहन अनुभव से जुड़ जाता है कहानीकार ने इसमें से अनछुए पहलुओं को आत्मसात करके अभिव्यक्त करने का सफल व सार्थक प्रयास किया।

–सरदार सिंह चारण, व्याख्याता
डाइट, जालोर-343 001

एक नूर से उपजे; *राजेश अरोड़ा; अंशु पब्लिशर्स, डी-2, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर; संस्करण : 2012; पृष्ठ : 80; मूल्य : 100 रुपये।*

हिन्दी साहित्य में विविध विधाओं में बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन बाल साहित्य पर काफी कम। बाल साहित्य पर लिखा जाना अपेक्षित है। लघुकथा संग्रह 'एक नूर से उपजे' में चौवन लघुकथाएँ हैं। लेखक ने आज की दौड़-भाग की वैज्ञानिक तकनीकी जीवन यात्रा में पाठकों को लघुकथाओं के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को सहज और सरल रूप से रूपायित किया है। 'नुमाइश' लघुकथा में वर्तमान समाज की रूढ़ियों की ओर इशारा करती है। 'केले के छिलके' में बेरोजगारी समस्या तो उजागर हुई है लेकिन दो किशोरों से प्रेरणा पाकर नवयुवक आत्महत्या के अपराध से बचता है। 'सबका ईश्वर' लघुकथा में गागर में सागर का मर्म है, ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। आज की संवेदनहीनता 'लावारिस लाश' लघुकथा में प्रकट हुई है।

लेखक ने यथार्थ का चित्रांकन भी बड़े मन से किया है, वर्णनात्मक चित्रात्मक शैली में 'पेट की आग' लघुकथा पाठक को अन्दर से झकझोर देती है। दुर्घटना में मारे गए मजदूर की निर्धन पत्नी मुश्किल से अंत्येष्टि के लिए जुटाई गई लकड़ियों का कुछ भाग बेचकर अपनी बेटी के लिए रोटी का जुगाड़ करती है, पति की लाश को अधजला छोड़कर।

संग्रह की कई लघुकथाएँ बाल-केन्द्रित है। 'नजरिया' लघुकथा में नन्हीं सी आशना अपनी माँ से कहती है, 'माँ ! मैं बड़ी होकर जज बनूँगी। दादी यह सुनकर हँसती है, ताना मारती है लेकिन आशना एक दिन जज बन जाती है, लेखक ने बालिका शिक्षा की ओर तो ध्यान आकर्षित किया ही है, वहीं बालिका जो जज बन जाती है और भ्रूण-हत्या के खिलाफ मुकदमें का फैसला सुनाती है।'

'सृजन का मोल' लघुकथा लेखक की वेदना को प्रकट करती है। बाल-केन्द्रित एक और लघुकथा 'करने के काम' बच्चे की बात सुनकर प्रधानाचार्य की आँखें नम कर देती हैं। 'रिश्वत का रिश्ता' लघुकथा में लेखक ने बडवानल की तरह फैलते हुए भ्रष्टाचार की ओर इंगित करते हुए कथा के अन्त में ईमानदारी पर अडिग रहने की बात की है। फर्क-1 लघुकथा में फर्क को मात्र एक शब्द में परिभाषित किया है।

'आइडिया' और 'मौत' लघुकथाएँ पाठक को भीतर तक हिला देती है वहीं 'बेटी' लघुकथा में बेटियाँ, बेटों से ज्यादा संवेदनशील होती है का अहसास कराती है। दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, 'पहचान' कथा यह सीख देती है वहीं 'गणेश ने दूध पिया' लघुकथा बालक गणेश की आह पर पाठक को सोचने के लिए मजबूर करती है। अन्त में शीर्षक लघुकथा 'एक नूर से उपजे' ईश्वर अंश जीव अविनाशी को चरितार्थ करता है।

–महेन्द्र कुमार आचार्य, अध्यापक
रा.मा.वि., दफ्तरी चौक, बीकानेर

कैंसर सेल को चुन-चुन कर मारेगा नया रोबोट

वाशिंगटन। कैंसर समेत कई जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगी है। दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों ने ऐसे सूक्ष्म रोबोट बनाने का दावा किया है, जिन्हें मरीज के खून में डालने पर न केवल कैंसर सेल्स का सफाया मुमकिन हो सकेगा, बल्कि संक्रमित हिस्से तक जरूरी दवाएं भी पहुँचाई जा सकेंगी। खून के थक्के मिटाने और अंदरूनी जख्म भरने में इनकी मदद ली जा सकेगी।

सियोल स्थित हनयंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि आकार में ये सूक्ष्म रोबोट एक मिलीमीटर से भी छोटे होंगे। इनके जरिए ऐसे ट्यूमर को निशाना बनाया जाएगा, जिन तक पहुँचना मुश्किल है। हालांकि रोबोट को खून में डालना एक चुनौती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इंसान का रक्त-प्रवाह तंत्र काफी जटिल है।

इसमें रोबोट को डालना तो उतना कठिन नहीं है, लेकिन उसे ट्यूमर और संक्रमित हिस्से तक पहुँचाना काफी मुश्किल है। शोधकर्ता इसके लिए एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का सहारा लेने की सोच रहे हैं।

रद्दी कागज से चार्ज होगी बैटरी

लंदन। विश्व की एक जानी-मानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता कंपनी ने ऐसी बैटरी बनाई है, जो बिजली नहीं, बल्कि रद्दी कागजों का इस्तेमाल कर ऊर्जा पैदा करती है। इसका प्रदर्शन टोक्यो में आयोजित 'इको प्रोडक्ट्स 2011' प्रदर्शनी में किया गया।

कंपनी का कहना है कि इस बैटरी के प्रोटोटाइप से साबित हो गया है कि इंजाइम की मदद से कागज के टुकड़ों को अणुओं में तोड़कर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। फिलहाल यह बैटरी छोटे पंखे और कम वॉट के बल्ब को चलाने में ही सक्षम है। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसकी क्षमता बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी। यह बैटरी पाचन तंत्र की तरह काम करती है। इसके अंदर मौजूद सेलुलेस इंजाइम सेलुलॉस से बने कागज को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसका इस्तेमाल बैटरी ईंधन के रूप में करती है।

बिना दर्द होगी दाँतों की सफाई

लंदन। क्या आप अपने दांतों के डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं? तो डरना छोड़िए। वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी दो वर्षों में बाजार में ऐसी तकनीक आ जाएगी, जिसकी मदद से दांतों में लगे कीड़ों की सफाई कुछ ही समय में हो सकेगी। मिसौरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक दल का दावा है कि उनका उच्च तकनीक वाला प्लाज्मा ब्रश केवल 30 सेकंड में सड़े हुए दांतों को साफ कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान मरीज को केवल थोड़ी ठंडक जैसा महसूस होगा। इस तकनीक के तहत प्रभावित दांत को साफ करने से पहले रासायनिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके प्रभावित स्थल को रोगाणुमुक्त बनाया जाता है और वहाँ एक ऐसा जोड़ बनाया जाता है जो वर्तमान तकनीकों से कहीं अधिक मजबूत होता है।

अब बनेंगे सिकुड़ते जहाज

लाजवंती या छुईमुई का पौधा, जिसकी पत्तियाँ छू लेने भर से सिकुड़ जाती हैं, अब विमान निर्माण में मददगार होगा। विमानन से जुड़े वैज्ञानिकों ने पौधे में कार्य करते विशिष्ट 'हाइड्रोलिक सिस्टम' यानी जल आधारित पद्धति को समझा है और सिकुड़ने की हकीकत जानी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया के मैकेनिकल इंजीनियर कोन-वेल वांग के शोधपत्र के अनुसार माइमोसा यानी छुईमुई के पौधे ने स्वतः सिकुड़ती मशीनरी के निर्माण की प्रेरणा दी है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के बाहरी अंगों को तैयार करने में किया जा सकता है। शोधकर्ता ने अपनी प्रयोगशाला में इस प्रकार के निर्माण की दिशा में कार्य करना प्रारम्भ भी कर दिया है।

इंसान के शरीर से बनेगी बिजली

साइंस के सामने बिजली बनाने के और बेहतर विकल्प तलाशने की चुनौती है। समुद्र की उफनती शक्ति का इस्तेमाल वैज्ञानिक टर्बाइन चलाने में करना चाहते हैं। कोशिशें पूर्णता की ओर हैं। संभव है कि 2012 तक वह तकनीक अमल में आ जाए।

कनाड़ा की एक फर्म ब्ल्यू एनर्जी ने इस प्रयास में काफी हद तक सफलता हासिल कर ली है। इस तकनीक में तीव्र वेग वाली समुद्री लहरों की शक्ति को बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाना है। स्कॉटलैंड के तटीय इलाके में इसके शुरुआती प्रयोग सफल हो चुके हैं। समुद्र ही क्यों इंसानी शरीर से भी बिजली बनाने के तरीके खोज निकाले गए हैं। वैज्ञानिक मानव शरीर की ऊर्जा को सिलिकॉन नैनो कनवर्टर की मदद से बिजली में तब्दील करने के करीब हैं। पैदल चलते या दौड़ते समय यदि इस उपकरण को शरीर से जोड़ दिया जाए तो वह इतनी बिजली बना लेगा जिससे एक मोबाइल या फिर लैपटॉप की बैटरी को आसानी से चार्ज किया जा सके। 2012 में बिजली के इन वैकल्पिक संसाधनों की सौगात हमें मिल सकती है।

नैनो डायग्नोस से नैनो ट्रीटमेंट तक

नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिसकी मदद से रोग का पता जल्दी लगाया जा सकेगा। इसके लिए ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे और स्कैन जैसी डायग्नोसिस की जरूरत नहीं रह जाएगी। दरअसल वैज्ञानिकों ने एमएमई (मिनिएचराइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट) का ईजाद किया है, जिसके 2012 तक उपयोग में आने की संभावना है। इस तकनीक में एक छोटी सी गोली का इस्तेमाल किया जाना है। गोली की खासियत यह होगी कि शरीर में पहुँचते ही इसके विशेष प्रोग्राम्ड रसायन शरीर के उस हिस्से को चिह्नित कर देंगे, जिसमें कोई परेशानी आई हो। इसके जरिए उस हिस्से की कोशिकाओं और ऊतकों को रिपेयर करने के लिए विशेष मेडिसिन भी पहुँचाई जा सकेगी। यह सीधे प्रभावित हिस्से पर ही असर करेगी। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि वे मानव शरीर में एक स्थाई प्रोग्राम्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम फिट कर सकें, जो शरीर में आने वाली किसी भी तरह की समस्या को चिह्नित कर सके और उसके संदेश शरीर के बाहर मौजूद उपकरण को दे सके। यह उपकरण किसी संचार माध्यम से चिकित्सक को सभी सूचनाएँ उपलब्ध करा सकेगा। यही नहीं मेडिकल साइंटिस्ट उस वंडर ड्रग को बनाने के बेहद करीब पहुँच चुके हैं। जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को एक औसत और नियंत्रित स्तर पर लाकर उसके जरिए कैंसर, अल्जाइमर और कई तरह के रोगों से छुटकारा पाया जा सकेगा।

खाना बनाते वक्त चश्मे पर नहीं चढ़ेगी भाप की परत

लंदन। खाना पकाते समय उससे निकलने वाली भाप आपके चश्मे पर चढ़ जाती है। लेकिन अब यह समस्या बीते दिनों की बात होगी।

फ्रांसीसी कंपनी एस्सलर ने पाँच साल के

रिसर्च के बाद ऑप्टीफॉग नामक एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो भाप को संघनित होने से रोकती है। इससे यह पानी की बूंदों में नहीं तब्दील हो पाती और दृष्टि धुंधली नहीं पड़ती। वैज्ञानिकों के मुताबिक आमतौर पर ऐसा होता है कि जब गर्म हवा चश्मे के शीशे से टकराती है, तब उसके कण भाप बनकर संघनित हो जाते हैं। इस कारण व्यक्ति को नजदीक की चीजें देखने में भी परेशानी होती है। ऑप्टीफॉग इस समस्या से छुटकारा दिलाएगा। यह तकनीक किसी भी लेंस या चश्मे के शीशे पर परत के रूप में चढ़ाई जा सकती है। शोधकर्ताओं ने इसकी सफलता की जाँच करने के लिए एक ऐसी महिला का चुनाव किया, जिसके चश्मे का पावर बहुत ज्यादा था। उसे गर्म पानी के बर्तन के बगल में खड़ा किया गया। इस दौरान उसने ऑप्टीफॉग से लैस चश्मा पहना था, जिसकी वजह से उसकी दृष्टि धुंधली नहीं हुई।

पासवर्ड को याद रखने का टेंशन जल्द होगा खत्म

वाशिंगटन। कंप्यूटर, मोबाइल, ई-मेल अकाउंट और बैंक खाते का पासवर्ड याद रखना सिरदर्द से कम नहीं है। लेकिन बहुत जल्द आप इस टेंशन को अलविदा कह सकेंगे। जी हाँ, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियाँ जल्द ही बाजार में ऐसे स्मार्टफोन लांच करने जा रही हैं, जो उपभोक्ता का चेहरा देखकर या उनका स्पर्श पाने के बाद ही खुलेंगे। इससे पहले आईबीएम ने 2016 तक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण में कामयाबी हासिल कर लेने का दावा किया है, जिन्हें खोलने के लिए किसी खास पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी।

'द संडे टाइम्स' के मुताबिक एप्पल ने बीते हफ्ते अमेरिकी पेटेंट ऑफिस में एक अर्जी दाखिल कर फेशियल रिकगनिशन सॉफ्टवेयर का पंजीकरण कराया है। इसे अपलोड करने के बाद आई-फोन, आई-पॉड या आई-पैड किसी पासवर्ड से संचालित नहीं होंगे। इन्हें खोलने के लिए उपभोक्ताओं को इन्हें चेहरे के सामने लाना होगा। एप्पल प्रवक्ता की मानें तो नए सॉफ्टवेयर में उपभोक्ता का पूरा चेहरा फीड किए जाने के बजाय किसी खास अंग (मसलन आँख, नाक, होंठ या गाल) को सेव किया जाएगा, ताकि ज्यादा बैटरी न खर्च हो। हर उपभोक्ता एक खास प्रोफाइल और वॉलपेपर भी सेट कर सकेगा।

पूरी हो सकेगी लंबी उम्र की ख्वाहिश

लंदन। लंबा जीवन कौन नहीं चाहता, पर हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो सके। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने लोगों की इस इच्छा को पूरा करने का तरीका खोज लिया है। हाल ही में हुए एक शोध में उन्होंने स्टेम कोशिका की मदद से एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है, जो उम्र को तीन गुना तक ज्यादा बढ़ा सकता है।

युनिवर्सिटी ऑफ पीट्सबर्ग के वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन को अंजाम दिया। उन्होंने कहा, स्टेम कोशिकाओं में एक खास किस्म का प्रोटीन मौजूद होता है जिसमें उम्र बढ़ाने की क्षमता होती है। शोधकर्ताओं ने प्रारम्भिक अवस्था में चूहों पर यह अध्ययन किया जिसमें वे सफल रहे। चूहों की उम्र में तीन गुना का इजाफा होने के साथ-साथ उनका शारीरिक विकास भी अधिक तेजी से हुआ। अगले चरण में इंसानों पर इस अध्ययन को किए जाने की संभावना है।

शोध के बारे में जानकारी देते हुए वैज्ञानिकों ने कहा, सबसे पहले हमने कम उम्र के चूहों से स्टेम कोशिकाओं के कुछ अंश निकाले। फिर उसके प्रोटीन को परिष्कृत कर अधिक उम्र वाले चूहों में उसे डाल दिया। इसके बाद उनकी आयु तीन गुना तक बढ़ गई। शोधकर्ताओं ने कहा, चूहों की उम्र जितनी छोटी थी, उन पर इस परीक्षण का असर भी उतना ही ज्यादा देखा गया। जिन चूहों की उम्र महज 17 दिन थी, उनकी उम्र में औसतन 21 से 66 दिनों की बढ़ोत्तरी हुई। बता दें कि समय से पहले और अधिक तेजी से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया प्रोजेरिया कहलाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह शोध प्रोजेरिया के प्रभाव को पलटने वाला पहला अध्ययन है।

अब फैक्टरी में बनेगी त्वचा

जर्मनी की फ्राउनहोफर युनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम त्वचा बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने सचमुच ऐसी मशीन बनाई है, जो त्वचा बनाती है। यह त्वचा दवाओं, रसायनों और कॉस्मेटिक के परीक्षण को आसान और सस्ता बना सकती है। साथ ही जानवरों पर इनके परीक्षण की जरूरत नहीं रह जाएगी। त्वचा बनाने की यह मशीन सात मीटर लम्बी, तीन मीटर चौड़ी और तीन मीटर ऊँची है। काँच की दीवार के पीछे रोबोट की छोटी बाहें काम कर रही हैं, पेट्री डिश को इधर उधर ले जा रहे हैं, खाल को खरोंच रहे हैं, एंजायम की मदद से ऊपरी त्वचा को सेल से अलग कर रहे हैं। संयोजी ऊतक और रंग वाली कोशिकाएं भी इस तरह पैदा की जाती हैं।

अल्सर से बचाती है स्ट्रॉबेरी

शराब ऐसा नशा है, जिसे लाख कोशिश करने के बावजूद लोग इसे छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन युनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के वैज्ञानिकों की मानें तो इसके घातक असर को जरूर कम किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया है कि अगर शराबियों को स्ट्रॉबेरी युक्त खाना दिया जाए तो उनके शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खासतौर पर उनके पेट पर पड़ने वाले असर को।

वैज्ञानिकों का दावा है कि स्ट्रॉबेरी पेट में अम्ल की परतों को जमने से बचाती है। शराब की वजह से पेट में हुए अल्सर का भी बेहतर इलाज हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने शोध के दौरान प्रयोगशाला में चूहों को इथोनॉल पिलाया। साथ ही उन्हें स्ट्रॉबेरी का अर्क भी दिया और यह प्रयोग करीब दस दिन तक चालू रहा। इस दौरान कुछ चूहों को सिर्फ इथोनॉल पिलाई जाती थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन चूहों को स्ट्रॉबेरी का अर्क दिया जाता था उनके पेट की चिकनाई युक्त झिल्ली को सिर्फ इथोनॉल पीने वाले चूहों के मुकाबले कम नुकसान हुआ था।

प्रमुख शोधकर्ता सारा ट्यूलिपानी ने कहा, स्ट्रॉबेरी का सकारात्मक नतीजे सिर्फ इसके एंटी एक्सीडेंट प्रभाव से ही संभव नहीं है। यह एंटीएक्सीडेंट की सुरक्षा को भी मजबूत करता है और अन्य लाभदायक एंजाइम को भी मजबूत बनाता है। स्ट्रॉबेरी गैसट्रिक कमजोरी होने से बचाता है जो बाद में पेट में अल्सर होने का कारण होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अल्सर के इलाज में सुरक्षात्मक दवा और एंटीऑक्सीडेंट के गुण की आवश्यकता होती है और स्ट्रॉबेरी में मौजूद यौगिक इसका जवाब है। इस शोध को इटली, सर्बिया और स्पेन के वैज्ञानिकों ने मिलकर अंजाम दिया है।

वे पेट में मौजूद चिकनाई युक्त झिल्ली पर अध्ययन कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इसमें विशेष प्रकार की कोशिका मौजूद होती है जो खाने को पचाने के लिए अम्ल और एंजाइम का स्राव करती है। जो अम्ल से बनने वाली परत को जमने से रोकता है।

नागौर

सेठ जुगराज कटारिया रा.उ.मा.वि, रूण में श्री पुसराज चोरड़िया नोखा चान्दवतां (नागौर) द्वारा 1,51,000 रुपये की लागत से प्याऊ का निर्माण करवाया गया। **रा.उ.मा.वि., ऊँटवालिया** में श्री मूलाराम लोयल द्वारा 1,60,000 रुपये की लागत से पानी की प्याऊ का निर्माण करवाया गया। श्रीमान् सांदूजी महाराज सार्वजनिक परमार्थ ट्रस्ट चूंटीसरा (नागौर) से 22 पंखे लागत 25,000 रुपये। **रा.मा.वि., नं. 1 (मकराना)** को श्री शिवकरण, भंवरलाल इन्दौरा से एक वाटर कूलर लागत 20,000 रुपये तथा 30 टेबल-स्टूल भी प्राप्त हुए। **रा.मा.वि., मांगलोद** को जनसहयोग से 150 टेबल - 150 स्टूल लागत - 1,65,000 रुपये तथा लोहे का एक बोर्ड लागत - 2,000 रुपये, अर्जुनदास बंशीदास छाबा, दोतीणा से 10 टेबल 10 स्टूल लागत - 10,000 रुपये मात्र। **रा.मा.वि., भकरी** को श्री यशवन्त सिंह से एक लोहे की अलमारी लागत 5,000 रुपये, एक सीलिंग फैन लागत 1100 रुपये, श्री गणपत राज सुराणा से 05 प्लास्टिक की कुर्सियाँ लागत 750 रुपये, श्री भंवरलाल भण्डारी, श्री सत्यनारायण भण्डारी, श्री रामस्वरूप भण्डारी, श्री रामप्रसाद भण्डारी द्वारा 1,50,000 रुपये की लागत से एक हाल का निर्माण करवाया गया। **रा.मा.वि., अलावपुरा** को श्री धन्नाराम बीजारणिया चेरिटेबल ट्रस्ट से 14 छत पंखे लागत 25000 रुपये, श्री सोहनराम बीजारणिया से बिजली फिटिंग व ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हेतु 20,000 रुपये प्राप्त हुए। **रा.मा.वि., बस्सी** को श्री कैलाशचन्द पाटनी से 72 सेट टेबल-स्टूल लागत - 55,555 रुपये तथा निर्धन छात्रों को 50 जोड़ी गणवेश लागत - 11,000 रुपये प्राप्त। **रा.मा.वि., लाडपुरा** को श्री नेमीचन्द शर्मा से एक कम्प्यूटर सेट मय प्रिन्टर लागत - 22,000 रुपये, श्री छीतरमल शर्मा (से.नि.अ.) से एक कम्प्यूटर सेट लागत - 11,000 रुपये, **रा.मा.वि., पालड़ी जोधा** को श्री विश्वेश्वरशील महाराज महा-मण्डलेश्वर भरूंच (गुजरात) से ठंडे पानी की मशीन लागत 45,000 रुपये, श्री बंशीलाल सोनी से 03 छत पंखे लागत - 5100 रुपये, श्री भूराराम जलवानियां, जितेन्द्र जलवानिया से एक छत पंखा लागत - 1700 रुपये, अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड शाखा मा. मूण्डवा से एक कम्प्यूटर लागत 22,000 रुपये, श्री भीकाराम ईनाठिया से पानी पम्प मशीन लागत 3,500 रुपये, श्री मदनराम खोजा से स्टेज निर्माण 11,000 रुपये, श्री बालाराम बलदेव राम खोजा से पानी की टंकी लागत 11,000 रुपये, श्री बाबूलाल भाकल से बिजली फिटिंग हेतु 5,000 रुपये नकद प्राप्त, श्री सबलाराम राईका से 30 सैट टेबल-स्टूल लागत - 30,000 रुपये, श्री रामचन्द्र भाकल (उपसरपंच) से 10 सैट स्टूल-टेबल लागत 10,000 रुपये, घीसाराम खोजा हरीराम खोजा से 10 सेट स्टूल टेबल लागत 10,000 रुपये। **रा.मा.वि., सोनेली** में श्री रामकरण हुड़ा व उनके भ्राता द्वारा 3,00,000 रुपये की लागत से एक कक्षा कक्ष 18'×18' का निर्माण करवाया तथा 1,00,000 रुपये की लागत से जलमन्दिर (प्याऊ) का निर्माण करवाया। **रा.मा.वि., गोंवा कला** को जनसहयोग से 200 टेबल स्टूल मय लेक्चर स्टैण्ड लागत 1,71,000 रुपये, बाथरूम मरम्मत लागत 26,300 रुपये तथा साईकिल स्टैण्ड लागत 53,700 रुपये में बनवाकर विद्यालय को भेंट, श्री चम्पालाल लखारा एण्ड ब्रदर्स द्वारा 1,00,000 रुपये की लागत से प्याऊ का निर्माण करवाया तथा इसमें एक वाटर कूलर भी रखवाया। श्री भँवराराम व भोजाराम पिचकिया द्वारा 8,200 रुपये की लागत से माँ शारदे की मूर्ति सप्रेम भेंट, श्री गंगाराम देवासी से सम्पूर्ण विद्यालय भवन में बिजली फिटिंग तथा सोलह पंखे लागत 51,000 रुपये। **रा.मा.वि., उदरासर (लाडनूं)** को श्री चन्दनतारा फाउण्डेशन लाडनूं से 20 टेबल एवं 20 स्टूल लोहे की लागत 20,000 रुपये। सर्वश्री चौथाराम ढिडारिया, ब्रह्मदत्त अग्रवाल से प्रत्येक से 25 टेबल एवं 25 स्टूल लोहे की प्रत्येक की लागत 25,000 रुपये। **रा.मा.वि., कलवाणी** में श्री प्रह्लाद कुमार द्वारा 14,000 रुपये की लागत से पानी पीने की टंकी का निर्माण एवं मरम्मत, श्री गोपाल शर्मा से एक बजाज माइक सेट लागत 11,000 रुपये, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा से 100 टेबल व 100 स्टूल लोहे की लागत 1,00,000 रुपये। श्री तेजाराम थौरी से 5 टेबल, 5 स्टूल व एक छत पंखा लागत - 7,000 रुपये, रामनिवास जांगिड़ से 2 टेबल व 2 स्टूल लागत 2,100 रुपये, देवकरण जांगिड़ से वक्ता स्टैण्ड, एल्यूमिनियम की एक छोटी साइज की किवाड़ लागत 5,000 रुपये, श्री हेमाराम मण्डा से एक लोहे की अलमारी लागत 6,000 रुपये, श्री बेगाराम थोरी से एक छत पंखा लागत - 1,000 रुपये। **रा. जमनादेवी अमरचन्द दायमा मा.वि. राजलौता** को श्री प्रह्लाद चन्द दायमा, श्री सोहनलाल दायमा से दो कम्प्यूटर सेट प्रिन्टरमय स्कैनर लागत - 60,000 रुपये, **रा.मा.वि., परेवड़ी** को श्री सुरेश कुमार अग्रवाल से विद्यालय के समस्त कमरों में विद्युत फिटिंग तथा प्रत्येक कमरे में एक-एक पंखा अर्थात् (9 पंखे) लागत - 70,000 रुपये। **रा.मा.वि., सुनारी** को श्री मालाराम साहू से कक्षा-10 के टापर छात्रों को 71000 रुपये, शाला पोशाक - 4,000 रुपये तथा ऊनी स्वेटर लागत - 10,000 रुपये। **सोनी देवी सोमानी रा.बा.मा.वि., कुचामन सिटी** में विकास समिति कुचामन सिटी के अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश काबरा द्वारा 25,000 रुपये की लागत से छात्राओं के पेशाब घर का निर्माण टाइल्स, यूरिनल्स इत्यादि, गरीब छात्राओं को 47 स्वेटर मूल्य - 7000 रुपये, किचन रूम की मरम्मत हेतु 10,000 रुपये, कुचामन विकास समिति कुचामन सिटी द्वारा निर्मित कम्प्यूटर लैब में कम्प्यूटर ज्ञान हेतु अनुदेशक की नियुक्ति का भुगतान प्रतिमाह 1500 रुपये। **रा.बा.मा.वि., धनकोली** को श्री मुश्ताक खाँ (मंत्री जी) से छात्राओं के लिए ठण्डे पानी की मशीन, पानी फिल्टर मशीन तथा पानी भण्डारण हेतु प्लास्टिक की 1500 लीटर की टंकी लागत - 38,000 रुपये, श्री सम्पत कुमार लाहोटी द्वारा पट्टाशुदा 7778.25 वर्ग फुट भूमि विद्यालय को दान की जिसकी कीमत 31,34,634 रुपये है।

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक हर सहाय मीणा द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर के लिए माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्रकाशित एवं कोटावाला ऑफसेट, 82, सुदर्शनपुरा, इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित। © प्रधान सम्पादक : हर सहाय मीणा

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नं. 1, सुजानगढ़, जरूरतमंद छात्रों को पोशाक वितरण किया गया। चित्र में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी श्री सुरजाराम डाबरिया एक छात्र को पोशाक प्रदान कर रहे हैं।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दादाई (पाली) की छात्राओं ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सौजन्य से वैज्ञानिक प्रक्रियायुक्त स्थलों का भ्रमण किया। चित्र में छात्राएँ छाता उद्योग का अवलोकन करती हुईं।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, धतुरिया जिला झालावाड़ की छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भूपसेड़ा (अलवर) में भामाशाहों के सहयोग से माँ सरस्वती के मन्दिर का निर्माण करवाया गया।

रा.प्रा.शि.प., जयपुर के तत्वावधान में कस्तूरबा गाँधी बा.आ. विद्यालय, पूगल (बीकानेर) में शैक्षिक बाल मेले का उद्घाटन करतीं पंचायत समिति, खाजूवाला की प्रधान श्रीमती निर्मला बिश्नोई।

राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का निरीक्षण करने आए अधिकारी महानुभावों के साथ चतुर राजकीय उ.मा. विद्यालय, कानोड़ (उदयपुर) के स्वयंसेवक।

डाक पंजीयन संख्या
RJ/JPC/M-29/2011-13

शिविरा पत्रिका (मासिक) अप्रैल, 2012
प्रकाशन तिथि : 2 अप्रैल, 2012 पृष्ठ 52
प्रेषण : हर माह की 5, 6 तारीख
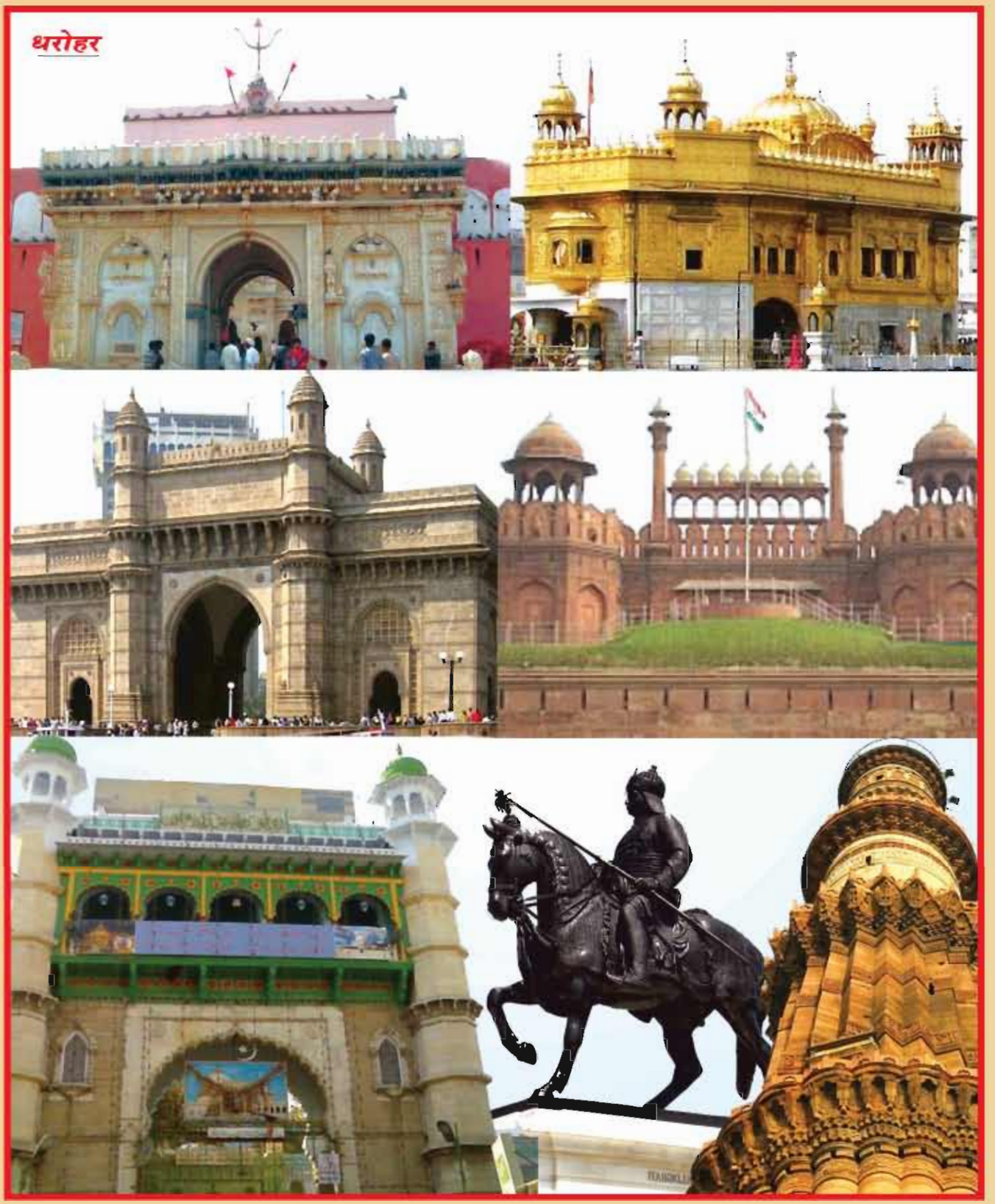
समाचार-पत्र पंजीयन संख्या
10350/66